दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 भाग (5) सोमवार, 03 अगस्त, 2015/12 श्रावण, 1937(शक) अंक-14

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री राजेश यादव
6. श्री मोहेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री रघुविन्दर शौकीन
11. सुश्री राखी बिड़लान
12. श्री विजेन्द्र गुप्ता
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री इमरान हुसैन
18. श्री विशेष रवि

19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह (रा.गा.)
23. श्री जगदीप सिंह
24. श्री जरनैल सिंह (ति.न.)
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री नरेश बाल्यान
28. श्री आदर्श शास्त्री
29. श्री गुलाब सिंह
30. श्री कैलाश गहलोत
31. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
32. सुश्री भावना गौड़
33. श्री सुरेन्द्र सिंह
34. श्री विजेन्द्र गर्ग
35. श्री प्रवीन कुमार
36. श्री मदन लाल
37. श्री सोमनाथ भारती
38. श्रीमती प्रमिला टोकस
39. श्री नरेश यादव
40. श्री करतार सिंह तंवर
41. श्री प्रकाश
42. श्री अजय दत्त
43. श्री दिनेश मोहनिया
44. श्री सौरभ भारद्वाज
45. सरदार अवतार सिंह कालका जी
46. श्री सही राम
47. श्री नारायण दत्त शर्मा
48. श्री राजू धिंगान
49. श्री मनोज कुमार
50. श्री नितिन त्यागी
51. श्री ओम प्रकाश शर्मा
52. श्री एस.के. बग्गा
53. श्री अनिल कुमार वाजपेयी
54. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
55. सुश्री सरिता सिंह
56. श्री हाजी इशराक
57. श्री श्रीदत्त शर्मा
58. चौधरी फतेह सिंह
59. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 सोमवार, 03 अगस्त, 2015/12 श्रावण, 1937 (शक) अंक-14

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सचिव का परिचय

माननीय सदस्यगण,

आज के इस विशेष सत्र में मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछला जो विशेष सत्र था, उस दिन मुझे दिल्ली विधान सभा के सचिव प्रसन्ना कुमार जी का परिचय करवाना चाहिए था। लेकिन उस दिन शोक संवेदना के लिए सत्र का कार्यक्रम बदल गया था। इसलिए परिचय नहीं करवा पाया था। आज मैं सर्वप्रथम उनका परिचय करा रहा हूं। मैं दिल्ली विधान सभा के नये सचिव श्री प्रसन्ना कुमार सुर्यदेवरा से आपका परिचय कराना चाहता हूं। उन्होंने इस महीने की 17 तारीख को विधान सभा सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। सदन और सचिवालय की कार्य प्रणाली में और अधिक व्यावसायिक दक्षता लाने के उद्देश्य से मैंने इस पद के लिए उन्हें चुना है। वे संसदीय कार्य-प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हैं। विधान सभा में आने से पहले वे 11 वर्षों तक राज्य सभा और लोक सभा दोनों में उच्च संवैधानिक अधिकारियों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमएससी और एमफिल तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ स्नातक हैं। मैं सदन तथा

अपनी तरफ से उनका स्वागत करता हूं और नये उत्तरदायित्व पर उनकी सफलता की कामना करता हूं।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

मुझे आज श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष, श्री जगदीश प्रधान और श्री ओम प्रकाश शर्मा जी व राजेश गुप्ता जी से नियम-59, नियम-54 तथा नियम-107 के अंतर्गत सरकारी स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा अन्य प्रस्ताव की विभिन्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि यह विशेष सत्र है और इसमें विशेष मुद्दों को ही विचारार्थ लिया जाना है। अत: उपरोक्त प्रस्तावों को सदन में उठाने की आज में अनुमति नहीं दे पा रहा हूं।

नियम-280 के अंतर्गत सर्वप्रथम श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : बताइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि ये विशेष सत्र है। ये मेरे हाथ में रूल बुक है। इसमें विशेष सत्र नाम की कोई चीज नहीं है। पहला विषय। सत्र सत्र होता है और ये छठी मीटिंग है जो हो रही है। हमारा सत्र से ये है...

अध्यक्ष महोदय : विशेष सत्र का...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये विशेष सत्र नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं। आप इस पर सचिव महोदय से सलाह ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं ले चुका हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप इसे विशेष कहिए, कुछ भी कहिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मेरा विषय क्या है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने लगाया है क्योंकि हाई कोर्ट के समक्ष सरकार ने झूठा...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो अपने रूलिंग दी है, वह रूलिंग ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप मेरी प्रार्थना जो है, वह सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रस्ताव ये है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, वह उन मुद्दों से संबंधित होता है जो करण्ट से इश्यूज आते हैं और उन पर सदन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार प्यार से, मुहोब्बत से। यह एक विशेष सत्र एक विशेष विषय पर बुलाया गया है और यह सरकार का अधिकार है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं है। रूल बुक मैंने भी पढ़ी है। आप मेरी बात सुन लीजिए।**...(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा में भी अनेकों बार विशेष सत्र बुलाये गये हैं।.. एक सेकेण्ड मेरी बात सुन लीजिए। मैं नियम 54 पर नहीं जा रहा हूं। वह सब कुछ

मैंने देख लिया है। और ये सारा पढ़ने के बाद ही मैंने डिसीजन लिया है। जो आपकी रूलिंग्स आई हैं। उनको देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया है आज का।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त का मामला एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : वह सारे विषय आने वाले हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : लोकायुक्त के मामले में सरकार ने 10 जुलाई को हाई कोर्ट में झूठ हलफनामा दिया हुआ है**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभी चीजें अभी आने वाली हैं। मैं उन पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जगदीश प्रधान जी नियम 280 में

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अगला नाम ले रहा हूं। जगदीश प्रधान जी, 280 में

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आप ये बताइये कि लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, हम ये जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मेरी बात सुनिये, लोकायुक्त सरकार का विषय है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सरकार ने झूठा हलफनामा दिया है सदन के अंदर।

अध्यक्ष महोदय : सरकार उसको लायेगी। कब लायेगी, कब नहीं, ये सरकार का विषय है। वो जबाव दे देंगे।**...(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो एफिडेविट दिया है, कोर्ट में, उसके बारे में बतायें? क्यों बच रहे हैं आप?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीश प्रधान जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप लोकपाल पर सरकार छोड़कर गये और अब यहां खड़े होने पर आपको दिक्कत है, जबाव देने पर भी आपको दिक्कत है। ध्यानाकर्षण पर बात करने में आपको दिक्कत है।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश प्रधान जी, जल्दी कीजिए, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और सरकार जबाव दे। ये हलफनामा है**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जगदीश प्रधान जी, जल्दी कीजिए। जल्दी बोलिए, शुरू कीजिए। नहीं तो छोड़िए। श्री रघुविन्दर शौकीन जी।

माननीय सदस्य श्री विजेन्द्र गुप्ता सदन के वेल में आकर बोलते रहे।)

...(व्यवधान)

श्री रघुविन्दर शौकीन : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नियम 280 के तहत**... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शौकीन जी, एक सैकेण्ड। देखिए विजेन्द्र जी **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरी बात समझ लीजिए। नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकता। आपको कहना है, किसी विषय पर बात करनी है, ध्यान दिलवाना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात अगर रखना चाहते हैं ठीक ढंग से। आपको किसी विषय पर बयान दिलवाना है, कोई बात करनी है।...आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। चैम्बर में आकर बात करते हैं कि अध्यक्ष जी, इस विषय पर हमारी बात करवाइये। उनसे बयान दिलवाइये।...सरकार से। आप चैम्बर में आते। बात करते। क्यों नहीं होगी बात? सब चीजें होती हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ भी बोल लीजिए। मैं इस विषय पर सरकार पर बयान...किसी विषय पर सरकार से अगर बयान दिलवाना है, तो उस पर सरकार से बात की जा सकती है। ऐसे नहीं होता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए। ...मैं जोर जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको आगाह कर रहा हूं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। अच्छा मेरी एक प्रार्थना सुनेंगे? आपने जो रूल की बात की है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप रूल 293 निकाल लीजिए। Speaker decision not to be questioned. That's all. ...फिर सवाल क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सवाल क्या है फिर क्वैश्चन क्या है? ...उसको छोड़ दीजिए। उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा।... मैं एक बात कहना चाहता हूं विजेन्द्र जी...विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अटल जी इस देश के... भई ऐसे कमेन्ट न करें बीच में प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मुझसे बात कीजिए आप।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ भारती जी प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी। मैं रोक रहा हूं आपको बोलने से।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, मैं रोक रहा हूं आपको बोलने से।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने चार बार बोल दिया उनको।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी ओम प्रकाश जी ने क्या शब्द बोला है, सुना है आपने? मैं उनको रोक रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको भी रोक रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखबारों की चर्चा ओम प्रकाश जी यहां करेंगे...ओम प्रकाश जी, इधर बात कर लीजिए मेरे से। आप इधर करके बात कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको रोका है तुरन्त।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको रोका है तुरन्त। मैं अब जो कहना चाहता हूं, बात समझ लीजिए। एक सेकेण्ड।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड। भई, ऐसे नहीं चल पायेगा। प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना कहना है कि 24 जुलाई को मैं कोर्ट में खुद...

अध्यक्ष महोदय : आपने कह लिया। आपने रूलिंग की बात की। मैंने रूलिंग की बात आपको सुना दी। अब एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए मेरी।

...(व्यवधान)

नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप सरकार को प्रोटैक्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रोटैक्ट नहीं कर रहा हूं सरकार को। न मैं प्रोटैक्शन दे रहा हूं सरकार को। आपने अपनी बात रख ली।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने हमेशा प्रोटैक्शन किया है।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को कोई प्रोटैक्ट नहीं कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : झूठा हलफनामा दे रहे हैं और लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जगदीश प्रधान जी, चलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दोबारा समय दे रहा हूं। प्लीज। जगदीश जी शुरू कीजिए।

श्री जगदीश प्रधान : धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिल्ली के वृद्ध लोगों को पेंशन न मिलने से आ रहे दिक्कतों की ओर और उनकी बिगड़ी आर्थिक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। आज से लगभग चार वर्ष पूर्व तत्कालीन कांग्रेस की सरकार द्वारा बुजुर्गों के वेल्फेयर के नाम पर पेंशन बंद कर दी गई थी। इसका विरोध न केवल भाजपा के सदस्यों

ने किया बल्कि कांग्रेस के सदस्यों ने भी किया था, परन्तु विधान सभा के चुनावों की घोषणा हो जाने के कारण पेंशन लागू नहीं हो पाई थी। दिल्ली में जब 49 दिनों के लिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तब इन्होंने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही बंद पेंशन को खोला गया। जब दिल्ली अंडर संस्पेंस में थी, तब केन्द्रीय वित्त मंत्री ने चालीस हजार लोगों की पेंशन का प्रावधान किया था और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में सत्ता में काबिज हुए लगभग पांच माह का वक्त बीत चुका है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि 22.07.2015 को बुजुर्गों के फार्म भाजपा के दबाव में लेने के प्रयास किये गए परन्तु 29.07.2015 को समाज कल्याण विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने यह कह कर फार्म लेने बंद कर दिये कि दिल्ली सरकार ने इतना ही कोटा निर्धारित किया है।

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वह advertisement पर जो पैसा 526 करोड़ रुपये दिया है। उसमें अगर आप दिल्ली के जो बुजुर्गों, किसी के मां-बाप की औलाद है नहीं, बुजुर्ग है जिनके रहने का मकान नहीं है, आसरा नहीं है, उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। यदि वो 500 करोड़ में से आप 200 करोड़ रुपया दिल्ली के वृद्ध लोगों को पेंशन में दे देते तो शायद मैं समझता हूं कि जो आज दवाई से वंचित हैं, खाने से वंचित हैं, उन लोगों का फायदा होता। दिल्ली में आज...

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, मैं रौक रहा हूं थोड़ा सा प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने लिखित में भी भेजा था कि 280 में जितना लिख के देंगे, उसी सीमा तक बोलने की इजाजत रहेगी। उसमें अन्य विषय उठाने की अन्य बात करने की इजाजत नहीं रहेगी यह नियम है और उसका कृपया ध्यान रखें। जगदीश जी इसलिए मैंने...

श्री जगदीश प्रधान : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरे अकेले का प्रश्न नहीं है। शायद आप जो बैठे हैं आम आदमी पार्टी के वो भी इस पीड़ा से पीड़ित हैं और मैं चाहता हूं कि उनकी भावना भी आप सदन में जान लें ताकि जो वृद्ध लोग दिल्ली में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं उनको पेंशन भी आप किस तरह पेंशन की व्यवस्था कराए। धन्यवाद।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महादेय : रघुविन्दर शौकीन जी।

(बीच में कर्नल देवेन्द्र सहरावत बोले रहे हैं)

अध्यक्ष महोदय : देखिए ऐसा नहीं चलेगा सदन। मैं कुछ नहीं सुनूंगा सहरावत जी। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

कर्नल देवेन्द्र सहारावत : आप मुझे दो मिनट तो दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। इस सदन की गरिमा को बना के रखिए। इसके कुछ नियम है। नियम कायदों के अंतर्गत...

...(व्यवधान)

कर्नल देवेन्द्र सहारावत : अध्यक्ष महोदय, अपनी बात कह सकूं। जो कि राष्ट्रीय हित में है, जो सैनिकों को वहां पर आंदोलन चल रहा है, उसमें अफसर और जवानों के बीच में एक दरार पैदा कर देश के लिए एक दीर्घकालीन बहुत बड़ा षड्यंत्र वहां पर रचा जा रहा है। जिसके बारे में हम सब को पूरे देश को मालूम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा करिये।

कर्नल देवेन्द्र सहारावत : और वो सरकारी एजेंसियों द्वारा करवाया जा रहा है। मेरा धर्म बनता है कि...

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा करिए कि इस को लिख के मुझ को दे दीजिए एक बार।

कर्नल देवेन्द्र सहारावत : इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया है कि आप मुझे चार मिनट का समय दें। मैं अपनी बात आपके समक्ष रख सकूं।

अध्यक्ष महोदय : इसको लिखकर दे दीजिए।

कर्नल देवेन्द्र सहारावत : मैं लिखकर लाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, मुझे दे दीजिए। प्लीज। ये मुझे दे दीजिए। ये विषय मुझे दे दीजिए आप। आप ले लीजिए उनसे।**...(व्यवधान)** मैं प्रार्थना कर रहा हूं ये मुझे दे दीजिए। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे कर रहा हूं। आप माने। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पर जो भी कुछ होगा, मैं देखूंगा।

श्री रघुविन्दर शौकीन : माननीय अध्यक्ष जी, नियम-280 के तहत जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और आपके माध्यम से डीडीए के अधिकारियों को अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाने की कृपा कीजिए। मेरी विधान सभा में पीरागढ़ी गांव में सदियों पुराना एक तालाब है। जिसे सिसवाली के नाम से जाना जाता है। गांव के शहरीकृत होने के बाद गांव के सारे तालाब ऑटोमैटिक्ली डीडीए के हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस गांव के तालाब पर भू-माफिया द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। जबकि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार वर्ष 2000 में उसे मिट्टी डाल कर भर दिया गया और उसके बाद उसकी चारदीवारी भी कर दी गई। लेकिन भू-माफिया और डीडीए के अधिकारी मिलीभगत से नकली कागज

बनवाकर उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं और ये भू-माफिया गांव के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और जान से मारने की भी धमकी देते हैं। सन् 1908 और 1954 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसे तालाब दिखाया गया है। लेकिन ऐट प्रजेंट का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वो इसे तालाब नहीं बता रहा है। तो आपसे यही निवेदन कि इस तालाब को दोबारा वाटर बाडी बनाया जाए और डीडीए के वीसी के साथ 7 अप्रैल, 2015 में एक डीडीए के अधिकारियों की मीटिंग हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस तालाब पर कोई केस नहीं चल रहा है तो इसे दोबारा वाटर बाडी में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये ऐसा इकलौता केस नहीं है। दिल्ली देहात की जितनी भी जमीनें हैं, उनपर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार और डीडीए ऐसी जमीनों की सुरक्षा करे ताकि उन पर ग्रामवासियों के हित के लिए कोई कार्य किया जा सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने नियम 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली में मेरी विधान सभा में जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनमें ठेकेदारों द्वारा जो नर्सिंग आर्डरली, सिक्यूरिटी गार्डस और सफाई कर्मचारी, हाउस कीपिंग ये जो लोग रखे हुए हैं, इनका उत्पीड़न लगातार ये कान्ट्रेक्टर्स कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह पिछले लगभग दो-तीन महीने से नहीं दी गई जिस की वजह से आज जीटीबी हॉस्पिटल में हड़ताल हो गई है। अभी पीछे दो महीने पहले इसी तरह हड़ताल हुई, मैं खुद गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और बड़ी मुश्किल से वो हड़ताल खत्म हुई। अभी दस दिन पहले इहबास में इसी तरह हड़ताल हुई। पिछले लगभग दस साल से उनका पीएफ का और उनके इएसआई का पैसा उनके एकाउंट में जमा नहीं हो रहा है। एक तरीके से ये ठेकेदार फ्रॉड कर

रहे हैं। सरकार से तो पैसा ले रहे हैं लेकिन उनके एकाउंट में जमा नहीं कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट जो हॉस्पिटल प्रशासन और ठेकेदारों के बीच में हुआ है, उस एग्रीमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा इस ठेकेदारों का ठेका खत्म किया जाए और पुनः दोबारा से आर्डर पेश करके दोबारा से किसी अन्य को ठेका दिया जाए ताकि जो सारे वर्कस काम कर रहे हैं, उनका समय पर वेतन दिया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपका ध्यान पेंशन, वृद्धावस्था जो पेंशन है की ओर दिलाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात रखूं जो पेंशन पहले लोगों को बुजुर्गों को, मिल रही थी वो कांग्रेस के शासन में रोक दी गई। मैं दिल्ली सरकार में माननीय केजरीवाल साहब का, आदरणीय मनीष जी का और मंत्री संदीप जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दुबारा ये पेंशन शुरू कराई। मैं एक बड़ी मार्मिक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा विषय है कि आज भी जिसका लोग इंतजार करते हैं। मैंने स्वयं कितनी माताओं की आंखों में आंसू देखे हैं। कितनी बहनों के जो विधवा है उनको आते हुए अपने कार्यालय में देखा है कि पेंशन का ही वो लोग सिर्फ इंतजार करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, मेरा संदीप जी से अनुरोध है कि जैसे मेरी विधान सभा है यहां पर केवल 286 लोगों को पेंशन का कोटा दिया गया है। जो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जो कोटा है, वो बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि जितने हमारे विधान सभा के साथी है, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, इस पर सबकी राय एक है। ये

मेरा अनुरोध है माननीय संदीप जी से, माननीय मनीष जी से मेरा अनुरोध है **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड, उनकी बात पूरी होने दो।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या जितने भी यहां सदन में सदस्य बैठे हैं, सबको जो कोटा दिया गया है वो सबका अलग-अलग हैं या एक साथ है।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, अलग-अलग है सबका। अब मंत्री जी उत्तर दे देते तो अच्छा था वजह आप भी समझते हैं, मैं भी समझ सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मेरा निवेदन ये है एक बड़ा लेजिटिमेट सवाल ये है कि 70 जो लोग हैं, जो 20,000 पेंशन आप दे रहे हैं, वो क्या लोगों का चेहरा देख-देख कर दे रहे हैं या सदन में सब लोगों को एक साथ उनका कोटा है तो जरा मंत्री जी इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दें।

अध्यक्ष महोदय : अभी बैठिए, अनिल बाजपेयी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : दूसरी बात है सबसे बड़ी जो विधायकों को परेशानी आ रही है एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है एमसीडी में और वहां पर एमसीडी की पेंशन कई सालों से लोगों को नहीं मिल रही है। जो जीते हुए निगम पार्षद हैं, वो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि दिल्ली वालों ने झाड़ू वालों को वोट दिया है, वहां चले जाइये जो कि गलत है। चुने हुए प्रतिनिधि सभी दल के होते हैं। उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये उनका व्यक्तिगत करैक्टर है, लेकिन में इसके ऊपर

टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा क्योंकि हर विधान सभा में लोगों ने 700, किसी जगह 800 फार्म, कहीं-कहीं एक-एक हजार फार्म भरे जा चुके हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मनीष जी को, आदरणीय संदीप जी को इस बात का कहीं न कहीं, क्योंकि ये सबसे जुड़ा हुआ प्रश्न है ये और मैं वास्तविकता आपसे कह रहा हूं ये कि कई लोगों के पास दवाई के पैसे नहीं होते हैं। कई लोग अपनी लड़कियों को रक्षा बंधन पर पैसे देना चाहते हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनिल जी जो कुछ लिखा था पूरा हो गया है विषय।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : एक रह गया है, सर।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं प्लीज।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : सर एक लाइन रह गई है इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने फार्म भरे गए हैं, इसका कोटा और निर्धारित किया जाए, धन्यवाद आपका।

श्री सोमनाथ भारती : एमसीडी भी पेंशन देती है, दिल्ली सरकार भी पेंशन देती है। ये मल्टीपलसीटी ऑफ एथोरटीज जो है पेंशन देने वालों का। एमसीडी का क्या लेना देना है पेंशन देने से अगर एमसीडी की पेंशन बंद करके ये सारी की सारी जिम्मेदारी पेंशन की सिर्फ दिल्ली सरकार की हो तो इससे बहुत बचत भी होगी और ये सबके लिए फायदेमंद भी होगा।

श्री जगदीश प्रधान : वही तो मैं कह रहा हूं जो उन्होंने कहा एमसीडी की पेंशन बंद करके दिल्ली सरकार द्वारा दी जाए, उस बात का मैं समर्थन करता हूं। आप दिल्ली

सरकार के द्वारा लोगों को पेंशन दिलाए ताकि लोगों को उससे राहत मिल सके, अपनी गरीबी के दिन वे काट सकें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : कृपया मंत्री जी ये जरा उस पर स्पष्टीकरण करवा दीजिए**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको कितना कोटा मिला है?

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अलग-अलग लोगों को जो अलग-अलग पेंशन **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं आपको कितना कोटा मिला?

श्री ओम प्रकाश वर्मा : 166

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझ रहा हूं मंत्री जी इस पर उत्तर भी दे देंगे। मुझे 255 मिला है। ये 20,000 जो फार्म थे जिसके यहां जितने रद्द हुए हैं उसमें से, जो मैं समझा हूं। मैंने काउंटिंग की है अपने यहां। जितने पहले चल रहे थे, जो रद्द हुए चाहे मृत्यु की वजह से हुए या बोगस होने के कारण हुए उतने फार्म मुझको दे दिए गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी बात तो सुन लो, समझ लो पूरी बात। मेरी विधानसभा में मान लीजिए 3000 पेंशन मिल रही थी पहले से। ठीक है आप ही ने, अभी जगदीश जी ने कहा कि कांग्रेस ने वो रोक दी थी। उसमें से 3000 में से इंक्वायरी होने के बाद मेरे यहां से 255 रद्द हुए, उस 3000 में से। तो 255 का माननीय मंत्री

से मुझे कोटा दे दिया है। आपके यहां 166 रद्द हुए हैं, ये पुराने की मैं जिक्र कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : माननीय मंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि मेरी जो विधान सभा 59 विश्वास नगर...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने बता दिया ओम प्रकाश जी अब लंबा हो जाएगा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मेरी सुन तो लो जी।

अध्यक्ष महोदय : आपने बोल दिया 155 मिले हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मेरी भी तो सुन लीजिए। जो मेरी विधान सभा 59 विश्वास नगर है उसमें जो नाम दर्ज है वो खुरेजी के भी हैं। खुरेजी कृष्णा नगर विधान सभा है। मेरे बार-बार कहने पर मेरी विधान सभा में जो एरिया मेरी विधान सभा का नहीं हैं, नंबर एक तो वो जोड़ा हुआ है। दूसरा मुझे कहना ये है कि...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ओम प्रकाश जी कुछ ऐसा है उसको लिखकर दीजिए। स्क्रूटनी कर लीजिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूं।...**(व्यवधान)** मेरी बात तो सुन लो। मेरी भी विधान सभा में कुछे ऐसे हैं। मैंने भी उनको लिखकर दिया है। स्क्रूटनी की है बैठकर, कौन-कौन से बाहर के है उनको लिखकर दे दे।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : कोई फार्मूला है, तो बता दे।

समाज कल्याण मंत्री (श्री संदीप कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं जो पेंशन परसंटेज वाइज डिवाइड की गई है 20,000 में से। मेरे यहां पर खुद बहुत कम है आप देख लो आपसे कम ही होगी मेरे यहां पर भी। इसमें परसंटेज वाइज जिसके यहां पर जितनी ज्यादा कंपनसेशन थी, जितनी ज्यादा वहां पर जरूरत थी, पापुलेशन के हिसाब से जैसे मान लो आपके यहां पर दस हजार बनी हुई है और नई दिल्ली में पांच ही हजार है तो जितनी उनको जरूरत थी, उसी हिसाब से डिवाइड की गई है ये और अगर आपको, सुन तो लो आप तो बोले जा रहे हो, सुनो...**(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : फार्मूला क्या है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री संदीप कुमार) : फार्मूला नहीं है शुरू से ही। कांग्रेस और भाजपा ने चला रखा है। सुन लो पहले...**(व्यवधान)**...आप आ जाना मेरे चैम्बर में बिल्कुल संतुष्ट करके भेजूंगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, आप फिर सीधे बात कर रहे हैं। मैं यहां बैठा हूं। वो उत्तर दे रहे हैं उनको सुन लो पूरा। चालिए आगे श्री जरनैल सिंह जी (तिलक नगर)।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) **:** नियम 280 के अंतर्गत इस सदन के समक्ष अपनी बात रखने का समय देने के लिए धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी आनंद मैरिज एमेडमेंट बिल 7.06.2012 को माननीय राष्ट्रपति महोदय की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद गजैट ऑफ इंडिया में एक्सट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 के सैक्शन 1 में प्रकाशित किया

गया। इसी तर्ज पर हरियाणा में भी 7.05.2014 को हरियाणा आनंद मैरिजिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2014 को लागू किया गया। ताकि वहां जो सिख रह रहे हैं, वो इस एक्ट के तहत अपनी मैरिजिज रजिस्टर करा सके। दिल्ली भी हरियाणा का पड़ोसी राज्य है। दिल्ली जहां लगभग दस लाख सिख रहते हैं। 2012 के बाद कांग्रेस की भी सरकार आई और पिछला लगभग एक साल मोदी जी के एलजी साहब ने भी यहां पर शासन चलाया। पर कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि जैसे आपने दिल्ली में, दिल्ली की जनता से जुड़े लंबित मुद्दों पर बहुत जल्दी एक्शन लिया है, उसी प्रकार जो ये एक सिर्फ नोटिफिकेशन के माध्यम से कानून लागू होना है, इस पर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए और इसको लागू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इन दिनों मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के द्वारा किए जा रहे असंवैधानिक, गैर-कानूनी निर्णयों और निर्देश पर तत्काल हस्तक्षेप कर रोक लगाने की ओर दिलाना चाहता हूं। इस समय सचिवालय में बैठे उच्च पदस्थ अधिकारियों में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का इतना आतंक कायम है कि कोई भी अधिकारी किसी भी जरूरी फाइल पर हाथ लगाने से डरता है। सरकार में काम काज ठप्प है और अधिकारी बुरी तरह डरे हुए हैं। अधिकारी किसी तरह केजरीवाल सरकार से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता परेशान है उसे लगता है दिल्ली में कोई सरकार ही नहीं है। गर्वनेंस पर इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली सरकार द्वारा बार-बार संविधान और नियम कायदे कानूनों की अवहेलना और अवमानना जानबूझकर की जा रही है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, उपराज्यपाल

महोदय, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके ये साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल महोदय के अधिकारी क्षेत्र में क्या-क्या चीजें आती हैं। इस अधिसूचना में साफ कहा गया है कि भूमि तथा भूमि से संबंधित मामले, पुलिस विभाग, वित्त संबंधी मामले, नियुक्ति संबंधी मामले तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों में दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल सचिवालय को फाइल भेजेगी। उपराज्यपाल की सहमति पर ही कोई आदेश दिल्ली सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार राजधानी में अराजकता फैलाए हुए है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जो लोकायुक्त के मामले में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बिल्कुल एलाउ नहीं करूंगा। ओम प्रकाश जी जो कुछ आपने लिखा है।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने बिल्कुल रोका है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सबने पढ़कर बोला है।

अध्यक्ष महोदय : हां, पढ़कर बोला है। मैं एक-एक चीज सुन रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप बताइये किस सदस्य ने पढ़कर बोला है**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप एक को भी बता दीजिए, जो आउट ऑफ लाइन गया हो। एक भी विधायक आउट ऑफ लाइन नहीं गया है।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी देखिए 280 को, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं 280 ही कर रहा हूं**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : 280 को राजनीति का पहलू मत बनाइये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्यों नहीं बनाएंगे मैं राजनीति करने आया हूं यहां और क्या करने आया हूं। क्या करने आये हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए राजनीति करने के लिए दिल्ली की 70 विधान सभाएं पड़ी हैं, ओम प्रकाश जी। आप खूब राजनीति करिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अरे भई गांधी समाधि जाऊं क्या?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अरे भाई आप मेरे पड़ोसी है, अध्यक्ष जी, कृपा करो। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तो मैं यही कह रहा हूं, विधान सभा को नियमों के अंतर्गत चलने दो, अच्छा रहेगा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : नियम तो आप कोई मान ही नहीं रहे। सीएम नहीं मान रहे। आपके मंत्री नहीं मान रहे...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़िए, पढ़िए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप खुद अपने आपको अराजकतावादी बोल रहे हैं फिर कहते हैं कि मैं नियम मान लूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चलिए पढ़िए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मतलब आप पर कोई नियम लागू नहीं होता। सारे नियम मेरे लिए बनाए गए हैं क्या...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चलिए पढ़िए तो सही आप।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के प्रमुख पद पर नियुक्त श्री मुकेश मीणा को हटाकर उनसे जूनियर अधिकारी श्री एस.एस. यादव की मनमानी नियुक्ति कर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को शक्तिहीन और पंगु बनाया।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, प्लीज, नितिन जी एक बार पढ़ लेने दीजिये प्लीज शान्ति से।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस को भी अपशब्द कहे। उन्होंने मीडिया में विज्ञापन देकर कहा था कि दिल्ली पुलिस निरंकुश हो गई है। सरकार दिल्ली पुलिस पर विशेष विश्वास नहीं कर रही। बार-बार हमारे सीएम साहब**... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, जो लिखा है उसको पढ़ें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : एक लाइन भी नहीं पढ़ने देंगे आप? मैं बिल्कुल बोलूंगा। **...(व्यवधान)** दिल्ली पुलिस को बार-बार... अरे, त्यागी जी पधारो। पधारो अरे बैठ जाओ आप।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेण्ड।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : सीएम साहब बार-बार दिल्ली पुलिस मांगते हैं। मैं केवल इस विषय में बोलना चाहता हूं। कि या तो हमारे सीएम साहब पढ़े-लिखे नहीं हैं। सीएम साहब झुनझुना मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं। दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार को देने के लिये पार्लियामेन्ट में Two third Majority से पास कराया जाना जरूरी है। इसके

लिये आपके पास केवल चार विधायक हैं और आप सुबह से शाम, रात से दोपहर जो चिल्ला रहे हैं दिल्ली पुलिस हमको दे दो, यह झुनझुना किससे मांग रहे हैं आप यदि आपको कायदा-कानून...**(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : बैठिए, बैठिए। यदि आपको कायदा-कानून या थोड़े-बहुत पढ़े-लिखे हैं तो आप...

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाब सिंह जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : जनता को भ्रमित व गुमराह न करें। अनपढ़ों वाला व्यवहार न करें। दिल्ली सरकार के कारण...

अध्यक्ष महोदय : आप चलिए, गुलाब सिंह जी।

...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैं विजेन्द्र जी, बहुत प्यार से बात कर रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह : आठ-दस दिन पहले मेरी विधान सभा में...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी एक सैकेण्ड रुकिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी अगर इस पर बहस होने लगी तो बहुत चीजें निकलेंगी। ये न तो 280 का विषय है।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पहले वहां आइए। वहां आइए। एक सैकेण्ड, प्रसन्ना जी। ये 280 का निकाल के दीजिये मुझे।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या निकाल के दीजिये? 280 का नियम पढ़ लीजिये और

अध्यक्ष महोदय : फिर आप सारी बात अपनी करेंगे। एक तो ठीक से बात करिये। मैंने ये किताब दी है आपको। ये किताब इसलिए दी है। आप अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े-लिखे हैं।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अगर ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। एक सैकेण्ड, आप अगर पक्ष ले रहें हैं तो उचित नहीं लग रहा। देखिये, मेरी बात सुनिये। आप समझदार हैं, आप नेता विपक्ष हैं, नगर-निगम में सदन के नेता भी रहे हैं। 280 में कोई समस्या उठायी जाती है।**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब हो गया, ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : नहीं, मेरी लाइन रह गई हैं दो।

अध्यक्ष महोदय : चलिये, पढ़िये वो लाइन। पढ़िये, पढ़िये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : जनहित के सभी कार्य रूके पड़े हैं। सरकार जनता के हित के कार्य न करके गुमराह करने वाले विज्ञापनों में व्यस्त है।

अध्यक्ष महोदय : बस अब बोलिये नहीं, आखिरी लाइन है। अब चलिये आगे चलिये। मुझे भारी नहीं पड़ रही है। मैं तो कहता हूं लाइन पढ़ लो भई। विजेन्द्र जी, मुझे भारी नहीं पड़ रही, मैं तो कहता हूं लाइन पढ़ो। पढ़िये ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : इतनी देर में तो चार किताब पढ़ चुका होता।

अध्यक्ष महोदय : अब पढ़ो न।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : सर्कल रेट के बारे में Law Department ने जो अपनी कानूनी राय दी, उसको आप मानने के लिये तैयार नहीं और मनीश नाम के आफिसर

का आपने रिमूवल कर दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में सदन में अपना स्पष्टीकरण दें और ये नाटक और नोटंकी छोड़ कर दिल्ली की जनता को गवर्नेंस के मामलों पर ध्यान देने का कष्ट करें और ये अपना अन्धा बांटे रेवड़ी और खुद-खुद अपने को दे...ये बीस हजार की बीस पेन्शन आपने अपने घर में बांटनी है। बीस हजार में से केवल 166 पेन्शन आप हमको देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप ये 280 बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप इस विषय पर बोल चुके हैं। आप पहले उस विषय पर बोल चुके हैं। पहले बोल चुके हैं न उस विषय पर।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप उसको ठीक कराइये।

अध्यक्ष महोदय : चलिये। **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह जी : अध्यक्ष जी आज से 10-15 दिन पहले मेरी विधान सभा में एमसीडी द्वारा जो गुण्डागर्दी दिखाई गई, उस विषय में मैं आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय दिल्ली सरकार की तरफ से मुझे साऊथ एमसीडी का मैम्बर भी चुना गया है और हमारे विधान सभा में एक साथी जिसने बगल में आम आदमी पार्टी का कार्यालय खोला हुआ है। सिर्फ इस वजह से उसकी बिल्डिंग को बीस दिन के अंदर दो बार तोड़ा गया जबकि वो उस जगह पर बिल्डर वाले फ्लोर नहीं बना रहा था। वो अपना कोई काम-वाम करने के लिये उसने एक फ्लोर पर लैंटर डाला। बीस दिन पहले उसकी बिल्डिंग के कुछ हिस्से को तोड़ा गया, लेकिन या तो उस बिल्डिंग को उस दिन तोड़ा ही न जाता और तोड़ा गया तो उस दिन सील करना चाहिये था और उसके बाद उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ा गया करीबन 50 लाख रुपये का नुकसान उसका हुआ। मैं यह मानता हूं, ठीक है। अगर आज इस तरह की कार्रवाई

एमसीडी करती है, तो वो एक नजर से करनी चाहिए, सबके साथ एक जैसी करनी चाहिए। मेरी विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के...

अध्यक्ष महोदय : गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह : अध्यक्ष जी, मैं इसलिये कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ उस दिन एफआईआर दर्ज की गई। एक चुने हुए एक सदस्य के खिलाफ...

अध्यक्ष महोदय : गुलाब जी, जो विषय लिखा है उसको एक बार पढ़ लो। प्लीज।

श्री गुलाब सिंह : मैं उसी विषय में कह रहा हूं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला एमसीडी के अंदर है, इस पर से सदन को संज्ञान लेने की जरूरत है और हमारे विपक्ष के साथी स्पष्टीकरण मांगने में बड़े माहिर हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप स्पष्टीकरण दीजिये कि किस तरह से आज एमसीडी धड़ल्ले से अवैध निर्माण में जिस तरह से उनकी Involvement है, जिस तरह से उनकी लिप्तता पाई जाती है, जिस तरह से एक बिल्डर से 10 से 15 लाख रुपये वसूले जा रहे हैं और जब विधायक वहां पर जाकर खड़ा होता है तो उसके खिलाफ अपने बड़े हुकमरानों के हुकम पर उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ये इस तरह का भ्रष्टाचार बिल्कुल सहा नहीं जायेगा। मैं आपसे चाहता हूं कि एमसीडी के जो जेई हैं और एई हैं और एमसीडी के जो कमिश्नर उन पदों पर बैठे हैं, डी.सी. जो बैठे हैं, इनके खातों तक की जांच की जानी चाहिए कि इनके पास पैसा कहां से आता है, इनके एकाउंट तक की जांच होनी चाहिए। मैं सदन से डिमांड करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 280 के अंतर्गत बोलने

का मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद। आज पूरी दिल्ली में गली-गली में नशे का व्यापार हो रहा है जिसमें सबसे बड़ा भाग नकली शराब का है। ये नकली शराब xxx[1] के माध्यम से अवैध कॉलोनियों में गली-गली में बेची जा रही है जिसके कारण नकली शराब पीने से लोगों के पित्त, लीवर, गुर्दे, किडनी ऐसी-ऐसी बीमारियां उनको हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : जितेन्द्र जी, मैंने देख लिया, पहले ही देख लिया। प्लीज।

श्री राजेश ऋषि : कॉलोनी की जनता जब इन xxx से तंग हो जाती है तो वो पुलिस के पास जाती है। जब कभी भी वो शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो मोदी पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। प्रश्न उठता है कि क्या पुलिस इन xx[1] के साथ मिली हुई है लोग कहते हैं कि पुलिस xxxx[2] से हफता वसूलती है। यही कारण है कि मोदी पुलिस xxxx को शराब बेचने से नहीं रोकती है।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, राजेश जी एक तो यह ध्यान रखिये सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं...**(व्यवधान)**... एक सैकेण्ड मैंने रख ली बात जितेन्द्र जी। आपके संज्ञान में लाने से पहले मुझे ध्यान है...**(व्यवधान)**... यह विषय नहीं है। यह नये सदस्य है गलती अगर हो गई है...**(व्यवधान)**... सुधार रहा हूं मैं सुधार रहा हूं। राजेश जी मैं सभी माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं...**(व्यवधान)**... एक सैकेण्ड। सोमनाथ जी प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : हम मोदी जी की तारिफ करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी...**(व्यवधान)**... सोमनाथ जी यह विषय ठीक नहीं है, प्लीज। भावना जी बैठिये। भावना जी बैठिये...**(व्यवधान)**...यह विषय जो है जगदीश जी। ये xxx जो शब्द इसमें आया है...**(व्यवधान)**...इसमें से इसको डिलीट कर दीजिये

---

[1]xxxxचिह्नित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्वाही से निकाले गए।

और माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं...**(व्यवधान)**...कि आगे से कोई भी जाति सूचक शब्द किसी भी विशेष जाति से वो सदन में अपने किसी भी भाषण में, वक्तव्य में लिखे हुए नहीं आना चाहिये। अब आगे जो भी आप पढ़ें उसको रोक दें। विजेन्द्र जी। इसको पोलिटिकल इश्यू मत बनाइये। राजनीतिक इश्यू मत बनाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जान-बूझ के बोला है...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : नहीं जान-बूझ के नहीं बोला है अब रिपीट मत करिये इसको जहां भी है।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, कुछ दिनों पहले मुम्बई के अंदर नकली शराब पीकर सैंकड़ों लोगों की मौतें हुईं अगर ऐसा दिल्ली में होता है तो इसकी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की होगी, क्योंकि इस अवैध धंधे में दिल्ली पुलिस का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। शराब पीने के कारण दिल्ली में अपराधिक घटनाओं में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। जैसे बलात्कार, हत्या, रोडरेज, छेड़खानी, चाकू घोंपने जैसी वारदातें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अध्यक्ष जी आज युवाओं को नशा देकर अपराधिक कृत्यों में झोंका जा रहा है। रबर सोल्यूशन, इरेजर फलूड आदि सुंघाकर बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है और फिर उनको अवैध धंधों में झोंक दिया जाता है। छोटे-छोटे बच्चों को नशा देकर कूड़ा चुनने के काम में लगा दिया जाता है। ये काम मेरे क्षेत्र में कबाड़ी करवा रहे हैं। यह नशा बेचने वाले हमारे देश की नई पीढ़ी को बरबाद कर रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस सिर्फ एक ही काम कर रही है वो केवल वसूलने का। इन सबके खिलाफ आवाज उठाने वालों को पीटा जाता है। मैं कुछ तथ्य लेकर आया हूं आपके सामने एक शख्स जिनका नाम हरिशंकर शर्मा है उन्होंने दिल्ली पुलिस में कमिश्नर को, एलजी को सबको लेटर लिखा कि उसके क्षेत्र के अंदर शराब माफिया शराब बेच रहे हैं। पुलिस के साथ मिलकर माफियाओं द्वारा उसको मारने की कोशिश की जाती है। यह स्थिति है मीडिया ने जो उसको दिखाया...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ये मुझे दे दीजियेगा सारा मैटर।

श्री राजेश ऋषि : लेकिन वो शराब आज भी वहीं बिक रही है और वही माफिया लोग आज भी बेच रहे हैं वहां पर। अध्यक्ष जी, अगर ये मोदी पुलिस जनता के हाथ, दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं आती तो ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ये दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंतर्गत किया जाये। वरना ये बदलाव नहीं हो सकता है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप सिंह जी।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस गंभीर समस्या मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि शायद 15 साल में पहली बारी पीडब्ल्यूडी ने इतने अच्छे तरीके से नालों की सफाई की है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : कमाल कर दिया। कमाल हो गया।

श्री जगदीप सिंह : कोई बात नहीं। ओम प्रकाश जी आपके एरिये में कभी भी नहीं होगी। हो भी जायेगी तो आपको लगेगा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी आप पढ़िये। आप पढ़िये, उनको करने दीजिये।

श्री जगदीप सिंह : ...(व्यवधान) फिर आप कहते हो पानी की कमी है।

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़िये प्लीज।

श्री जगदीप सिंह : तो मैं इसमें आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि ठेकेदारों ने बड़े दिल से पूरी सफाई की है और ये गाद, इनका बताना है कि ये गाद जो है ये कोई साल पुरानी या डेढ़ साल पुरानी नहीं है ये करीब पांच-पांच, छह-छह साल पुरानी है लेकिन उस गाद को ना किसी ढलाव में डालने दिया जा रहा है और भलस्वा

में जो एमसीडी की जो जगह है, वहां पर भी उसको डालने के लिये एमसीडी ने मना कर दिया है और जहां बहुत ही संगीन दिक्कत हो रही है, वहां से गाद को उठाकर जब ढलाव पर डालने के लिये भेजा जाता है...

अध्यक्ष महोदय: एक सैकेण्ड। ये दर्शक दीर्घा से आवाज नहीं आनी चाहिये। पीछे जो बात-चीत हो रही है। ये दर्शक दीर्घा में ऊपर। चलिये।

श्री जगदीप सिंह : आपको जानकर दु:ख होगा कि एमसीडी वालों ने पीडब्ल्यूडी के आफिसर्स के चालान काट दिये और उनके हाथ में चालान दे दिये। कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के जितने महकमे हैं, उनको ये एमसीडी के द्वारा भी भाजपा की बैठी केन्द्र सरकार जो है वो काम नहीं करने दे रही। या ओमप्रकाश जी कह रहे हैं नाले नहीं साफ कर रहे तो मेरा इनसे निवेदन है कि मैं इनको अपने यहां पर वैलकम करता हूं। एक बार आकर देखें कि कितने अच्छे तरीके से सफाई की गई है।

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, पूरा हुआ विषय?

श्री जगदीप सिंह : बस यही इसमें छोटा सा मेरा एक निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी एक बार एमसीडी कमिश्नर को अपने दफ्तर में बुलायें, पीडब्ल्यूडी को बुलायें। आपस में जो कम्युनिकेशन गैप हैं कि दिल्ली की सफाई में कहीं पर भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं लक्ष्मी नगर विधान सभा से आता हूं और ईस्ट दिल्ली की अधिकांश विधान सभाएं बहुत हैपहैजर्ड तरीके से डेवलेप हुई है आपको भी पता है आप भी शाहदरा विधान सभा से हैं। ओम प्रकाश जी विश्वास नगर से हैं। मनीष

जी पड़पड़ गंज से हैं। आसपास की भी सारी विधान सभाओं का एक ही हाल है उसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। यहां पर बिजली के जो कनेक्शन वो क्योंकि हैप हैजर्ड तरीके से डेवलेप हुए हैं तो बिजली के कनेक्शन भी बड़ी हैप हैजर्ड तरीके से दिये गये और बिजली के तारों का जाल सारी गलियों में और सड़कों में इस तरीके से फैला हुआ है कि उसका हमेशा शार्ट सर्किट का खतरा बना रहता है और लक्ष्मी नगर इतना कन्जस्टिड क्षेत्र है। कृष्णा नगर से बग्गा जी हैं, अनिल वाजपेयी जी हैं वह भी इस चीज को महसूस करते होंगे कि इतना कन्जस्टिड एरियाज हैं कि अगर वहां पर आग लगती है तो वह काबू पाना बहुत मुश्किल हो जायेगा। पीछे लक्ष्मी नगर में विजय चौक के पास में आग लगी और बहुत मुश्किल हुआ उसे काबू पाना और अगर वह थोड़ी सी फैल जाती तो और पूरा का पूरा मार्किट भी जल सकता था। ऐसे कई इंसीडेंटस छोटी-मोटी आग के आजकल हो रहे हैं। ये तारों का जो पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने बीएसईएस में भी बात की है। पर इसका लांग टर्म सोल्यूशन क्या निकल पायेगा। तो सर, इसका लांग टर्म सोल्यूशन मुझे लगता है जब तक हम इन तारों को अंडर ग्राउंड नहीं कर पायेंगे। मेरे ख्याल से ओम प्रकाश जी इसमें आप भी मानेंगे कि तारों को अंडर ग्राउंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिये सर बीएसईएस को बहुत ज्यादा बड़ा कदम भी उठाना पड़ेगा।**...(व्यवधान)...** सर, आपके माध्यम से मैं ओम प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सबका करवा दें पर ये थोड़ा सा आईएम ऑन ए वेरी सीरियस नोट, अदर वाईस सर बहुत मेजर डिजास्टर जो है हम लोग देख रहे हैं कि वो हो सकता है**...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : चलिये चलिये करिये। क्लोज करिये।

श्री नितिन त्यागी : ठीक है बस इतना ही कहना चाहता हूं।**...(व्यवधान)...**

नियम-90 के अंतर्गत संकल्प का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं पारण

अध्यक्ष महोदय : भई बहुत-बहुत धन्यवाद।**...(व्यवधान)...** नियम 90 के अंतर्गत सरकारी संकल्प।

अब माननीय श्री संदीप कुमार महिला एवं विकास समाज कल्याण व अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री नियम 90 के अंतर्गत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुमति मांगेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इस पर प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मैं कानून की कुछ वस्तु स्थिति आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

श्री संदीप कुमार : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी**...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : नहीं उनको एक बार रख लेने दीजिये विषय।

समाज कल्याण मंत्री (श्री संदीप कुमार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस संकल्प को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सभी माननीय सदस्यों का संकल्प को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिये धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सब भली-भांति जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध निरंतर बढ़ते अपराधों के प्रति हमारी सरकार गंभीर रूप से चिंतित है और यह महिला सुरक्षा हमारी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा भी है और इन अपराधों में हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार, स्टॉकिंग व अभद्र छेड़छाड़ आदि शामिल हैं। इससे भी बढ़कर चिंता का विषय है ऐसे मामलों में जांच व कानून लागू करने वाली एजेंसियों का निष्पक्ष व प्रभावी ढंग से काम न कर पाना और अपराधियों को पकड़ने व उनको सजा दिलाने में विफल रहना, जिस

कारण हमारे समाज में विशेषकर महिला वर्ग में कानून व सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास उठ सा गया है और वे अपने आपको असहाय व असुरक्षित महसूस कर रही है। इस संकल्प को सदन में लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन जघन्य अपराधों के हर मामले में अपराधियों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई हो तथा जांच निष्पक्ष व प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जा सके ताकि कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से न बच पाये। इस संकल्प में दिल्ली सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अनुसार एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन का प्रस्ताव है। यह आयोग अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी महत्वपूर्ण कार्यों के साथ-साथ मुख्य रूप से वर्तमान कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ जस्टिस वर्मा समिति की सिफाारिशों को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित करने तथा ऐसी आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपायों पर अपने सुझाव देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार द्वारा उठाये गये इन ठोस कदमों से समाज में विशेषकर महिला वर्ग में कानून व सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विवास फिर से पैदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, महिला सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है और मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं महिला उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे समाज में हो, चाहे बाहर हो।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली दुनिया की नजर में भारत का आईना है महिला सुरक्षा पर राजनीति से ऊपर उठकर मेरे भाजपा के साथियों को और जो आज सत्ता में ही नहीं है दिल्ली में कांग्रेस के जो लोग समाज में गलत अफवाहें फैलाते हैं। उनको भी राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर के सोचना पड़ेगा। इसकी बहुत जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से यह संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हमेशा से बढ़ते अपराधों **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सुनिए, मंत्री जी...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, इस पर आपका...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट रुकिये। मंत्री जी ने जो संकल्प रखा है इसकी अनुमति के लिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हम कुछ कहना चाहते हैं...**(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी समय दे रहा हूं।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहे

जो इसके विरोध में है, वे न कहें

...(व्यवधान)...

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, बात तो पूरी होनी दीजिए तभी तो **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : अब बताइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : फिर मैच क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : वो तो समय चर्चा में आपको मिलेगा...**(व्यवधान)...**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : वही तो हम कह रहे हैं...**(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, एक सैकेंड। ये वोटिंग हुई है, आपने वोटिंग की बात की मुझसे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैंने कहा वोटिंग कराने से पहले एक बार हम अपना प्वाइंट ऑफ आर्डर रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा में आपको मैं समय दूंगा ना।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, चर्चा नहीं, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है पहले जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, मैं उस पर आपको Constitutional position दिखा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : किसमें?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, यही तो बता रहा हूं 239एए जो कहता है वो साफ रूप से कहा है "any arrangement that involves Constitutional division of the functional and responsibilities between the Union and Delhi Administration, Delhi should continue to be a Union Territory with a Legislative Assembly with appropriate powers. Subjects of Public Order, Police and Land should be retained with the Centre as they are matters of vital importance of which the responsibilities cannot be divided. The 69th Amendment which introduced Article 239AA of the Constitution was based on the Report of S. Balakrishnan Committee" और यह जो पूरा मैटर है आप डिस्कशन कराइये, अच्छी बात है सदन में चर्चा होती है किसी बात पर कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने की बात है यह साफ रूप से 2399एए का कॉन्ट्राडिक्शन है और यह किसी भी हालत में इस पर आपने अध्यक्ष जी, मैं आपको एक बात और बता दूं अभी तक बहुत बड़ा ब्लंडर इस गवर्नमेंट ने किया है...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी, ऐसे नहीं चलेगा। आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : वो होम सेक्रेटरी है उसको आपने नोटिस इशू कर दिया **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : ब्लंडर भी किया है, यह किया है, वो किया है **...(व्यवधान)...**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने नोटिस दिया है एस.एन. सहाय को क्योंकि उन्होंने कहा कि आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं**...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : आपने 239एए की बात कह ली**...(व्यवधान)...**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : यह पूरी नौटंकी यहां पर की जा रही है, यह साफ रूप से Additional Solicitor General of India ने जो हमारी जानकारी में आया है **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात रख ली, अब मैं अपनी रूलिंग दे दूं इस पर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उन्होंने अपने ओपिनियन दी है केबिनेट को और केबिनेट उसको ओवररूल कर रही है और कॉन्ट्राडिक्शन करके यहां पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात की जा रही है यानी की आप जानबूझ कर दिल्ली के सारे विषयों को उलझा कर लोगों को, मेरे पास एक लिस्ट है आपकी, एक दर्जन वायदे किए थे, उनका क्या हुआ, यह आपके अधिकार क्षेत्र में है, वो तो आप काम नहीं कर रहे**...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अब आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : देखिये, अपने घरवालों की स्थिति**...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, 239एए की बात आपने कर ली, अब मेरी बात सुन लीजिए। जगदीश जी, एक सैकेंड मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आपने अपनी बात कह ली...**(व्यवधान)**...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन करने का यहां पर जो यह एक नौटंकी और नाटक किया जा रहा है, मेरे पास आपका एक 26 मई का रिजोल्यूशन भी है सोमनाथ भारती जी ने पेश किया था...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आपने बात कह ली ना। विजेन्द्र जी, देखिए अब मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उसका क्या हुआ आपने यह पास किया था, यह जो आपने नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको null and void करके और अपना एक सर्कुलर निकाला था, दो दिन हाउस के खराब किए थे...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : जो होता है वो होगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप नाटक कर रहे हैं यहां बैठ कर। लोगों को गुमराह कर रहे हैं...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप गुमराह कर रहे हैं...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं रूलिंग दे रहा हूं दो मिनट रुकेंगे अब? आपने अपनी बात कह ली ना? बैठिये ओम प्रकाश जी। जगदीश जी, बैठिये। आप बैठिये दो मिनट। विजेन्द्र जी, आपने 239एए का जिक्र कर लिया, सारी बात आ गई ना?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कमीशन ऑफ इंक्वायरी के बारे में, मैं पहले जानना चाहता हूं होम सेक्रेटरी को मेमो क्यों दिया गया...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : फिर वही।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कैबिनेट को अप्राइज करा दिया। कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नाटक मत करिये।

अध्यक्ष महोदय : ये सारे विषय मीडिया के चल रहे हैं...**(व्यवधान)**...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्यों महिला की सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : चलिये, आप बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपके अपने विधायकों के खिलाफ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड दो मिनट रुकेंगे अब। मैं एक बात कह रहा हूं। व्यक्तिगत चीजें हमें नहीं उठानी चाहिए। ओम प्रकाश जी, दो मिनट रुक जाइये। जब आपको मोदी की बात आ रही है तो आपको परेशानी हो रही है...**(व्यवधान)**...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : जब कोई व्यक्तिगत अपराधी अपराध करता है ...**(व्यवधान)**...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो सार्वजनिक हो गई बात, वो व्यक्तिगत कहां रह गई ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं विजेन्द्र जी, आप मेरी तरफ देखिये। मेरी बात सुन लीजिए, आपने अपनी बात कह ली। सारा विषय आ गया अब दो मिनट

मेरी बात सुन लीजिए। अलका जी, प्लीज। सदन से बड़ा कोई कानून नहीं है। यह सदन कानून बनाता है, कानून इस सदन में बनते हैं एक बात, यहां हम सब माननीय सदस्य बैठे हैं, अब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करना और आयोग बनाना मैं दोनों बातें पूरी कर रहा हूं आयोग बनाना...**(व्यवधान)**...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : xxxx[1]

अध्यक्ष महोदय : फिर ओम प्रकाश जी आप उस पर जा रहे हैं, यह बात निकाल दीजिए। ये सारी चीजें निकाल दीजिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं मंगा लूंगा आप वहीं बैठिये। मैं आपसे वहां से मंगा लूंगा, आप बैठिये मैं मंगा लूंगा। ये पेपर ले लीजिए। मेरा यह कहना है, विजेन्द्र जी, एक बार मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए प्लीज। जगदीश जी, दो मिनट बैठिये। ओम प्रकाश जी, बैठिये बैठ जाइये प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : नहीं। बैठे हैं, आप बताइये।

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े रहिये मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप खड़े रहिये। देखिये, मेरा यह कहना है इस विषय पर जो आपने बात रखी है, उस विषय पर जब पूरा प्रस्ताव आएगा कई उत्तर उसमें आ जाये एक बात...**(व्यवधान)**...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है यह...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आपने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रख लिया ना। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में आपने किसी लॉ का जिक्र नहीं किया, किसी बात का जिक्र नहीं किया

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : किया है ना।

---

[1]xxxx अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। मैं पेपर की बात पर नहीं जा रहा हूं, पेपर को छोड़ दीजिए। आपने जो पेपर दिए हैं मेरे पास आ गये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उसको आप पढ़िये। इन्होंने कहा है कि...

अध्यक्ष महोदय : मैंने टोटल पढ़ लिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कमीशन ऑफ इन्कवाइयरी की बात की गई है।

अध्यक्ष महोदय : कमीशन ऑफ इन्कवाइयरी इस सदन में अनेकों बार गठित हुई है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कमीशन ऑफ इन्कवाइयरी उन सब्जेक्ट पर की जा सकती है जो सदन के अधिकार क्षेत्र में है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली मैं विजेन्द्र जी या तो मुझे पूरी बात कर लेने दो आप बीच-बीच में टोक रहे हैं बीच-बीच में बात आ रही है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये नाटक कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप नाटक भी कह रहे हों, कानूनी बात भी कह रहे हों, आपको परेशानी दूसरी हो रही है, मेरा ये कहना है, उप मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे भई, उप-मुख्यमंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है किसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेताओं की पार्टी दुर्भाग्य से भारतीय जुमला पार्टी बनके रह गई है। ये सबसे बड़ी पीड़ा है माननीय सदस्य की, अब इनको जुमला नाटक के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये गंभीरता से महिलाओं के बारे में बात करें, तो ये बहानेबाजी और नाटक

के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। पिछले 15 साल में ऐसी सरकारें रही हैं, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में किसी भी महिला के साथ कोई छेड़-छाड़ हो, यहां से चुने हुए नेता बहाने मारने लगते थे, किसी भी महिला के साथ घटना घटे। यहां के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आदत रही है – ये तो हमारे चुने हुए क्षेत्र में नहीं आता, सब बहाने बाज और सबके सब अपने-अपने घरों में बैठकें बेईमानी और ठेकेदारी की सरकार चलाते रहे। आज एक विधान सभा गठित हुई है, दिल्ली की जनता ने चुनके भेजी है हिम्मत वाली विधान सभा है जो संविधान का पूरा सम्मान करते हुए संविधान को पूरी तरह समझते हुए संविधान का पूरी तरह अनुपालन करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए इस्तेकबाल करती है कि हम दिल्ली की महिलाओं के मुद्दे पर संकल्प भी लाएंगे और इसपर चर्चा भी करेंगे। भाइयो, हम पूरी तरह संविधान के अधिकार क्षेत्र में हैं, संविधान के अधिकार क्षेत्र को, विधान सभा के अधिकार क्षेत्र को जब बारी आएगी तो सरकार की तरफ से ठीक से प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप अपने पूर्व मंत्री को तो सम्भाल लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी ये उचित तरीका नहीं है आपका, मुझे इस पर हाइली ऑब्जक्शन है, परिवारों में, यहां 70 विधायक हैं एक-एक के परिवारों की बात उठने दी गई ना, नहीं ये टीवी में आ रहा है तो ये टीवी में जवाब देंगे, वो अपने आप आयोग में जा रहे हैं जवाब दे रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : महिला आयोग में जाकर बात कर रहे हैं **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना कर रहा हूं वो संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री संदीप कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हमेशा से बढ़ते अपराधों और इस गंभीर स्थिति से निपटने में कानून लागू करने वाली एजेंसियों की असमर्थता, उदासीनता को गहरी व्यथा और बहुत अफसोस के साथ देखते हुए यह सदन संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 के अनुसार, एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय जांच आयेाग का गठन किया जाये, जिसके अध्यक्ष सहित तीन से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि:

इस प्रकार गठित आयोग के निम्नलिखित कार्य क्षेत्र होंगे:-

(1) जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी, 2013 से भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय आपराधिक संहिता में किए गए संशोधनों के उपरांत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, योन शोषण, स्टॉकिंग, अभद्र छेड़छाड़ इत्यादि की न सुनी गई शिकायतें प्राप्त करना तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार को इस विषय में सुझाव देना।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी एक सैकेंड रुकिए प्लीज। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं...विजेंद्र जी ये तरीका ठीक नहीं है। ओम प्रकाश जी सुनेंगे? एक बार मैं माननीय सदस्यों से विजेन्द्र जी से ओम प्रकाश जी से, जगदीश जी से प्रार्थना कर रहा हूं। सुन लीजिए बात को। विजेन्द्र जी, मैं पिछले कुछ दिनों से जब से पार्लियामेंट में गतिरोध चल रहा है मैं माननीय अटल जी को, मैं माननीय शब्द इस्तेमाल कर रहा

हूं और एक लाइन उनकी यहां आई है जिसको सब सदस्यों को सत्ता में बैठे और विपक्ष में रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अपने इस राजनीतिक जीवन में एक सैकेंड के लिए भी अपनी बात कहने के लिए वैल में जाना नहीं पड़ा, ये उनकी वर्डिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है जो लोक सभा में हो रहा है, जो लोकसभा में कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वो आप यहां कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, चलिए पढ़िए धन्यवाद।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री संदीप कुमार) : अध्यक्ष महोदय, (2) सम्बद्ध कानूनों में, यदि आवश्यक हो, जरूरी संशोधनों का सुझाव देना;

(3) जांच किए गए मामलों में से किसी मामले में प्रथम दृष्टया उदासीनता या मिलीभगत का मामला सामने आने पर इस विषय में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार को सिफारिश करना;

(4) ऐसे सभी आपराधिक मामलों में पूरी कार्रवाई जल्दी निपटाने के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(5) वर्तमान कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपायों का सुझाव देना; और

(6) आयोग द्वारा जांच के दौरान पाये गये किसी भी अन्य सम्बद्ध मामले को निपटाना।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि:

परिस्थितियों की मांग होने पर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार इस प्रकार गठित आयोग द्वारा की जाने वाली जांच का दायरा बढ़ाने हेतु पूर्णत: अधिकृत है (विपक्ष

के तीनों सदस्य सदन से बाहर चले गये) और मैं आप सभी माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं इस विषय में बड़ी गंभीरता से सोचें, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें यहां पर भेजा है। ये हमारी बहन होती है, हमारी बेटी होती है। हमारे बच्चों की सुरक्षा का विषय है और इसे हमें उस तरह सोचना पड़ेगा जब हम गांव में जाते थे तो आसपास की लड़कियां होती थी, आसपास के गांवों की जो महिलाएं होती थी तो हमारे बुजुर्ग कहते थे बेटा ये हमारे आसपास की लड़कियां, आपकी माताएं आपकी बहनें आपके परिवार के सदस्य हैं तो जो भी सदस्य इस पर चर्चा करें वो ये महसूस करें अगर कुछ गलत होगा, तो आपकी बहन के साथ होता है, कुछ गलत होता है तो आपकी बेटी के साथ होता है, अगर कुछ गलत होता है तो आपकी मां के साथ होता है, तो अब हमें भगत सिंह की तरह सोच रखनी है और इस सदन में जो ये 67 विधायक बैठे हैं और हमारे जो सेनापति हैं अरविंद केजरीवाल जी उनके जैसी सोच होती तो ये भी अंदर ही होते, ये लोग जैसे-जैसे काम करते आए हैं निहाल चंद जैसे को इन्होंने कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया है तो ये किस तरह के लोग हैं आप भली भांति जानते हैं और ये मीडिया के साथी भी सारी बातों को जानते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर बड़ी गम्भीरता से बड़ा सोच विचार के साथ पूरी चर्चा करें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। माननीय सदस्यगण इस विषय पर चर्चा करें, चर्चा में भाग लें, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं की विषय बहुत गंभीर है, हमारे मंत्रीजी ने भी इस ओर इशारा किया है हम राजनीति से ऊपर उठकर इस पर चर्चा करें। मेरे पास सदस्यों के नाम आए हैं जिन्होंने चर्चा में भाग लेना है और विपक्ष की ओर से किसी का नाम अब तक नहीं आया और वे बाहर भी चले गये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस विषय पर, मैं फिर एक बार दोबारा कह रहा हूं राजनीति से

ऊपर उठकर आज दिल्ली की एक-एक महिला हमारी ओर देख रही है, मुख्यमंत्री जी की ओर देख रही है, इस सरकार की ओर देख रही है और राजनीति से ऊपर उठकर इस चर्चा में भाग लें मेरी ये सबसे प्रार्थना है, भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ : शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार के सभी कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मंत्री हम सभी का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। महिला सुरक्षा, ये सबसे ज्यादा गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर एक विशेष सत्र बुलाने की जो कोशिश, जो प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है, उसके लिए मैं तहे दिल से दिल्ली की समस्त महिलाओं की तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। ये विशेष सत्र बुलाया जाना इस बात का भी प्रमाण है कि महिला संरक्षा और सुरक्षा हमारी सरकार की कार्य सूची में सर्वोपरि है। हम दिल्ली सरकार के चुने हुए सभी नुमाइन्दे महिलाओं की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध हैं और जहां तक मुझे याद पड़ता है अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी ने जब अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया तो उसे महिला सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम सभी चुने हुए विधायक गंभीरता से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उसके विशेष बिन्दुओं के ऊपर विचार-विमर्श करके कोई न कोई परिणाम निकालने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, भारत में महिलाओं की स्थिति में पिछली कुछ सदियों में बड़े भारी बदलाव देखने को मिले हैं। प्राचीन काल में पुरुषों की बराबरी की स्थिति से लेकर के मध्यकालीन युग के निम्नस्तरीय जीवन और साथ ही में कई सुधारकों द्वारा सामान अधिकार को बढ़ावा दिये जाने से लेकर भारत की महिलाओं के इतिहास में गतिशील परिवर्तन हुए है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी बनी हैं,

मुख्यमंत्री भी बनी हैं, लोक सभा की अध्यक्ष भी बनी हैं, प्रतिपक्ष की नेता भी बनी हैं। ये हम महिलाओं के लिए गौरव का विषय रहा है। अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा सभी की एक बुनियादी जिम्मेदारी है, बुनियादी जरूरत है। दुनिया भर के सभी शहरी समुदाय और उनमें रहने वाली लाखों लड़कियां और उनमें रहने वाली लाखों महिलाओं को निजी सुरक्षा मिले, ये वहां की सरकार का, राज्य सरकारों का निजी कर्त्तव्य होता है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, ये अपने आप में बहुत भारी प्रश्न है। मन में कई बार कई प्रकार के सवाल आते हैं। क्या बदलते हुए दौर में ये जो आने वाली हमारी नई पीढ़ी है ये महिलाओं को उस तरह का सम्मान दे पाएगी, जैसा मिलना चाहिए? दूसरा प्रश्न कई बार मन में आता है कि क्या बलात्कार जैसे घटनाओं को रोक पाना सम्भव है और यदि है तो कैसे और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? ये सब प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तीसरा प्रश्न महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसक घटनाओं के लिए कौन जिम्मेवार है? ये सब सदन के माध्यम से मेरे प्रश्न हैं जो लगातार एक महिला होने के नाते मेरे मन में भी आते हैं। लेकिन उनका जवाब दे पाना अपने आप में असम्भव होता है।

अध्यक्ष महोदय, राजधानी में दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के अपराध मानचित्र के अनुसार 2728 केस चेन स्नैचिंग हुए, 1277 केस महिला उत्पीड़न के हुए, 527 केस रेप के दर्ज हुए, 2014 में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता हुआ जो अपराध का जो एक आंकड़ा था, वो लगभग 18.3 प्रतिशत बढ़कर के सामने आया है। हत्या के मामले में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। लापता बच्चों की संख्या में 12.11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है और बलात्कार के मामले 31.06 बढ़कर के सामने आये हैं। हत्या, दहेज को लेकर के जिन महिलाओं की, जिन मासूम लड़कियों की हत्या कर दी गयी है, 2013 में 137 मामले सामने आएं और 2014 के अंदर इनकी संख्या

बढ़ करके 147 हो गई। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने घरेलू महिला दहेज हत्या, उत्पीड़न, रेप जैसे 9786 मामले सामने आये। अपराधों के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है वहां 6110 सबसे ज्यादा अपराध के मामले सामने आये और दूसरे स्थान पर 1179 मामले दिल्ली में सामने आये और दिल्ली में अपराध के मामलों के अंदर सबसे दूसरे नम्बर का कोई बड़ा राज्य है तो दिल्ली राज्य है और उसके बाद में हरियाणा में 504, राजस्थान में 447 और बिहार में 256 केस सामने आए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगी अगर हमारे विपक्षी बन्धु अभी होते तो शायद इस बात को लेके नाराज होते। हमारे प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है गुजरात और वहां एक गैर-सरकारी संगठन ने अभी कुछ ही दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज को, उन्होंने उसमें एक रिपोर्ट उन्होंने उसमें भेजी अपने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज को और उसमें बताया कि गुजरात में 63 प्रतिशत लड़कियां यौन उत्पीड़न का शिकार हैं। ये अपने आप में बहुत शर्म वाला मुद्दा है। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने राज्य को नहीं संभाल सकता, अपने घर को नहीं संभाल सकता, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। मैं बताना चाहूंगी कि आपको उस संगठन में गुजरात के अंदर बेटी बचाओ का नारा दिया है बच्चियों को बचाओ ये चिंता का विषय बन गया है गुजरात के लिए। 16 दिसंबर को दिल्ली में एक सामूहिक बलात्कार हुआ हमारे दो कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी उनके हाथों में तख्तियां आ गयी जिसके ऊपर लिखा हुआ था नारी जाति का अपमान, नहीं सहेगा हिन्दुस्तान और दूसरी तख्ती के ऊपर बहुत हुआ ये अत्याचार, बहुत हुआ नारी पर वार, बन्द करो ये अत्याचार। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, ये केवल चुनावी नारे थे। चुनाव जीतना था, सत्ता में आना था। नहीं तो भारत जहां महिलाओं का एक इतिहास रहा

है, महिलाओं को हमेशा एक सम्मान की दृष्टि से देखा गया है और वहां एक विदेश मंत्री और एक शिक्षा मंत्री जो कि स्वयं में महिला है और महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है और वो आंखें बंद करके बैठी हुई हैं और मुझे तो लगता है कि दिल्ली के अंदर अगर अपराध के मामलों की गणना हम करें तो शायद जनसंख्या वृद्धि का स्तर कम तेज गति से दौड़ रहा होगा लेकिन अपराधों की गति उससे ज्यादा कहीं तेज है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। लोक सभा टीवी में एक महिला पत्रकार काम करती थी जिनका नाम अर्चना शर्मा है। उनके साथ उनके ऑफिस में जब कुछ इस तरह की घटनाएं व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ कुछ घटनाएं हुई तो उन्होंने अपना पत्र लिखकर अपने एडिटर को दिया और केवल महिला सुरक्षा के लिए जो उन्होंने पत्र लिखा उसके बिहाफ पर उस चैनल ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह की घटनाएं लगातार भारत वर्ष के अंदर होती आयी हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस समस्त सदन को कहना चाहूंगी कि जब तक देश का नेतृत्व महिलाओं के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाता तब तक महिलाओं के लिए ये सब अधिकारों की बात करना, संरक्षा की बात करना, सुरक्षा की बात करना ये सब अपने आप में बेमानी हो जाता है क्योंकि महिला, केवल एक बेटी नहीं है, अपने आप में एक पत्नी नहीं है, वो केवल मां नहीं है, वो लोकतंत्र की एक सम्मानित नागरिक है। इसीलिए उसे सम्मान चाहिए क्योंकि नारी को सम्मान देना आता है और जो वो दे सकती है वो बदले में ले क्यों नहीं सकती। अपने आप में एक बहुत भारी प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, अभी दिल्ली सरकार ने एक एप्स लांच किया है हिम्मत नाम से और मैं कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि शायद आप मेरे इस शब्द को गलत मानेंगे या सही मानेंगे लेकिन ऐसा लगता है कि ये महिलाओं के मामले को लेकर जब-जब दिल्ली सरकार के चुने हुए नुमाइन्दों ने इस बात को उठाया है तब-तब हमारे एलजी साहब

और हमारे पुलिस कमिश्नर की जिस तरह से जो बातें निकलकर के सामने आयी है, उनके विचार सामने आएं हैं तो हमें भी ऐसा लगने लगा है कि शायद हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मिस्टर बस्सी और हमारे एल.जी. साहब वो शायद अपनी-अपनी कार्यशैली को, अपने व्यवहार को भूल गये हैं और मात्र उन्होंने केवल एक संदेशा दिया है कि वो केवल मोदी सरकार के और सिर्फ मोदी जी के प्रवक्ता बनाकर रह गये हैं। अभी थोड़े दिने पहले मैं मीडिया के माध्यम से देख रही थी कि बस्सी साहब कह रहे हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि आप हम से डिबेट कीजिए। शर्म आती है हमें ये बात कहते हुए। एक चुनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जो इतने भारी बहुमत से चुनकर के आए हैं, जनता ने इतना विश्वास उनके अंदर व्यक्त किया है उन्हें एक अदना ऑफिसर ये कह करके अपमानित करे कि आप हमसे डिबेट कीजिए। एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जो इतने भारी बहुमत से चुनकर के आए है। जनता ने इतना विश्वास उनमें व्यक्त किया है उन्हें एक अदना सा ऑफिसर यह कहकर के अपमानित करें कि आप हमसे डिबेट कीजिए आप हमसे आमने सामने की डिबेट कीजिए। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय बस्सी जी को कहना चाहती हूं कि अगर वो मोदी जी के प्रवक्ता है वो वास्तव में मोदी जी के प्रवक्ता है, अगर उन्हें डिबेट करनी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवक्ता के साथ ही बैठकर डिबेट करें। अगर उनकी हिम्मत है तो आए डिबेट करने के लिए हम दूध का दूध पानी का पानी करना जानते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने एक हिम्मत करके एक एप्स लांच किया है हालांकि मुसीबत के समय में सिर्फ सूचना पहुंचाने का ये काम से एक अच्छा तरीका है अपने आप में। लेकिन हम उस समाज में रहते हैं जहां लोगों के सामने घटना होती रहती है और वो मूकदर्शक बनकर के तमाशा देखने का काम करते हैं। निर्भया के मामले में भी यही हुआ, मीनाक्षी के मामले

में भी यही हुआ और दिल्ली में हाल ही में एक बच्ची के ऊपर एसिड डालकर के एटैक किया गया था वहां भी बहुत सारे लोग दर्शक बनकर के मूक होकर के उस घटनाक्रम को देखते रहे, पीड़िता रोती रही चिल्लाती रही लोग तमाशा देखते रहे और इससे भी आगे बढ़कर के यह सवाल है कि इस एप्स पर सूचना मिलने पर पुलिस की अपनी खुद की कितनी तैयारी है। अध्यक्ष महोदय मैं पूरे सदन को कहना चाहूंगी कि तकनीक के तंत्र को आप नियंत्रित कर सकते है लेकिन मानव का जो तंत्र है ये पुलिस विभाग का जो तंत्र है, उसे आप कैसे नियंत्रित करेंगे, यह अपने आप में बहुत गहरा विषय है और मुझे लगता है कि बार-बार पुलिस की कार्य प्रणाली को देखकर के सिर्फ एक बात ही मन के अंदर आती है कि जब लगातार पुलिस के काम करने के तरीके पर, उनके व्यवहार पर इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं तो इस एप्स जैसा ये जो एक सॉफ्टवेयर इन्होंने लांच किया है, उसके अपने आप में कोई मायना किसी तरह का नही है...

अध्यक्ष महोदय : भावना जी कन्क्लूड कीजिए।

सुश्री भावना गौड़ : वैसे भी सर ये हमारा ही विषय है और मुझे लगता है कि आज तो हम 6 महिलाएं है सदन के अंदर है और शायद आपको हमें नहीं रोकना चाहिए। अभी जर्मनी के म्यूनिख शहर के एक पुलिस के प्रमुख ने एक एडिटोरियल न्यूज पेपर में छापा और उन्होंने उसमें बताया कि जर्मनी की पुलिस 5 से 7 मिनट के अंदर जहां भी इस तरह के अपराध महिलाओं के साथ होते हैं, उस घटना स्थान के पर वे पहुंचते हैं, दोषी को गिरफ्तार करते है और पीड़िता को तुरंत सहायता देने का काम करते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगी अभी हाल ही में बदायूं में

पुलिस वालों ने 14 साल की एक बच्ची को बदायूं के थाने के अंदर खींचकर उसके साथ में रेप किया। इसीलिए ये देखना जरूरी है कि पुलिस के दिमाग के तंत्र की इंजीनियरिंग कैसे की जाए। जिस देश में खुद पुलिस रक्षक से भक्षक बन गयी है, वहां इस तंत्र की बात अपने आप में कोई मायने नहीं रखती।

अध्यक्ष महोदय मैं दो तीन सुझाव सदन के सामने प्रस्तुत करूंगी ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्कोप क्राइसिज सेन्टर बनाने की योजना हमारी सरकार की तरफ से रखी जानी चाहिए ये मेरा सुझाव है अति पीड़िता महिला और जगह–जगह पर भटकना नहीं पड़े जांच के लिए डॉक्टर, कानूनी सलाह और पुलिस की कार्रवाई के लिए अधिकारी एक ही सेंटर पर उपलब्ध हो सकें। दूसरा, सरकार को सबसे पहले कानून व्यवस्था भी सुधारनी पड़ेगी जब तक यह मानसिकता रहेगी कि मैं तो छूट जाऊंगा तब तक महिला अपराधों को रोका नहीं जा सकेगा। तीसरा, समाज को तमाशबीन बनाने की बजाय सामूहिक तौर पर जिम्मेवारी लेनी होगी और उनको आगे आना होगा और विशेष तौर पर मैं इस सदन के माध्यम से इस बात को रखूंगी ये मेरी तरफ से एक प्रस्ताव भी है कि एक संवैधानिक आयोग महिला की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमारी सरकार को तय करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने जो 67 विधायक हम जीतकर के आए हैं उसमें से 6 की संख्या हम महिलाओं की है और हम 6 महिलाएं दिल्ली की समस्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है और हम इस चीज के लिए वचनबद्ध है कि दिल्ली में किसी भी महिला के साथ में अगर कोई अपराध होगा कोई हिंसक घटना घटेगी, उसके लिए कानून बनाने के काम और उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने जुर्म किया है, उसे दोषी ठहराने का काम उसको सजा दिलवाने का काम इस सदन की महिलाएं करेंगी। अंत में एक कवि की दो पंक्तियां कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगी:–

"बहुत कुछ करना है, ढालना है, बनाना है, सजाना है, संवारना है तो देर कैसी हाथ चलाओ, समय न गंवाओ, गड्ढे से मिट्टी निकालो, पत्थरों को तराशो, आओ हम सब मिलकर दिल्ली की महिलाओं को सुक्षरित और सशक्त बनाएं"। बहुत-बहुत धन्यवाद जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, अलका लांबा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात रखने से पहले मेरी नजर जब ऊपर गयी तो मैंने देखा हमारे स्कूल से बेटियां भी आज इस सदन से बहुत उम्मीद लेकर यहां पर आयी है कि निर्भया के आंदोलन में अध्यक्ष जी मैंने भी हिस्सा लिया ये सोचकर कि बहुत कुछ बदलेगा उस समय हम व्यवस्था से बाहर थे, इसलिए हम चीख चिल्ला रहे थे कि हमें न्याय दीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए। उस समय और आज में अध्यक्ष जी, मैं अपने आप में बहुत बड़ा फर्क भी इसलिए महसूस कर रही हूं क्योंकि उस समय हम आंदोलन से और सिस्टम से बाहर होकर के एक आंदोलनकारी साबित हुए। आज हम उस व्यवस्था का हिस्सा बन चुके है जिससे उम्मीद लेकर ये बच्चियां हमारे अपने स्कूल की कक्षा को छोड़कर यहां पर बहुत उम्मीद लेकर आयी है। मैं इन बच्चियों के लिए दो शब्द कहूंगी उनके मां, बहन, बेटियां व महिलाएं जो यहां पर आयी है। मैं कहूंगी जिस सदन से जो उम्मीद लेकर यहां पर आयी है ये सदन आपको यकीन दिलाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय अरविन्द केजरीवाल जी और हमारे महिला विकास मंत्री श्री संदीप जी। मुझे खुशी है कि महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जी हमारे बीच में है। मैं आप सबको दो शब्द कहकर अपनी बात को आगे रखूंगी:

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है
सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।

अध्यक्ष जी भावना गौड़ जी ने अभी बहुत सारे डाटे और आंकड़े आपके सामने रखे हैं। मैं फिर वही कहूंगी कि निर्भया से लेकर आज तक बदला क्या है। जस्टिस वर्मा आयोग 23 दिसम्बर, 2012 को निर्भया के बाद गठन हुआ, एक महीने के अंदर जस्टिस वर्मा आयोग और जस्टिस वर्मा को भी याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहूंगी जस्टिस वर्मा ने इतिहास रचा सबसे कम समय पर आपराधिक कानूनों के संशोधन संबंधी समिति के माध्यम से ऐसे सुझाव दिए जिसे पढ़कर महसूस हुआ अगर जस्टिस वर्मा आयोग समिति के एक-एक भी सुझाव को मान लिया गया होता, इंप्लीमेंट कर लिया गया होता तो निर्भया के बाद मीनाक्षी कांड नहीं होता। कहां चूक रह गयी, कहां व्यवस्था में कमी रह गयी कौन ऐसी कमजोर कड़ी है जो अपनी जवाबदेही से पीछे हट रहा है। अध्यक्ष जी दु:ख होता है मैं आपके ही सामने बता रही हूं चंद्रावल में 14 साल की बच्ची के पिता 30 जुलाई को अभी पिछले महीने रात को मुझे रोकर फोन करते हैं कि चंद्रावल में रहते है, सिविल लाइन थाना पड़ता है, मेरी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। मैं थाने गई, थाने में एक व्यक्ति उस समय वहां उपलब्ध था, महिला पुलिस नहीं थी। उस समय पिता ने अपनी गुहार थाने में जो भी थे, उनसे लगायी। उन्होंने कहा कि बच्ची के पूरे भविष्य का सवाल है, मैं आपको राय देता हूं कि आप समझौता कर लीजिए, यह बहुत पुरानी बात नहीं 30 जुलाई की बात है। मैंने तुरन्त डीसीपी मधु वर्मा जी को फोन लगाया किन्हीं कारणों से वो फोन नहीं उठा पाए। मैंने उन्हें तुरन्त टिविट किया क्योंकि वो सोशल मीडिया पर, एक अच्छी बात है, सबके लिए उपलब्ध रहते है, उससे पहले उनका जवाब आता मैंने ऐसीपी को फोन किया। ऐसीपी ने तुरन्त इस बात का मुझे यकीन दिलाया कि मैंने एसएचओ को थाने में कह दिया पिता को अपनी बेटी के साथ थाने भेजिए और कार्रवाई होगी। मैं यह पूछना चाहती हूं कि उस पिता को अपनी बच्ची के न्याय के लिए हमारी जरूरत आखिर

क्यों पड़ी? इतना ही नहीं 11 जुलाई को फिर हरी नगर में रहने वाली एक लड़की ने, इसी तरह का एक लड़का जो है किस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइटस फेसबुक पर मिला और किस तरीके से वह उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उससे पैसा ऐंठ रहा है, उसे धमकियां दे रहा है। मैंने फिर उसे राय दी कि तुम हरी नगर पुलिस स्टेशन जाओ। वो लड़की ठोकरें खाती रही लेकिन आज की तारीख में भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं है।

तीसरा केस अशोक नगर थाने का है। ये 12/07 का है। ये लड़की उत्तराखंड की है जो अशोक नगर थाने के तहत आता है। उसका मेल मेरे पास है। हमारे जो गृह सचिव हैं, मैं खुद उनसे मिली। लड़की का वो मेल उन्होंने मुझे फारवर्ड करने को कहा मैंने उन्हें किया और वो लड़की भी दर-दर ठोकरें खाती रही, असुरक्षित महसूस करती रही। उसके पास पूरी रिकार्डिंग थी कि लड़का किस तरीके से उसके घर आकर जो उसे जान से मारने की धमकी देकर जाता है। लेकिन एफआईआर नहीं होती। अध्यक्ष जी, इंदिरा गांधी टैक्नीकल इंस्टीट्यूट फोर वूमेन है, मेरी ही कश्मीरी गेट विधान सभा में पड़ता है। वहां की भी जो महिला कर्मचारी है, उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाये हैं। जब मैं वहां पर इंस्टीट्यूट में गई तो मैंने उससे पूछा कि क्या जस्टिस वर्मा के आयोग के मुताबिक हर काम करने वाले स्थानों पर विशाखा गाइड लाइन के तहत कमेटी होनी चाहिए जो इस तरह की शिकायतों की सच्चाई को जाने और जरूरी कानूनी कदम उठाये। लेकिन उस समय तक जब तक मैं नहीं गई थी, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चार ऐसे मैं आपको वाक्या बता रही हूं। अध्यक्ष जी, देश के आज आंकड़े भावना जी ने बताये मैं फिर बताऊंगी देश में रोजाना हर रोज लगभग 93 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है हर रोज और दिल्ली की अगर बात कहूं हर रोज अगर हम यहां पर भी बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम मुझे डर है कि

कहीं न कहीं दिल्ली के किसी कोने में कोई हमारी बच्ची जो है, हमारी बेटी बलात्कार का शिकार हो रही होगी। ये मैं नहीं, आंकड़े बताते हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं। मैं आपसे कहूंगी जिस्टस वर्मा रिपोर्ट में, मैं अभी एनडीटीवी के एक शो में लाइव डिबेट में थी। पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री कौल साहब वहां पर थे उन्होंने कहा इसके पीछे एक कारण है – पुरुष मानसिकता। पुलिस नहीं, पुरुष मानसिकता दोषी है। वही पुरुष मानसिकता पुलिस में भी है। वहीं पुरुष मानसिकता जब पुलिस में चली जाती है तो बंदूक की नौक पर एक बच्ची के साथ एक 23 साल की लड़की का बलात्कार हो जाता है और अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो मुझे भी नहीं लगता उस लड़की को भी कहीं न्याय मिलता। इतना ही नहीं वही पुरुष मानसिकता जिसका जिक्र हमारे पूर्व कमिश्नर कौल साहब कर रहे थे। ये वही पुरुष मानसिकता है जो पुलिस में शामिल हो जाती है और एक 23 साल की एक लड़की अपनी कॉलेज के एडमिशन के लिए जब आती है तो उसे तीन साल तक उस लड़की का किस तरीके से बलात्कार किया जाता है और उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती। ये बताती है ये पुरुष मानसिकता जो समाज में है। अध्यक्ष जी मैं समझ सकती हूं लेकिन अगर यही पुरुष मानसिकता पुलिस के अदंर चली जायेगी तो हम किससे सुरक्षा की मांग करेंगे ये एक गंभीर मुद्दा है। जेन्डर सेंटेजाइेशन की बात होती है। दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा की बात कर रही है, ट्रेनिंग की, मार्शल ट्रेनिंग की बात कर रही है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की और बस्सी साहब, सबसे बड़ी बात उन्होंने हिम्मत की, मैं दाद देती हूं। उन्होंने कहा कि महिलायें, आप भी सुन लीजियेगा, बस्सी साहब ने ये कहा कि कोई भी बच्ची या महिला अगर किसी तरह, इसी तरह से बलात्कार या किसी तरह से शिकार बनाया जाता है और अपने बचाव में वह हमला करती है और अपराधी की या हमलावर की मृत्यु हो जाती है तो उस में आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज नहीं होगा। ये

एक अच्छा कदम है मैं कहूंगी, बचाव का पूरा हक मिलना चाहिए इन बच्चियों को। मैं दिल्ली सरकार से कहूंगी, शिक्षा मंत्री से भी कहूंगी। हर स्कूलों में कम्पलसरी कर दिया जाये कि हमारी बच्चियों को सुरक्षित होने की भावना के लिए एक हमारी कम्पलसरी ट्रेनिंग कर दी जाये कि हर बच्ची को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इतनी ही नहीं, मैं एक और कदम आगे बढ़कर अपने शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि पेपर स्प्रे लाल मिर्ची पाउडर का एक स्प्रे है, वह बाजार में भी मिलता है, आप घर पर भी बना सकती हैं। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के साथ हो सके तो एक मुहिम के तहत एक जागरुकता अभियान के तहत इन बच्चियों को अपनी सुरक्षा के एक हथियार के तौर पर ब्लैक जो है, मिर्ची पाउडर स्प्रे जो है, वह दिल्ली सरकार को बांटना चाहिए हर स्कूल और हर कॉलेजों में ताकि इनमें एक विश्वास पैदा हो सके कि हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है।

अध्यक्ष जी मैं एक डाटा बता रही हूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है कि 53 जो हमारी सबसे बड़े शहर हैं, उसमें दो शहर पाये गये, जो सबसे ज्यादा आज गंभीर हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर अपराध हो रहे हैं नं. 1 पर ग्वालियर जहां पर खुद भाजपा की सरकार एक नहीं पंद्रह सालों से है और ग्वालियर आज आप देखेंगे कि 73.9 प्रतिशत महिलाओं के प्रति अपराध भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और दूसरे नं. पर दिल्ली जो केंद्र शासित राज्य है जिसमें केंद्र में खुद फिर भाजपा बैठी है इसमें 59 प्रतिशत महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। दस ऐसे राज्य है, दस ऐसे शहर हैं जो खाली मध्य प्रदेश में आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा इन 53 राज्यों में जो है, मुझे लगता है कि नरेन्द्र मोदी सरकार से मैं इसलिए भी उम्मीद करती हूं, अध्यक्ष जी, बहुत नारे दिये थे बहुत हुआ महिलाओं पर राज अब की बार मोदी सरकार। मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं एलजी साहब जब

ये कहते हैं कि मैं ही सरकार हूं तो जब आप सरकार हैं तो महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। इनके प्रति जवाबदेही भी एलजी साहब आपकी होगी। बस्सी साहब कहते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री आप मेरी बॉस नहीं हैं। चलिये, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार अगर हम सदन में स्वीकार कर लें कि बस्सी साहब दिल्ली की चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री आपके बॉस नहीं है। इस हैसियत से ये आपको आदेश भी नहीं दे सकते पर हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं राजनीति का हथकंडा मत बनिये, मत खेलिये केन्द्र में बैठी मोदी सरकार के हाथ में। क्योंकि आपका एक-एक कदम ही ये साबित करता है आज ये सदन भी जब बुलाया गया अध्यक्ष जी ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है देश के किसी राज्य में महिलाओं के, केन्द्र हो या राज्य हो ये पहली बार किसी राज्य की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को इतनी गंभीरता से लेते हुए इस तरीके से एक खास एक स्पैशल सदन बुलाया जहां पर हमारी बच्चियां-मां-बहन-बेटियां पूरी दिल्ली से यहां पर एक उम्मीद लेकर आई हैं। मुझे लगता है आज की चर्चा जस्टिस वर्मा आयोग के सुझावों पर अगर हम ये फैसला करते और सबसे बड़ी जांच आयोग की जो बात है मैं इसका स्वागत करती हूं ये जांच आयोग बिल्कुल बहुत एक समय की मांग है। अध्यक्ष जी, ये जांच आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि क्या एफआईआर समय पर हो रही है, या नहीं हो रही। एफआईआर हो रही है तो क्या गवाहों को या पीड़िता को किसी तरीके का लालच या दबाव देकर जो है केस से हटने को तो नहीं कहा जा रहा। क्या उनको आर्थिक मदद मेडिकल, लीगल सुविधाएं सब मिल पा रही है या नहीं। क्या उन्हें अंत में न्याय मिल पा रहा है या नहीं। मैं स्वाति जी को फिर धन्यवाद और इनकी बात की तारीफ करूंगी कि आप अध्यक्ष बनने के कुछ घंटों के बाद ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर कोई जाने में भी शर्म महसूस करता है। इस देश में हम ये

नहीं तय कर पा रहे कि वेश्यावृति का धंधा कानूनन है या गैर-कानूनी है। अगर गैर-कानूनी है तो पुलिस की नाक के नीचे वह धंधा फल फूल कैसे रहा है? देश के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष केन्द्र में बैठी नरेन्द्र मोदी सरकार ने नियुक्त किया था उस अध्यक्ष को। आज उनका अता पता नहीं है वे कहां गई उनकी गलती कहें या कमी, ये थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी कहीं न कहीं जीबी रोड की हमारी जो बहनें वेश्यावृति में हैं, उनके दर्द से वाकिफ थी और उन्होंने टीवी डिबेट में इसका समर्थन कर दिया कि इस देश में वेश्यावृति के कानूनन अमलीजामा में कानून के दायरे में लाने पर जरूर इस देश में चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ उन्होंने ये बात कही और आज उनका पता नहीं कि वे राष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं तो हैं कहां पर और आज वहीं कमजोर करने का काम हमारी महिला आयोग को भी कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : लाम्बा जी कन्कलूड करिये।

सुश्री अलका लम्बा : जस्टिस वर्मा आयोग की जो सिफारिशें हैं मैं उस पर बात करते हुए आपसे फिर कहूंगी। मैं एक छोटा सा अपना उदाहरण इसलिए दे रही हूं कि पिछली अगस्त एक साल होने वाला है सोशल मीडिया पर मेरी भी कुछ तस्वीरें डाली गई। बहुत लोगों ने कहा आप चुप रहोगी तो दूसरों को क्या संदेश मिलेगा। मैंने साइबर क्राइम जाकर एक साल पूरे होने वाला है अध्यक्ष जी, अपनी कम्पलेंट दर्ज करवायी और 40 लोगों के खिलाफ सबूतों के साथ एफआईआर दर्ज कराई और एक साल हो गया है। एक साल के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं और एक और चीज सबसे चौंकाने वाली, जब मैं वहां पर गई, जिनके खिलाफ 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर है उनकी तस्वीरें मुझे दिखाई गई और शर्म आती है कहते हुए जिन लोगों

को मैंने मुझे आईडेंटिफाई करने को कहा गया कि 40 लोगों की एफआईआर क्या यही लोग हैं और वो उन लोगों की तस्वीरें बहुत दुर्भाग्य होता है महिला सुरक्षा के बात पर जब हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए उन लोगों के 40 में से कुछ लोगों की तस्वीरें थी और मुझे कहा पहचानिये तो आप सोच सकते हैं कि राजनैतिक पार्टियों का कुछ नेताओं का इस तरह के अपराध करने वालों को कितना संरक्षण होता है। इसीलिए ये अपराध जो है फल फूल रहा है। इसलिए अपराध कम नहीं हो रहा जैसे संदीप जी ने कहा जब निहाल चंद जैसे केंद्रीय मंत्री बैठे होंगे देश की पार्लियामेंट में तो क्या मिलेगा। एक और महिला मैं फिर कहूंगी सदन में जिक्र करूंगी उस बहन के लिए भी...

अध्यक्ष महोदय : अलका जी अब कन्कलूड करिये प्लीज कन्कलूड करिये।

सुश्री अलका लम्बा : बहन अध्यक्ष महोदय, यशोदा बैन आदरणीय श्रीमती यशोदा बैन मोदी एक सूचना के अधिकार कानून के तहत दर-दर की ठोकरें खा रही हैं ये जानने के लिए कि प्रधानमंत्री की पत्नी होने के नाते मेरे हक और अधिकार क्या हैं जो सुरक्षा मुझे दी गई है वह किस हैसियत से दी गई है उस सुरक्षा से मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हूं कि कहीं मेरे साथ कोई घटना न हो जाये। ऐसी जब बात होती है तो बिल्कुल उम्मीद की किरण कम होती है। मैं बिल्कुल खत्म करके अंत में फिर जिनसे मैंने अपनी बात को शुरू किया था, वहीं से अपनी बात को अपनी बेटियां अपनी बच्चियां जो स्कूल से आई हैं, मैं कहूंगी ये सदन बहुत गंभीर है दिल्ली की तमाम मां बहन बेटियों को सुरक्षा देने के लिए। मैंने शुरू में दो लाइनें कही। अंत में भी दो लाइनें आपको कह रही हूं विश्वास रखियेगा इस सदन के ऊपर, इस दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर। हम हर स्तर पर जाकर आपके लिये लड़ाई लड़ेंगे।

जितना हमारे बस में उतना तो हम करेंगे। जो हमारे अधीन नहीं है मोदी जी की पुलिस, मोदी जी के एलजी हम वहां तक भी आपके लिये लड़ाई लड़ेंगे और जब तक आपको सुरक्षा कवच में नहीं ले आयेंगे, हम यहां पर चैन से बैठेंगे नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ये ऊपर गेलरी में नो क्लेपिंग। कोई क्लेप नहीं करेगा ऊपर।

सुश्री अलका लम्बा : मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं।

हिंद की है नारियां, हिंद की है नारियां जलती चिंगारियां,
हिंद की है नारियां जलती चिगारियां,
समझे न कोई हमें फूलों की क्यारियां, हम हिंद की नारियां।

जय हिंद जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : श्री जरनैल सिंह जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री जरनैल सिंह जी, राजौरी गार्डन।

श्री जनरैल सिंह (रा.गा.) **:** अध्यक्ष महोदय आपने एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बोलने का वक्त दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये शायद दिल्ली की विधान सभा में भी एक शर्मनाक दिन होगा खासकर विपक्ष के इस रवैये को देखते हुए जब दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा पर बहस हो रही है। जब एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने की बात हो रही है और विपक्ष की जो सारी बैंचेज हैं, वो खाली हैं। वो लोग बॉयकॉट करके चले गये और इस चर्चा में हिस्सा तक लेना नहीं चाहते। मैं यह सोचता हूं कि आज जब दुनिया चांद से ले के मंगल ग्रह से तो आगे तक पहुंच चुकी है लेकिन अभी भी मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं। कुछ समय पहले मैं सोचा करता था कि

अब हालात बदल चुके हैं शायद पंक्तियां मैं सही में कह पाऊं के नहीं। हे भारत की अबला नारी आंचल मैं है दूध आंखों में पानी, तेरी यही कहानी। क्या ये अभी तक रहेगा। जब वो गर्भ में आती है तो गर्भ में मारी दी जाती है। उसकी भ्रूण हत्या हो जाती है। दिल्ली के अंदर अभी भी पुरुषों का अनुपात देखें तो महिलाएं कम है तब एक डर में जीती हैं कि शायद मुझे मार न दिया जाए। अगर वो आ जाती है तो जितने भी आंकड़े उठा कर देख लीजिए जो भी यौन उत्पीड़न से लेके होते हैं उसमें अधिकतर वो हैं कि या तो उसके परिवार के आस-पास के लोग जो हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं है। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, स्कूल कॉलेज जाने लगती है तो एक डर में जीती है। अगर वो कहीं पढ़ाई-लिखाई कर रही है। कहीं नौकरी कर रही है तो आने जाने में कभी ईव-टीजिंग हो रही है। कभी बस में चढ़ती है तो हालात खराब होते हैं। कभी बाजार में जाती है तो मैं सोचता हूं कि उसकी जिंदगी कैसी है। फिर शादी हो जाती है तो शादी हो के दहेज का दानव उसके ऊपर आ जाता है। कैसी जिंदगी क्या हम उसको एक आजादी, एक अच्छा जीवन अभी तक नहीं दे पाये आज 2015 तक। मुझे गुरू नानक साहब की भी वो पंक्तियां याद आती हैं "सो क्यों मंदा आंखिये जित जम्मे राजान" जिन्होंने राजाओं को पैदा किया है एक मानसिकता भी है हमारी उस मानसिकता को दूर करने की जरूरत है। लेकिन अब अगर बात करें दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर। दिल्ली की कानून और व्यवस्था ये केन्द्र के हाथ में है। ये मोदी सरकार के हाथ में है। ये राजनाथ सिंह जी के हाथ में है। लेकिन अफसोस होता है कि उनके पास वक्त तक नहीं है कि दिल्ली की कानून और व्यवस्था के लिए दो घंटे भी निकाल सकें। उनके पास इतना वक्त नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यदि आपके पास वक्त नहीं है दिल्ली के लिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए तो कृपा कर दिल्ली पुलिस को हमारे अंतर्गत ले आइये।

तो क्या गलत कह दिया? हम लोग जो प्रतिनिधि बनकर आये हैं। देश में एक शासन है दिल्ली में एक शासन है। हम लोग कोई राजनीतिक रोटियां सेंकने नहीं आये हैं। लोगों को सुरक्षा देना उनकी जिंदगी को कुछ बेहतर बनाना। उसकी सेवा मिली है हमें अगर वो सेवा आपसे नहीं हो रही है और एक व्यक्ति एक चुना हुआ प्रतिनिधि एक मुख्यमंत्री कहता है कि वो सेवा मुझे दे दीजिए तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? हम जितना मर्जी बोल लें दिल्ली की पुलिस उनके हाथ में है। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर कहता है जब सामने-सामने बात हुई कि मोदी जी के पास इतना वक्त नहीं है, प्रधानमंत्री जी के पास तो इतना वक्त भी नहीं है कि वो अपने निहालचंद जो उनके मंत्री हैं कि उनकी भी फाईल खोलकर देख लें कि उसके खिलाफ रेप का मामला है। उनके पास इतना भी वक्त नहीं है। तो क्या हम दिल्ली की महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं दे पाएंगे? अगर आप आंकड़े देखना शुरू करिए 2013 में 12,888 मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध के हैं। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अगर यूटीज और जो स्टेट्स मिला लें जो 6 हैं उसमें कुछ मामले दादरा नगर हवेली या गोवा, पुदुचेरी, पुदुचेरी सब मिला लें तो 13,616 मामले हैं। छह यूटीज में 13,616 मामले और सिर्फ दिल्ली में 12,888 हैं उनमें से तकरीबन 90 प्रतिशत दिल्ली के अंदर। दिल्ली असुरक्षित हो चुकी है, दिल्ली देश की राजधानी है और ये इसी आधार पर कहते हैं कि देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली की पुलिस हमारे पास होनी चाहिए अगर दिल्ली की पुलिस राजधानी होने के नाते आपके पास होनी चाहिए तो दिल्ली के अंदर किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है या किसी मीनाक्षी के साथ हो रहा है या किसी दामिनी के साथ हो रहा है किसी निर्भया के साथ हो रहा है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। लेकिन अफसोस है कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अफसोस है कि वो इन बच्चियों को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते।

अब दिल्ली की पुलिस कर क्या रही है। दिल्ली की पुलिस जहां एक तरफ आंकड़े बताते हैं 2013 में 1,636 मामले बलात्कार के थे। ये टोटल अपराध जो महिलाओं के प्रति हुआ उसका 18.63 परसेंट है। लेकिन दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? तीन साल के अंदर जो अवैध निर्माण चल रहे हैं, इन्क्रोचमेंट्स हैं उसमें पुलिस की मिलीभगत है और 4,126 मामले पुलिस वालों पर शिकायतें आई हैं तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अनधिकृत निर्माण करा रही है। पुलिस पैसा लेने के लिए तैयार बैठी है। पुलिस रिश्वतखोरी के लिए तैयार बैठी है। दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बढ़ चुकी है। लेकिन दिल्ली के अंदर जहां महिलाओं के प्रति अपराध का आंकड़ा 25 प्रतिशत आंकड़े महिलाओं के प्रति अपराध के कुल अपराध में से लेकिन दिल्ली में जो पुलिस है, उसमें से 9 प्रतिशत महिलाएं भी पुलिस में नहीं हैं। तो आप महिलाओं को उसमें लाइये। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। तो क्या करे दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार संजीदा है। दिल्ली सरकार सीसीटीवी लगा रही है, 200 बसों में सीसीटीवी लगाये जा चुके हैं बाकी बसों में लगाने की बात है। टॉयलेट्स बनाये जो रहे हैं क्योंकि महिलाएं, कभी जेजे क्लस्टर वाली, झुग्गी झोपड़ी वाली कभी वहां जाती हैं तो उनको वहां पर ऐसा माहौल होता है कि ज्यादातर अपराध वहां पर होते हैं। तो दो लाख टॉयलेट्स बनाने की बात की है। मैं कहता हूं कि ये खर्चा जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था के लिए जो लाईट्स लगानी हैं उन लाईट्स को लगाने का काम भी दिल्ली की सरकार कर रही है तो कम-से-कम ये सारा बजट वो केन्द्र की सरकार को वहन करना चाहिए। अगर मार्शल्स लगाये जा रहे हैं तो ये बजट भी दिल्ली सरकार का लेकिन कानून व्यवस्था आपके पास नहीं है जो, दिल्ली पुलिस आपकी नहीं है जी, पुलिस कमीश्नर के आप बॉस नहीं हैं तो ये क्या हो रहा है? हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं लेकिन जिनके हाथ में ये दिल्ली पुलिस है वो कत्तई चिंतित नहीं

हैं। बहुत शर्म आती है कि अगर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बन रहा है तो यहां पर खड़े होकर हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य उसका विरोध करते हैं और विरोध करके बॉयकॉट करके चले जाते हैं। मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा। ये एक संजीदा बात है अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी हमने बना भी लिया और उसने अपनी रिपोर्ट्स दी। वो रिपोर्ट्स आने के बाद अगर कोई कदम उठाने होंगे दिल्ली सरकार ने तो अपने स्तर पर उठा लेगी। अगर वो कहेगी कि दिल्ली पुलिस को ये सुधार करना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस को ये करना पड़ेगा तो फिर उनके पास। अगर कम्प्लेंटस लिखनी हैं, एफआईआर लिखनी हैं तो फिर दिल्ली पुलिस के पास। ये बार-बार स्थिति हमारे सामने निर्माण होती रहेगी और जब तक दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था को दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं किया जाता मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत होगी।

कभी राजा राममोहन राय जी ने महिलाओं की स्थिति पर काम किया था। कभी सती प्रथा थी। कभी विधवा विवाह की स्थिति थी आज इन महिलाओं को सुरक्षा देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अरविन्द केजरीवाल जी एक क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को जो लगातार आते थे, चलती हुई बसों में बलात्कार हो रहे हैं, उन्होंने इसको संजीदगी से उठाया, बेहद संजीदगी से उठाया। ये बहनें जो हमारी बैठी हैं सदन के अंदर और बाहर, वो विश्वास पा सकती हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बना है जिसके सीने में दिल है जो महसूस करता है। मैं भी एक बच्ची का बाप हूं, मेरी भी बेटी है। सही मानिए, मेरे घर के सामने एक पार्क है चली जाती है और अगर कहीं गलती से वो अपने स्कूल की पढ़ने वाली किसी दूसरी बच्ची, जो दूसरी गली में रहती है चली जाती है और दस मिनट नजर नहीं आती है तो मैं घबरा जाता हूं, सच्चाई है। ये स्थिति है। हम उनको एक सुरक्षा का माहौल नहीं दे पाये हैं ये सच्चाई है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये स्थितियां बद-से-बदत्तर हो रही हैं। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते

जा रहे हैं तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता इस पर, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी दिल्ली पुलिस हमारे पास आनी चाहिए। दूसरा ये जो सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। टॉयलेट्स बनाने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए और लाईट्स, सच्चाई ये है एमसीडी लाईट्स लगाती है और उसको 75 रुपये पर महीना दिया जाता है लेकिन 70 प्रतिशत लाईटें खराब हैं और जहां अंधेरा होता है वहीं पर ये हाल होता है। कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, कहीं उनके साथ बलात्कार हो जाते हैं। कभी छीनाझपटी होती है, कभी चेनस्नेचिंग होती है। लेकिन एमसीडी भी कुछ करने को राजी नहीं है। दो करोड़ रुपये तो पॉवर एनर्जी पर तो वैसे जाते ही हैं, इसके अलावा भी पैसे दिये जाते हैं लेकिन वो कुछ करने को राजी नहीं है, कम-से-कम लाईट्स तो लगाई जाएं। हमारे पास बार-बार लोग आते हैं कि हमारे यहां इस गली में लाईट्स नहीं है। हमारा एमएलए फंड तकरीबन उसमें जा रहा है कि भाई, सीसीटीवी लगवा दो, ये लगवा दो। सीसीटीवी क्यों लगवाने हैं? कानून व्यवस्था के लिए। लाईट क्यों लगवानी हैं? कानून व्यवस्था के लिए अगर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी और बजट और सारा एमएलए फंड हम लोगों ने देना है तो जिनकी जिम्मेदारी है जो कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केन्द्र की जिम्मेदारी है तो वो क्या कर रहे हैं। वो हमको 325 करोड़ रुपये देकर कहते हैं जाओ झुनझुना दे दिया। कहां हैं? ये जिम्मेदारी उनकी है। बहुत अफसोस होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह छिपाकर संसद से भी भाग रहे हैं और इस विधानसभा से भी भागकर चले गये हैं। इतना कहते हुए मैं जो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी के लिए जो ये प्रस्ताव संदीप कुमार जी ने रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती बन्दना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हम सब को समय मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। हमारी

सरकार ने यह सत्र महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बुलाया है, इसके लिए भी मैं सरकार का तहेदिल से धन्यवाद करती हूं। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश इस सदन की ओर देख रहा है। खासकर जितनी महिलाएं हैं जो आज ऊपर गैलरी में बैठी हुई हैं और इनके परिवार के लोग जिनको शायद आज यहां आने दिया गया है, बहुत ही उम्मीद की नजरों से इस सदन की ओर देख रही है। आज इस सदन के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का दिन है कि जो हमारे विपक्ष के तीन साथी हैं, जिनके कन्धों पर भी जिम्मेदारी हैं, वे यहां से उठकर चले गये हैं। उन्होंने थोड़ा सा भी समय नहीं दिया है कि वे यहां बैठकर सुनें कि क्या मुद्दा है। क्यों आज विशेष सत्र बुलाना पड़ा यह एक बहुत ही भारी चिन्ता का विषय पूरी दिल्ली और पूरे देश के लिए है। दिल्ली सुधरेगा तो देश सुधरेगा। पूरा देश भी इसकी उम्मीद लगाये बैठा है। अध्यक्ष महोदय, अभी दामिनी की निर्मम हत्या हुई थी तो उस समय जिस्टस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कमेटी ने अपनी 600 पेज की रिपोर्ट तैयार की थी। योजना कानूनों पर बनाये गये पूर्व कानूनों की समीक्षा में उन्होंने क्या-क्या कहा था, वह मैं सभी के सामने रखना चाहती हूं। वर्मा जी ने कहा था कि सैस्कुअल क्राइम की विफलता के लिए सरकार जिम्मेदार है। आयोग ने सरकार, पुलिस एवं आम लोगों की जबर्दस्त आलोचना की थी। रेप के लिए सजा, बलात्कारियों के लिए मौत की सजा, इसके अलावा कम-से-कम 20 वर्ष की सजा, इसे बढ़ाकर जीवन भर किया जा सकता है। ऑफेन्स की सजा के लिए कम-से-कम 7 वर्ष की जेल। एसिड अटैक के लिए 7 वर्ष का कैद। मानव तस्करी, विशेषकर महिला के मामले में 7 वर्ष से 10 वर्ष। शिकायतकर्त्ता का रजिस्ट्रेशन एवं मेडिकल जांच। यदि कोई अधिकारी रेप का केस रजिस्टर्ड नहीं करता है तो उसे भी पनिश किया जाये। शादियों का पंजीकरण किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भारतवर्ष

में होने वाली सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। दंड संहिता में आवश्यक सुधार। महिला अधिकार के लिए विधेयक महिलाओं की मर्यादा की सुरक्षा के लिए कानून का प्रावधान। पुलिस सुधार/पुलिस रिफार्म के लिए लोगों में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए पुलिस पर भरोसा करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज जो मोदी जी की पुलिस है, शायद, हम सब क्या, एक बच्चे-बच्चे ने उन पर विश्वास करना बंद कर दिया है। जिस तरह से मोदी की पुलिस, एक मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधि के बुलाने पर बार-बार ये कहते हैं कि उन्होंने बुलाया नहीं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने समन नहीं किया है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है। और बार-बार वह जताना चाहते थे कि इसमें रिक्वेस्ट किया गया है। जब मीनाक्षी कांड में जब उनको कोई सहूलियत देने की बात आई तो उन्होंने 500 की 500 और पीछे का चिट्ठा गिनाने लगे कि इन 500 का भी ध्यान रखो। आप क्या रहे हैं? आपका डिपार्टमैंट क्या कर रहा है? यह सदन के माध्यम से हम सब जानना चाहते हैं कि पुलिस क्या कर रही है? मोदी जी की पुलिस...जो बार-बार चुनाव से पहले ये नारे दिए गए थे कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार। अब की बार मोदी सरकार। ये मोदी सरकार से हम सब पूछना चाहते हैं, ये सदन पूछना चाहता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वे क्या कर रहे हैं? आपके जो तीन साथी चुनकर भी आये हैं, वे भी इस बात की चिन्ता नहीं करना चाहते हैं। वे भी इस संदर्भ में बातचीत नहीं करना चाहते हैं। पुलिस बल के सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व केवल कानून के प्रति होना चाहिए। न कि किसी एक मोदी जी के प्रति। अभी जितने भी पुलिस अधिकार हैं, एलजी साहब हैं, सभी का दायित्व सिर्फ एक आदमी पर निर्भर रह रहा है। एक ही आदमी उनकी जिम्मेदारी है, मोदी जी, वह जैसा करेंगे, वे वैसा करेंगे। न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गयी थी। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने जिससे इनको सही समय पर सही

निर्णय और जल्दबाजी में हो सके, आज जो मीनाक्षी की निर्मम हत्या हुई और हम सब देखते रह गये या जो समाज है, वह देखता रह गया। इसके पीछे कारण क्या था? आज जो भी अपराध होता है, अगर किसी ने भी उसके विरुद्ध आवाज उठाई तो उसकी आवाज को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे ये दिल्ली की पुलिस अपनाती है। हर हथकंडे, हर दबाव को, सबूत को खत्म करने के लिए, बेगुनाहों को सजा के लिए तैयार रहती है। गुनाहगार खुले घूमते रहते हैं। इसी वजह से आज मानवता, जितने लोग खड़े थे, उनकी मानवता खत्म हो चुकी थी। अगर कोई बोलता तो शायद पुलिस उन्हीं बेगुनाहों को सजा देती। यही विश्वास खत्म होने के कारण मानवता खत्म हो चुकी है। नहीं तो उस दिन जिस तरह से लोग देख रहे थे और लोगों ने अपनी आवाज बंद रखी, अपनी जुबान बंद रखी। और मैं बार-बार इस चीज को उठाती रही हूं। बहुत बार इस सदन में चर्चा भी हुई कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहती हूं कि एक बार हमारे कार्यालय में पुलिस के सामने रहते हुए, इसकी सीडी की रिकॉर्डिंग हमने दी थी। और पुलिस के सामने रहते हुए हमारे ऑफिस में पत्थरबाजी हुई। पूरे शीशे तोड़ दिये गये। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। सब कुछ हुआ। एफआईआर दर्ज भी हुई। लेकिन आज तक पलट कर दिल्ली पुलिस हमारी ओर देखने नहीं आई कि इस पर कोई कार्रवाई हो। लेकिन अगर कुछ काम अच्छे काम करने के लिए निकलते हैं, तो उस पर एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। बार-बार हम जैसों को छिपना पड़ता है, भागना पड़ता है और फिर अपना बेल लेना पड़ता है। तो ऐसी हमारी स्थिति आज बन गई है कि समाज के चुने हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद भी हम एक ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। एक सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई जो लड़ना चाहते हैं। जिस उम्मीद से दिल्ली की जनता ने हमें 67 सीट दी थी और हमें ताकत दी थी कि हमारी आवाज

आप सदन में जाकर उठाओगे और एक ठोस कानून बनाकर सदन के सामने हम सब की रक्षा के लिए आवाज उठाओगे।

अभी दामिनी के साथ जो हुआ, उसका आज तक अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। तो मैं इस सदन के माध्यम से सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक ठोस कदम उठाया जाए। इस महिलाओं पर जब भी अत्याचार होता है, उसके लिए कोई ऐसी सजा का प्रावधान बने जिससे जो भी गुनाह करता हो उसके मन में भय उत्पन्न हो, नहीं तो आज तक जितने भी गुनहागार हैं, खुले घूम रहे हैं क्योंकि आज तक किसी को सजा ही नहीं मिली। कोई ऐसा ठोस कदम ही नहीं उठाया गया इसलिए वो आज भी वे गुनाहगार खुले घूम रहे हैं और फिर बार-बार इन गुनाहों को दोहराया जाता है और हम सब मूक दर्शक बने हुए हैं। तो हमारी सरकार इस पर संजीदा है और हम सबने मिलकर ऐसा कदम उठाया जो हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, स्वाती जी उनसे भी हम सब मिलकर एक ऐसा निर्णय बने, एक ऐसा कमीशन बने जिसमें महिलाओं पर जब-जब कोई अत्याचार हो या घर में हो या बाहर हो चाहे कहीं भी हो अभी महिलाओं को हर जगह अपनी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास एक मामला आया है। एक आफिस में काम करती हुई, जीएम के थ्रू 2009 से बेचारी दर-दर भटक रही है। हमारी विधान सभा क्षेत्र में आई। बीएसईएस के एक जीएम के द्वारा प्रताड़ित और उन्होंने सिर्फ एक एफआईआर दर्ज कराई तो उनको छह साल प्रताड़ना के बाद उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया और बेचारी घुट-घुट कर काम करती रही, घुट-घुट कर काम करती रही। नौकरी से निकाल दिया गया। वह अकेली महिला थी। आज वो कहीं गांव में जाकर उनके पूर्वजों का गांव था बेचारी जाकर छुपकर

रह रही है। उनको हमशेा उनके घर पर वहां पर जाकर धमकाया जाता है। उनके घर पर जाकर प्रताड़ित किया जाता है। चाहे जितने भी बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, आज महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। क्यों वह मुंह खोलेगी, उसकी जुबान को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो कोई भी ऐसा एक गुप्त जहां जाकर वो अपनी शिकायत कर सके और उसकी बातों को, उसके नाम को गुप्त रखा जाए आज शिकायत दर्ज कराने के बाद उसका जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 90 प्रतिशत शिकायत तो दर्ज ही नहीं होती और महिलाएं चुप रहती है और हम सबको इस सदन ने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी वाले पद पर हम हर समय कोई न कोई महिला आती है अपनी घर की प्रताड़ना हो चाहे बाहर हो, आफिस में हो, सड़क पर हो या अन्यथा कहीं भी उनकी सारी चीजें लाकर रखती है। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब रात के ढाई बजे एक महिला को घर से निकाल दिया जाता है। उसको समझ में नहीं आता है हम कहां जाएं। वैसी एक व्यवस्था बने और हम सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो इन सभी चीजों के लेकर हम हमारी सरकार बार-बार इस बात पर संजिदा है कि पुलिस फोर्स की जो महिलाओं की संख्या के अनुपात में सुधार हो, महिलाओं के लिए अलग से महिला थानों की स्थापना हो, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम-से-कम महिलाओं के लिए अलग महिला विंग बनाई जाए, डीडीसी से जो आज महिला फोर्स की सिक्यूरिटी गार्डस तैनात किये गए हैं, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा हो, महिलाओं पर हुए अत्याचारों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। पता चलता है जब महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं सदियों बीत जाते हैं, तीन-तीन साल से एक साधारण एफआईआर का जवाब मांगने में लग जाता है। जैसे अभी अलका जी ने कहा जो

एक साल लग जाए जब एक सदन में बैठे प्रतिनिधि को अगर एक साल डेढ़ साल एक बात का जवाब मांगने में लग जाए तो और जो महिलाएं बाहर बैठी हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो जहां कम समय में कार्रवाई हो। एक साधारण चीज है एक डाईवोर्स की भी बात आती है तो पन्द्रह-बीस साल लग जाते हैं। उनकी सारी उम्र बीत जाती है, घुट-घुट के जीवन जीने में। इन सब चीजों पर भी जो घर में वे प्रताड़ित होती है। आजकल उनमें भी मैं चाहूंगी कि जो कि उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जहां पर उनका निदान जल्द से जल्द हो। चौबीसों घंटे की एक वूमैन हैल्प लाइन हो, सीसीटीवी कैमरा इंसटाल किये जा रहे हैं वो हमारी सरकार कर रही है। और जो भी सिंसेटिव जगह है वहां पर जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे का निर्माण करें। प्राइवेट टैक्सी एवं कॉल सेंटर में कैब्स में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति हो, पीसीआर वैन की संख्या की बढ़ोत्तरी हो, 100 प्रतिशत वैरीफिकेशन ड्राइवरों की हो, जीपीएस ड्राइव सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, महिलाओं की जागरुकता के लिए एक अभियान चलाया जाए, जहां हमारी महिलाएं थोड़ी अपनी सुरक्षा के लिए जागरुक हों, महिलाओं के शिक्षा स्तर में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है, और उसमें भी हम लोग सुधार करने की कोशिश के कदम उठा रहे हैं और भी सुधार करने के लिए यह सदन प्रयत्नशील है अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूं, दिल्ली की महिलाओं को पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूं, ये सदन आपका है इस सदन में चुने हुए प्रतिनिधि आपके हैं, और दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह सदन प्रयत्नशील है और हर सम्भव प्रयत्न करेगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की कार्यवाही चाय पान के लिए साढ़े चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सदन अपराह्न 4.30 बजे पुनः समवेत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया (श्रीमती बंदना कुमारी) पीठासीन हुईं।

उपाध्यक्ष महोदया : राखी बिड़ला।

सुश्री राखी बिड़ला : धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने मुझे इतने गंभीर विषय पर आज बोलने का मौका दिया। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक धार्मिक पर्व जो हमारे हिन्दुस्तान में मनाया जाता है, उसकी ओर से आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हमारे देश में हर पर्व को, हर त्यौहार को साल में एक बार मनाया जाता है। लेकिन एक ऐसा पर्व है जिसे हर छह महीने बाद या कहे तो साल में दो बार मनाया जाता है। कौन सा है ये पर्व? ये पर्व है नवरात्रों का और नवरात्रों में हम सब क्या करते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं। एक देवी की पूजा करते हैं। बच्चियों को आखरी दिन खाना खिलाते हैं उनके पैर छूते हैं और फिर इसी भारत देश के अंदर वही बेटियां जब कोख में पल रही होती हैं तो उनकी भूण हत्या कर दी जाती हैं। उन्हे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। इस देश का दुर्भाग्य है। तिजोरी में रखी हुई लक्ष्मी हर किसी को पसंद है लेकिन वही लक्ष्मी अगर किसी कोख में पल रही होती है तो वो किसी को पसंद नहीं होती। उसको जमीं पर आने से पहले, पैदा होने से पहले खत्म कर दिया जाता है। ये क्यूं विरोधाभास है? हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारी सरकारों में महिलाओं को क्यों दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। महिलाओं को क्यों नहीं समानता दी जाती? आज तक मुझे इन सवालों के जवाब ना मिल पाए हैं और शायद जो हमारी पिछली सरकारें रही हैं अगर उनके भरोसे इस देश को छोड़ दिया जाए तो शायद इन सवालों के जवाब कभी हमें मिलेंगे भी नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका नाम

भले ही आम आदमी पार्टी है लेकिन वो महिलाओं के लिए समर्पित है। दिलोजान लगाकर महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने चुनाव लड़ा। चुनाव में चार से पांच ऐसे वादे हैं सत्तर में से जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जब हम अपना कार्यकाल खत्म करेंगे तो हम उन वादों को पूर्ण रूप से जनता के बीच में पूरा करके देंगे और उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे।

महोदया जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारा देश भारतवर्ष जिसमें 29 राज्य हैं लेकिन दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश है। जिसमें सीधे-सीधे केंद्र की सत्ता है और दिल्ली सरकार उसके साथ एक पहिये के रूप में काम करती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने में आ रहा है, लगातार सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के एलजी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये दोनों अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूलकर लगातार मोदी सरकार के प्रवक्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। एलजी कहते हैं मैं अपने आप में सरकार हूं तो पुलिस कमिश्नर जिसका जिम्मा है सुरक्षा देना, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां है महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराते हुए उनहें आगे बढ़ाने की। वो कहते हैं कि आए केजरीवाल सरकार, केजरीवाल आए और मुझसे खुल्म-खुल्ला बहस करे। तो मैं बी.एस. बस्सी से ये कहना चाहती हूं कि आप मोदी जी के प्रवक्ता होते हुए बीजेपी की वाणी बोल रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं तो आप आए और जगह आप बताए कि केजरीवाल की तरफ से जो प्रवक्ता होंगे वो कुमार विश्वास होंगे। वक्त भी आपका होगा, जगह भी आपकी होगी और बीजेपी के रूप में प्रवक्ता होंगे मिस्टर बी.एस. बस्सी और आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से प्रवक्ता होंगे कुमार विश्वास। पहला सवाल ये है कि क्या किसी एलजी को, क्या किसी

पुलिस कमिश्नर को इस बात की शोभा देता है कि वो किसी विशेष पार्टी की सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाए, उनके हाथों में खेले, उनके इशारों पर नाचे? ये बेहद शर्म की बात है।

दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ पिछले कुछ वर्षों से जो यहां पर क्राइम बढ़ रहा है उससे लगता है कि ये क्राइम की भी राजधानी बनती जा रही है। ये आंकड़े हैं 31 मई के। 31 मई, 2015 के ये आंकड़े मैं आपके आगे पेश कर रही हूं जो महज पांच महीने ही हुए थे 2015 की इस नए साल की शुरुआत को। इसमें साफ लिखा गया है कि महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों में 22 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। बेहद शर्म की बात है और ये आंकड़े किसने पेश किए हैं? ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मिस्टर दीपक की रिपोर्ट है। दीपक मिश्रा जी ने इन आंकड़ों को पेश किया है जो आज से तीन महीने पहले पेश किए गए हैं। बेहद शर्म की बात है।

अध्यक्षा जी, मैं आपसे से कहना चाहती हूं कि दिल्ली के अंदर जहां एक ऐसी चुनी हुई सरकार है जो किसी पार्टी की नहीं, लोगों की सरकार है, आम जनता की सरकार है। तभी तो आज तक इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिले, इतना वोट बैंक मिले, इतनी सीटें मिले और शायद केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही और वो उस हार का जो सारा का सारा खामियाजा है वो जनता के माध्यम से भुगताने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन महिलाओं पर हो रहे बलात्कार, चैन स्नैचिंग, ना जाने कितने उत्पीड़न के मामले हैं। अगर कोई विधायक, आम आदमी पार्टी के किसी विधायक की अगर छोटी सी भी कोई खबर मिलती है तो पूरे के पूरे दौ सो-ढ़ाई सौ पुलिसकर्मी जाते हैं,

उस विधायक को गिरफ्तार करने के लिए, उसके खिलाफ इंवस्टीगेशन करने के लिए। लेकिन कोई मीनाक्षी जैसी लड़की, कोई निर्भया जैसी लड़की, कोई गुडिया जैसी बच्ची आवाज लगाती, है, चीख पुकारती रहती है तो ये दिल्ली पुलिस सीमाओं के अंदर बंधकर रह जाती है। ये थाना मेरे इलाके में नहीं आता। आपका एरिया हमारे थाने में नहीं लगता। या इस थाने में हम आपके प्रति जिम्मेदार नहीं है। अभी दो-चार दिन पहले की बात है बिंदापुर में घटना हुई। हरिनगर की लड़की थी, छह घंटे तक लगातार दर-दर ठोकरें खाती रही, अलग-अलग थानों में धक्के खाती रही। लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने मानवता के नाते उस लड़की की एफआईआर दर्ज नहीं की। ये बेहद शर्म की बात है। इस देश के अंदर या कहे दिल्ली के अंदर हर 40 मिनट के अंदर एक महिला का बलात्कार होता है और एक दिन में अगर एवरेज निकालें तो कम-से-कम पांच महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। इसके अलावा हर 25 मिनट में Eve Teasing और Molestation के केस देखे जा सकते हैं। ये दोगुणा हो चुका है चैन स्नैचिंग का धंधा और वो कौन होते हैं, वो सब लोग गिरोह मिला होता है पुलिस के तमाम लोगों से। इसके पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता जानकारी है। मेरे क्षेत्र में एक लड़की की चैन छीनी गई, सेक्टर-3 की घटना है और जब हम पुलिस के पास गए, पुलिस की सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने दी उन्हें कि जाइये इस लड़के को पकड़िये। बाइक का नंबर भी बकायदा है तो बाद में पता चला कि पुलिस ने परिवार पर पूरा का पूरा कंट्रोल करते हुए उन्हें डारते-धमकाते हुए कि तुम्हें कोर्ट में पेशी करनी पड़ेगी, कोर्ट में तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी और मजबूर किया परिवार को कि आप समझौता कर लीजिए। अगर आपकी चैन वापस नहीं मिल रही है तो चैन के आधे पैसे ले लीजिए। क्यों नहीं। उन्होंने मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाया? क्यों नहीं उन्होंने उसके खिलाफ केस किया? कह देते हैं कि ये अंडर ऐज है, माइनर है, हम इसके खिलाफ कोई केस नहीं कर

सकते। तो मेरी इस सदन से गुजारिश है कि जितने भी संगीन आरोप अगर माइनर भी करता है तो मेरी ये गुजारिश है कि माइनर को भी उसी तरह की सजा देनी चाहिए जैसी किसी वरिष्ठ लोगों को दी जाती है।

इसके अलावा महोदया जी, मैं ये कहना चाहूंगी 3 अप्रैल, 2015 को पूरे देश ने उस घटना को देखा, पूरी दिल्ली ने इस घटना को देखा। पूरी दिल्ली ने इस घटना को देखा था। सैक्टर-3 रोहिणी का थाना था, वहां पर दो दलित लड़कियों को सुबह 9 बजे से लाकर लगातार रात के 8 बजे तक पुलिस के लोगों ने वो भी Male पुलिसकर्मी थे, जो पुरुष पुलिसकर्मी थे, कपड़े उतारकर लगातार मारा। बहुत ही शर्म की बात है और मैं इस केस को लेकर रात दिन भागती रही, मैंने राजनाथ सिंह जी से जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनसे मिलने का वक्त मांगा, वक्त नहीं मिला। मैंने बी. एस. बस्सी जी जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे मिलने का वक्त मांगा, वक्त नहीं मिला। हमारी मांग थी कि इस थाने को सस्पेंड करने के साथ-साथ इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें क्योंकि वो लड़कियां, लड़कियां होने के साथ-साथ एक ऐसे वर्ग से संबंधित थी जिस वर्ग में बहुत मुश्किल से बाहर निकलने का मौका मिलता है लेकिन आज तक वो केस कहां है, उस केस में क्या कार्रवाई हो रही है, कुछ पता नहीं है और जब भी उसकी रिपोर्ट मांगो तो एसीपी साहब, एसएचओ साहब बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है। कब तक कार्रवाई चलेगी, कौन जवाब देगा कौन है जिम्मेदार इन सबके लिये? मुझे नहीं लगता कि आज तक इस देश को, इस देश की महिलाओं ने जिन लोगों को अपनी सुरक्षा सौंपी है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या कांग्रेस के लोग, उनकी सुरक्षा के लिये जिम्मेदार अपने आप को मानते होंगे। आज तक हमने तो ऐसा नहीं देखा। यूपीए सरकार की बात करें तो उन्होंने महिला और बाल विकास

के लिये 1,85,000 करोड़ रुपये का बजट बनाया था और मोदी सरकार के आते-आते इस बजट को 1,05,000 करोड़ कर दिया गया। बड़े शर्म की बात है। अगर निर्भया कांड की बात करें तो निर्भया काण्ड में भी ऐसा किया गया। चिदम्बरम साहब जब थे, उन्होंने भी निर्भया फंड को जो बजट के दौरान पेश किया अब अरूण जेटली ने भी जो निर्भया फंड को बजट के दौरान पेश किया गया। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो जब खर्च की गई राशि पता चलेगी तो आप सबके होश उड़ जायेंगे। निर्भया फंड में से अभी तक एक फूटी कौड़ी, एक चवन्नी तक खर्च नहीं हुई है किसी पीड़िता के ऊपर। ये बड़े शर्म की बात है कि हम कैसे देश में रह रहे हैं? कैसे समाज में रह रहे हैं? क्या हम एक ऐसा पुलिस कमिश्नर चाहते हैं जो किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करें या हम ऐसा पुलिस कमिश्नर की कामना करते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिये इस देश को आगे बढ़ाने काइम फ्री बनाने को कटिबद्ध हो। बड़े शर्म की बात है कि ये मोदी सरकार की पुलिस है या इस देश की जनता की पुलिस है। इसके अलावा छोटी से छोटी अगर कोई सी गलती हो। मैं अपना उदाहरण आपको देना चाहती हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र जब चुनाव के बाद हमारी सरकार गिर चुकी थी, हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया था Suspension Mode में दिल्ली विधान सभा चल रही थी तो हम As a विधायक अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। 45 वार्ड नं. पड़ता है वहां बीजेपी का निगम पार्षद है। उसने चौक पर हमारे वोलियन्टियर्स को पीटा। मेरे साथ बदतमीजी की क्योंकि मैं भी एक दलित समाज से आती हूं। मुझे दलित कहकर उसने अपमानित किया। आज भी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अभी तक जो है गांव वालों को वो लोग डराते-धमकाते हैं। मुझे भी इतनी बार धमकियां मिली हैं, मैंने पुलिस को लिखित में दिया है, लेकिन आज तक इन सब के प्रति कोई भी उनकी तरफ से स्टैप नहीं उठाया गया है और वहीं अगर आम आदमी

पार्टी का विधायक किसी बिल्डिंग को रुकवाने के लिये, तुड़वाने का जो कोई काम करता है, पैसे खाने के चक्कर में उसे रुकवाने की बात करते हैं तो हमारे बी.एस. बस्सी उसे फरार घोषित कर देते हैं कि यह विधायक फरार हो चुका है। बेहद शर्म की बात है कि क्या होगा हमारा हम लोग अब कांग्रेस के ऊपर खैर, नुंमाईंदे ही नहीं है उनके। बीजेपी की मोदी सरकार के ऊपर आप भरोसा करके नहीं रह सकते कि वो हमारी बेटियों को सुरक्षा देंगे, इस देश को सुरक्षा देंगे। महिलाओं को आगे बढ़ायेंगे क्योंकि जिनकी विधान सभा, लोक सभा, पार्लियामेंट की कैबिनेट में खुद भ्रष्ट लोग हैं, रेपिस्ट लोग बैठे हैं निहालचन्द जैसे। उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि हम बेटियों को कुछ सुरक्षा मिलेगी। हम बेटियों को कुछ न्याय मिलेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे माननीय मंत्री ने जो आयोग बनाने की सिफारिश आज पटल पर रखी है, उसे पास करते हुए जल्द से जल्द एल.जी. साहब के पास भेजें, गृह मंत्रालय में भेजें ताकि आयोग का गठन कर सकें। एक बात आजकल वटसऐप बहुत ही हास्यस्पद बात चल रही है कि यह बात बहुत ही व्यंग्य है कि हमने बचपन से सुना है कि पुलिस को हमारे हवाले कर दो, हम ठीक कर देंगे। इस धरती पर मैंने पहले ऐसा शख्स देखा है जो पुलिस के खिलाफ छाती ठोक कर कहता है कि एक बार पुलिस को मेरे हवाले कर दो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। कौन है वो शख्स वो हमारे सी.एम. साहब माननीय केजरीवाल साहब। क्योंकि क्यों कहते हैं इनमें इतना आत्मविश्वास है। क्यों कहता है ये शख्स कि पुलिस को मेरे हवाले कर दो मैं ठीक कर दूंगा। क्योंकि इसकी मंशा है महिलाओं को सुरक्षा दिलाना। आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिये, महिलाओं को सामाजिक वातावरण जिसमें वो एकता महसूस कर सकें। समानता का अभाव महसूस न कर सकें बल्कि ये कहें कि जिस प्रकार से एसएचओ के ट्रांसफर के लिये एक बीट कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिये नीचे से लेकर डीएसपी हो, एसीपी हो, कमिश्नर हो या यहां तक कि हमारे होम मिनिस्टर साहब

हो, सबके पास पैसा जाता है, सबका महीना बंधा हुआ है, सबका हफता बंधा हुआ है। केजरीवाल सरकार में न ऐसा किसी का महीना बंधा हुआ है और न हफता बंधा हुआ है और किसी की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिये पैसों की डिमांड भी नहीं की जाती। इसलिये केजरीवाल सर, इसलिये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब इतने Confidence के साथ और इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि एक बार पुलिस को हमारे हवाले कर दीजिये, हम ठीक करके दिखा देंगे। और मुझे लगता है कि ये दृढ़ निश्चय और इतनी इच्छाशक्ति है हमारे अंदर कि हम ठीक करके दिखा सकते हैं। जब दिल्ली को हम पांच महीने में ठीक कर सकते हैं तो दिल्ली पुलिस को भी ठीक कर सकते हैं। मेरी बस अब आपसे गुजारिश है कि हर बार चाहे वो निर्भया हो, मीनाक्षी हो, गुड़िया हो तमाम कितनी बेटियां हों जब उनके साथ कुछ दुर्घटना घटती है तो हम कैंडिल मार्च निकालने के लिये चल पड़ते हैं। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिये चल पड़ते हैं। हमें समाज को भी जागरुक करना होगा कि जब किसी बेटी के खिलाफ आवाज बुलंद होती है, जब किसी की बेटी पर अत्याचार होता है तो हमें अपनी जान की परवाह किये बिना अपने आप को खुद झोंक देना चाहिए, उसको सुरक्षा दिलाने के लिये। बेहद शर्म की बात है जो आनंद पर्वत की घटना घटी। वहां पर लोग देखते रहे इसी प्रकार से जब निर्भया का कांड हुआ, क्योंकि मैं उस समय रिपोर्टर थी, उस स्टोरी को मैं कवर करके ले कर आई और बहुत दु:ख हुआ, शर्म भी इस बात पर महसूस हुई कि मैं क्यों लड़की हूं। वो लड़की चार घटे तक बिना कपड़ों के सड़क पर पड़ी रही और वहां पर पीसीआर वैन और तमाम लोग वहां से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने जरूरत नहीं समझी कि हम इस बेटी को, इस लड़की को अस्पताल तक पहुंचा सकें। समाज में भी एक बहुत बड़ी कुंठा है, समाज में भी बहुत बड़ी कमी है कि जब बेटी पैदा होती है तो उसे बचपन से सिखाया जाता है कि तुझे अगले घर जाना है, तुझे यह सीखना है नहीं तो ससुराल में तुझे ऐसा कहा जायेगा। कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता कि नहीं

तुझे भी इस अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। तुझे भी इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। तुझे भी इस देश में नाम रोशन करना है। ऐसा नहीं सिखाया जाता। मैं तमाम विधायकों से अनुरोध करना चाहती हूं कि जब मैं अपने क्षेत्र में मौहल्ला सभा करती हूं या कभी किसी से मिलती हूं तो मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पर रहता है कि जनता का या लोगों का माईंड वॉश इस बात को लेकर कर सकूं कि वो लड़कियों के प्रति जो अपनी गंदी भावनायें है, उसे दूर कर सकें, जो भेदभाव है, उसको मिटा सकें। मैं माननीय शिक्षा मंत्री साहब से भी अनुरोध करना चाहती हूं कि हमें मौका मिला है आपसे पहले जब हम लड़ते थे तो हम सरकार का हिस्सा नहीं थे। लेकिन आज हम सरकार हैं, आप लोग सरकार हैं तो आप अपनी शिक्षा में पहली से लेकर बारहवीं तक एक ऐसा कम्पलसरी कर दीजिये कि हमें सैल्फ डिफैंस की ट्रेनिंग हम बेटियों को कम्पलसरी दें। कम्पलसरी हो जाये कि जो मां-बाप अपनी बेटियों को सैल्फ डिफैंस की ट्रेनिंग न दिलायें उनके लिये कोई सजा तय हो। बेटियों को बारहवीं तक पढ़ाने के लिये मजबूर किया जाये लोगों को। क्योंकि अगर एक बेटी पढ़ती है, तो दो परिवार पढ़ते हैं। और अगर बेटियां पढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। यह दिल्ली आगे बढ़ेगी और हमारा नाम रोशन होगा। आये दिन कोई न कोई क्राइम होता है। आये दिन कुछ न कुछ शर्म की बात होती है। बेहद शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हर 25 मिनट के अंदर महिलाओं को बाजारों में से अगर वो निकलती है तो कपड़ों पर कमेन्ट सुनना पड़ता है। अपने व्यवहार पर कमेन्ट सुनना पड़ता है जो कि बेहद शर्म की बात है। हम कपड़ा कोई भी पहनें हमारी आत्मा साफ होनी चाहिए। हम जिस भी समाज में रह रहे हैं, जिस भी जगह हम रह रहे हैं, हमारे व्यवहार में यह होना चाहिए। जब बेटियां बाहर निकलती हैं तो मां-बाप यह हिदायत देकर भेजते हैं...

उपाध्यक्ष महोदया : राखी कनक्लूड कीजिए।

सुश्री राखी बिड़ला : कि तेरे कंधों पर मान-सम्मान की जिम्मेदारी है। तू हमारे परिवार का मान-सम्मान है। मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं कि जब बेटे घर से बाहर निकलें तो उन्हें भी यही हिदायत दी जाये कि जब बाहर निकलते हुए जितनी भी बहन-बेटियां हैं, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है क्योंकि सभी बहन-बेटियां हमारी सबकी एक जैसी बहन-बेटियां हैं और सबकी सुरक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी अपने एक-एक वादे पर पूर्ण रूप से खड़ी है और पूरा भी करेगी लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि ये जो है सैंट्रल में बैठे मोदी सरकार के नुमांइदे हैं जो हमारे दिल्ली के एलजी हैं, अपने आपको एलजी कहते हैं, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है यह कहते हुए कि वो एलजी के पद को भी बदनाम कर रहे हैं और एलजी का जो कार्य एक होना चाहिए, उसको भी बदनाम कर रहे हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता अपने आप को इन्हें कहना चाहिए कि एलजी इनके नाम के आगे से हट जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया : राखी जी कनक्लूड करो।

सुश्री राखी बिड़ला : मैंने जब दो दलित लड़कियों पर हुए दुष्कर्म की बात की उनको जिस प्रकार से मारा गया। एक थाने के अंदर एसएचओ, एसीपी की नाक के नीचे इन लड़कियों के साथ जो घटना हुई, जब इसके लिये टाईम मांगा तो उनके पास टाईम नहीं था और वैसे उनके पास बहुत टाईम है टीवी पर अपने आपको चमकाने के लिये और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जहर उगलने के लिये। लेकिन इस देश की पीड़ित लड़कियां, इस दिल्ली की पीड़ित लड़कियां जब उनके पास अपने लिये न्याय मांगने के लिये जाती हैं तो उनके पास मिलने का वक्त नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, बस मैं आपसे बस यही गुजारिश करना चाहती हूं कि ये विधान सभा में बैठे जो हमारे 67 विधायक हैं, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं हैं। ये दिल्ली की पौने

दो करोड़ जनता नुमांयदे होने के साथ-साथ इस देश की जितनी भी महिलायें हैं, उनकी भी सुरक्षा का दम भरते हैं क्योंकि आज पूरे देश की नजर इस दिल्ली की विधान सभा पर है। हमारे ऊपर आज सब की नजर है...

उपाध्यक्ष महोदया : राखी जी कनक्लूड कीजिये।

सुश्री राखी बिड़ला : अध्यक्ष महोदया, पिछले 60-67 सालों से जिन बीजेपी और कांग्रेस के हाथों यह महिलायें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी देती आई है ये इन्हें नोच नोच के खाते आये हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे कहना चाहती हूं कि एक बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं आज यहां से आवाज लगाती हूं माननीय प्रधानमंत्री साहब को, हमारे गृह मंत्री साहब को कि इतनी भी नाराजगी अच्छी नहीं है जनता से। अगर आपने अच्छे काम किए होते तो ये दिल्ली की जनता आपको 32 से 3 पर सिमटने के लिये मजबूर नहीं करती और अगर आपका यही हाल रहा तो आने वाले नगर निगम के चुनाव में तीन भी नहीं रहोगे आप और बिहार चुनाव में भी आपका यही हाल होगा जो दिल्ली के चुनाव में हाल आपका हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद, इतने सेंसीटिव मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि आज पटल पर से जब यह आयोग कमेटी बनाने की सिफारिश को हम एलजी महोदय के पास भेजेंगे तो बिना किसी तकरार के बिना किसी लड़ाई झगड़े के बिना किसी ऊंच नीच की राजनीति के इसे खुशी-खुशी लागू करेंगे और इन महिलाओं को सुरक्षा देने का जो वादा है, वो पूरा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

उपाध्यक्ष महोदया : सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय उपाध्यक्ष महोदया मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आज जो दिल्ली विधान सभा का जो ये मूमेंट है, एक ऐतिहासिक है क्योंकि

पहली बार मैं दिल्ली विधान सभा का पूरा इतिहास देख रहा था एक डेडीकेडिट सेशन महिला सुरक्षा के ऊपर आज तक इसके पहले कभी नहीं हुआ। इसके लिये मैं अपने साथी मंत्री संदीप जी का बड़ा हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। ये धन्यवाद के पात्र हैं इन्होंने जो मोशन मूव किया है वो है क्या? इसके पीछे की पीड़ा किसकी है, और वो पीड़ा क्या है? दिल्ली में एक पुलिस है दिल्ली की पुलिस दिल्ली वासियों की, दिल्ली की महिलाओं की, रक्षा करने के लिये बनी है। 10 फरवरी, 2015 को दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनी। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और जो दिल्ली में सरकार बनी उनकी जो गहरी पीड़ा, महिला सुरक्षा के प्रति इस resolultion के माध्यम से दिख रही है। अगर दिल्ली पुलिस सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध दिखती तो मुझे नहीं लगता कि आज हम इस सेशन को इस मुद्दे को कर रहे होते। हमारे विपक्ष के साथी सदन छोड़ के चले गये। ऐसी इसमें कौन सी असंवैधानिक बात कह दी गई? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो आज मंत्री महोदय ने मोशन मूव किया है, कमिशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, 1952 के सेक्शन 3 के अंतगत वो साफ-साफ अगर अभी विजेन्द्र जी होते तो समझते कि मैंने थोड़ी वकालत कर रखी है तो उनको थोड़ा समझा देता। उस में लिखा है any matter of public importance. इसमें कहां लिखा है कि भई, आप नहीं कर सकते, और हम कौन से ऐसे मुद्दे कर रहे हैं जिसमें की कोई अपना भला देख रहे हैं मुझे याद है जब आनंद पर्वत का केस हुआ तो किस कदर से दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, नहीं वो तो लड़की ही छेड़ रही थी उसको। लड़के ने कुछ कह दिया था उस छेड़खानी के चक्कर में उसने चाकू से हमला कर दिया। Victim-ization of victim. आप जितने भी केसीज देख लें दिल्ली में अगर वो कोई खास मंशा नहीं हो उनकी, किसी और दिशा में ले जाने की, न्याय देने की। कोई खास इन्स्ट्रक्शनस नहीं हो कि भई इस मामले में यह दिशा देनी है। हम मामले को तो अक्सर

ये देखा जाता है हमारे साथियों ने आज सदन के पटल पर अपने विधानसभाओं के बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किये जहां कि महिलाओं के साथ गहरा अन्याय हुआ और पुलिस कितनी लापरवाह रही। माननीय मुख्यमंत्री ने मांगा क्या था? इतना ही कहा था जिसके बाद हम सबने एक ऐसा रूप देखा बस्सी महोदय का। मेरी साथी राखी ने भी इसका जिक्र किया कि बस्सी महोदय इस कदर से बौखलाहट में कह गये कि वो चैलेंज करते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को डिबेट के लिये। भारत के इतिहास में मैंने खूब ढूंढने का प्रयास किया लेकिन कहीं नहीं मिला कि एक कमिश्नर पुलिस उस राज्य के मुख्यमंत्री को चैलेंज करे डिबेट के लिये। किस मुद्दे पर आप डिबेट करेंगे? डिबेट की अगर बहुत ही मंशा है और बहुत गहरा अगर इन्स्ट्रक्शनस अगर आपको आया है अगर आपकी दिली तमन्ना है अगर डिबेट की तो कर लीजिये जिस कदर से आपने अपने पद को, अपने पद की गरिमा को एक ग्रहण लगाने का प्रयास किया और एक पार्टी की स्पोक्स पर्सन के रूप में आपने ये बातें कहीं, तो हम भी स्वीकार करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमारे स्पोक्स पर्सन हैं। हम कहते हैं सदन के माध्यम से मैं अपने साथियों की परमिशन से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा हमारे स्पोक्स पर्सन हैं कुमार विश्वास जी उनसे कर लीजिये डिबेट और हो जाये। दिख जाये, कौन कटिबद्ध है दिल्ली की जनता की भलाई के प्रति, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति। ये शोभा नहीं देता उनको। यह शोभा नहीं देता उनको। जिस कद्र से उन्होंने अपने पद को पोलिटिसाइज होने दिया। यह इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। अभी कुछ चैनलों पर भी चल रहा है कि यह सियासत की जा रही है। अरे, कुछ तो शर्म करिये, सियासत कहां दिख रही है इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं बकायदा। कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा कमीशन बनी, उसके compliance की गुजारिश की जा

रही है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी इसलिए बन रही है कि अपने राज्य दिल्ली की जो पीड़ित महिलायें हैं जिनको आज तक न्याय नहीं मिला, जो आज भी किसी न किसी डर के मारे बाहर निकल कर के नहीं आ रही है जहां-जहां पर पुलिस ने लापरवाही दिखाई है, जहां-जहां पुलिस न्याय नहीं कर पाई है, यहा तो उन महिलाओं के लिए है। यह तो कॉल है उन महिलाओं के लिए जहां कि न तो दिल्ली पुलिस और न पिछले समय में कभी दिल्ली कमीशन फॉर वूमेन ने सीरियसनेस दिखाई। यहां तो बाकायदा लिखा जा रहा है अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़कर बता देता हूं फिर से "to receive unheeded complaints" जहां सुनवाई नहीं हुई regarding crimes such as violence, sexual harassment, stalking, voyeurism etc. that are committed against women since February, 2013. जब वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई, इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी गई और यह कमीशन के पास एक सिविल कोर्ट के राइट्स होंगे, जो पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी अधिकारी को समन कर सकते हैं शायद वो डर रहे हैं कि जब समन किया जायेगा तो हम किस मुंह से बतायेंगे कि हमने इन महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं की। यही डर तो खाये जा रहा है। इन्हीं कारणों से इस कमीशन को बनाने की जो हमारे साथी संदीप जी ने संकल्प मूव किया है मोशन, उसके विरोध में हर तरफ से लोग खड़े हैं। इन सब की पोल खुलने वाली है कि दिल्ली की महिलायें जो असुरक्षित महसूस करती हैं किसके पास जाये, मुख्यमंत्री को दिया है, आम आदमी पार्टी को चुना है, आज हमारी बेबसी है कि इस मोशन के जरिये हम अपनी बेबसी, अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री, पूरा का पूरा सदन, यह सरकार अपनी पीड़ा दिखाना चाहती है इसके जरिये, हम क्या करें जब दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़े कर दिये, कह दिया कि हम तो नहीं मानने वाले इनकी, हम तो एकाउंटेबल है सिर्फ मोदी जी के तो हम कुछ तो करेंगे। हम हाथ पर हाथ धरकर थोड़े ही बैठे रहेंगे। मैं अपनी मीडिया के साथियों से भी सादर विनम्र प्रार्थना रकता हूं कि इस पर सियासत

न देखें। इसमें हमारी पीड़ा देखें, माननीय मुख्यमंत्री की पीड़ा देखें, उप मुख्यमंत्री साहब की पीड़ा देखें, हम अभी सुनेंगे उनको। इसमें अगला कहा है कि "to suggest necessary amendments to the relevant laws." यह सरकार बोलने के लिए सिर्फ नहीं है, यह तो करके दिखाना चाहती है। यह वो नहीं है कि एक हजार करोड़ आपने फंड में एलोकेट कर दिया और बैठ गये। हम सीरियस हैं अपने काम को लेकर तभी तो साढ़े चार महीने की जो परफोर्मेंस है पूरे हिन्दुस्तान में सदन के साथियों को बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में कांकीनाड़ा एक जगह है sea coastal एरिया है। मैंने वहां के एक मछुवारे को पूछा कि भई बताओ दिल्ली में सरकार कैसे चल रही है वो कहते हैं कि आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और केजरीवाल सरकार से ही मोदी सरकार डरती है। एक कांकीनाड़ा में मछुवारा कह रहा है। किसने बताया उसको और उसने अगला कहा जिस कद्र से आप काम कर रहे हैं यह हम सब को एहसास दिला रहा है कि आज नहीं तो कल हमारे राज्य में भी ऐसा ही पायेगा। यही तो डर है इनको कि पूरे देश में जो लहर फैल रही है, अब इस कमीशन बनाने में क्या आपत्ति हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार बकायदा कहा कि पुलिस स्टेशन्स के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगें जिससे कि हमारी महिलायें, हमारी बहनें अपने आपको सुरक्षित महसूस करें थानों में जाकर के, लेकिन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या छिपाना चाह रहे हैं? तो यह कमीशन ऐसे मुद्दों की इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी आएगा, हम कुछ manufacture थोड़े करेंगे इसमें। भई आपको बुलायेंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे स्टेटमेंट लेंगे on oath तो इतनी पीड़ा क्यों है। मैं अभी जजमेंट भी देख रहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, कहीं ऐसा कोई मुझे जजमेंट नहीं दिखा जिसमें कि ऐसे कमीशन के फोरमेशन पर कोई रोक हो। यह बड़े दु:ख के साथ मुझे अपने विपक्ष के साथियों का जो वाक आउट हुआ मैं कहना चाहता हूं कि क्या वो दिल्ली की

महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध नहीं है, क्या वो नहीं चाहते कि मीनाक्षी कोई दूसरी मीनाक्षी न हो। क्या वो नहीं चाहते कि दिल्ली की महिलायें और मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदया मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरी खुली छूट मिल जाये तो दिल्ली में xxx[1] स्त्री रात को 12 बजे गहने, जेवर लादकर चली जायेगी और बेहिझक, बगैर डर के। दिल्ली इतनी सुरक्षित हो जायेगी इसी दिल्ली के सुरक्षित होने के डर से यह दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की हरकतों को बचाने वाली मोदी सरकार दोनों भ्रमित है। मैं अपने साथी संदीप कुमार जी के रिजोल्यूशन का हृदय से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और उनको मुबारकवाद भी देता हूं कि आपने इतने अच्छे शब्दों में, इतने सुडौल शब्दों में पूरे रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया है उसका स्कोप तक डिफाइन किया है और इसमें मुझे कोई भी illegality, कोई भी unconstitutionality नहीं दिखती। मुझे लगता है यह कमीशन उस सुनहरे दिन का एक परिचय देता है जबकि हमारी दिल्ली, हम सब की दिल्ली, हमारे जो तीन मित्र चले गये उनकी दिल्ली में भी महिलायें पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगी और चूंकि एलजी गैलरी में आज स्वाति जी बैठी हुई है, उनको मुबारकवाद भी दे दूं और मुझे लगता है कि डीसीडब्ल्यू भी एक अपने अस्तित्व को आज इनके जरिये दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपनी कटिबद्धता पूरी-पूरी दिखायेगा और हमारी महिला स्पीकर भी आज हैं। महिला सुरक्षा की दृष्टि से यह जो संकल्प पत्र आया है उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : प्रमिला टोकस।

श्रीमती प्रमिला टोकस : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जो मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमंते तत्र देवता अर्थात् जहां नारी की पूजा

---

[1]xxxचिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाला गया।

होती है वहां पर देवता निवास करते हैं भारतवर्ष ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि रही है। भारत में प्राचीन काल में नारी का महत्व सम्मान होता था जब हम भारत के प्राचीन इतिहास में जाकर देखते हैं तो सीता पार्वती, गार्गी जैसी महान नारियों का राजकाज कार्यों में सहयोग रहता था। वेदिक काल से लेकर वर्द्धन काल तक नारी जाति का गौरवमयी इतिहास रहा है महिलाओं का राजकार्यों से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग रहा है। इस युग में महिलाओं को पूरी आजादी थी और समाज के हर महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका थी। धीरे-धीरे उनकी भूमिका कम होती गई और उनका सामाजिक स्तर गिरना शुरू हो गया। उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी होने लगी, महिलाओं के साथ अपराध प्राचीन काल में बहुत ही कम थे, उनमें समय के साथ-साथ अब बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हो गई है। इस तरह के अपराधों में दहेज, रेप, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि लोग भ्रूण हत्या करते हैं, रेप करते हैं लेकिन उसके पीछे सजा कुछ नहीं है। इसी कारण से ये कृत्य दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं तो हमें पहले इन कारणों को रोकना पड़ेगा हमें कानून ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि आज किसी ने भ्रूण हत्या की है या रेप किया उनको ऐसी सजा दे कि कल कोई दूसरा इंसान ऐसा करे तो वो एकदम से डरे और अंदर से उसकी आत्मा ही कांप उठे कि अगर मैंने ये किया तो मुझे ये सजा होगी तो ऐसे कानून होना चाहिए। मैं अपने ही विधान सभा की एक महिला जिसने पुलिस में रिपोर्ट की, प्रिंसिपल उनके साथ बहुत बदतमीजी करता था और आज वो उसी प्रिंसीपल का दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया और वो महिला टीचर भी उसी स्कूल में उनके साथ ही ट्रांसफर कर दिया गया। ये कहां का न्याय है? वो असुरक्षित है। उन्होंने इतना साहस किया उस प्रिंसिपल अगेंस्ट बोलने का और फिर भी उन्हीं के साथ उनका ट्रांसफर कर दिया गया अब वो बेचारी मेरे पास आ के रोती है, वो टीचर कॉट्रैक्ट बेस पर है और मैं स्कूल में गई तो वहां पर प्रिंसिपल के खिलाफ लड़कियों ने मुझे

ऐसी-ऐसी बातें बताई कि मैं इस सदन के सामने बोल नहीं सकती, ऐसी बातें उन लड़कियों ने मुझे बताई कि मैडम ऐसे-ऐसे हमारे प्रिंसिपल करते हैं ऐसी ही जो लेडिज टीचर थी, उन्होंने मुझे बताया तो उनके साथ कोई न्याय हुआ कि उसे उस प्रिंसिपल के साथ ट्रांसफर कर दिया गया। और मैं एक अपना ही वाकया बताती हूं। ढाई-तीन साल पहले मुझे एक फोन कॉल आती है अश्लील बातें बोलते हैं, तीन साल हो चुके हैं उन बातों को आज तक अब पुलिस ने जब मुझे इतनी बार कॉल आई तो मैंने उनका झांसा दिया कि मुझे इतनी बारी कॉल आ चुकी हैं ये अश्लील बातें करता है तो आपने इसपर एक्शन क्या लिया तो पुलिस ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वो नाबालिग है, नाबालिग अश्लील बातें बोल सकता है वो रेप कर सकता है पर उसको सजा नहीं हो सकती, क्यों नहीं सकती जब वो अश्लील बातें बोल सकता है, रेप कर सकता है तो उनको सजा क्यों नहीं हो सकती, तो हम यही अपने सदन के माध्यम से की पूरी दिल्ली को जो हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब ने राजनीति से ऊपर उठकर जो एक ये मुद्दा उठाया है कि दिल्ली मेरा एक परिवार है दिल्ली में जो रहते हैं वो मेरे परिवार सदस्य हैं तो उन्होंने ये राजनीति से हटकर ये मुद्दा उठाया है कि दिल्ली मेरी है, मैं इसकी सुरक्षा करूंगा उसमें कांग्रेस की भी रहती है, बीजेपी की भी रहती हैं उन्होंने ये नहीं कहा ये कांग्रेस की है, ये बीजेपी की, दिल्ली हमारी है, हमारी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि जब एक 14-15 साल का बच्चा रेप करता है तो उनके साथ भी कानून सख्त होने चाहिए। अब ये निर्भया कांड हुआ था उसमें दोषी वही जो 14-15 साल का नाबालिग लड़का था उसी ने ये सारी घटना रची, कहते हैं कि जो वो लड़का इतनी घिनौनी घटना रच सकता है तो उनके लिए कानून क्यों नहीं है? कानून नहीं है तभी आज इतने आंकड़े हमारी दिल्ली में पूरे भारतवर्ष के हैं। दहेज प्रथा नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 2012 में दहेज से संबंधित 8233 अपराध रजिस्टर हुए हैं दहेज संबंधित मामलों में मुख्य समस्या

यह है कि इस मामले में महिलाओं के साथ-साथ बच्चों के साथ भी अपराध होता है इसका अर्थ यह है कि देश में हर घंटे एक महिला की मौत दहेज के कारण हो रही है, महिलाओं के साथ 2002 में घरेलू हिंसा के 49 हजार 237 केस दर्ज किये गये, 2013 में बढ़कर एक लाख 18 हजार 886 हो गये, ओनर किलिंग की घटनाओं में भी बहुत बढ़ोत्तरी हुई है, विशेषकर यह समस्या उत्तरी भारत के राज्यों में बहुत बढ़ गई है जिसका संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिया है और इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किये हैं। भ्रूण हत्या यह समस्या तकनीकी ज्ञान के साथ बहुत बढ़ गई। एक अनुमान के अनुसार केवल भ्रूण हत्या से संबंधित चिकित्सा व्यापार हजार करोड़ रुपये का, पूर्व लिंग परिक्षण एक्ट 1994 वर्ष 2013 में संशोधित किया गया किन्तु इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। एक अनुमान के अनुसार भारत में 1990 से अब तक लगभग 10 मिलियन हजार भ्रूण हत्या की जा चुकी हैं और अब भी हर साल लगभग पांच लाख फीमेल भ्रूण हत्याएं अब भी जारी हैं। वर्तमान में रेप महिलाओं के खिलाफ सबसे आम क्राइम है। एक सर्वे और रजिस्टर केसिज के आधार पर लगभग 30 मिनट में एक रेप की घटना हो रही है। 2012 में 24,923 रेप केस रजिस्टर हुए 2013 में यह बढ़कर 33707 हो गई, वर्ष 2015 के पहले दो महीनों में लगभग 300 रेप केस दर्ज हुए हैं इसमें यदि छेड़छाड़ की घटनाओं को भी शामिल कर लिया जाये तो यह आंकड़ा लगभग 500 तक हो जाता है, यह तो वह आंकड़ा है जो पुलिस तक पहुंच जाते हैं। इससे कई गुणा मामले ऐसे हैं जो पुलिस दर्ज ही नहीं करती है, बच्चों का अवैध व्यापार और जबरन वैश्यावृत्ति अपराधों में भी बहुत बढ़ोत्तरी हुई है, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 में देश भर में लगभग 15284 बच्चे लापता हुए। यह आंकड़ा 2013 में बढ़कर लगभग 65461 हो गया इनमें से जो लड़कियां होती हैं। उन्हें वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है और जो लड़के होते हैं, उनसे भीख मंगवाने या अपराध करवाये जाते हैं। इस कारण से लापता बच्चों के माता-पिता उन्हें सारी उम्र

तलाश करते रहते हैं। इस प्रकार के आरोप के सामने सभी अपराध तुच्छ प्रतीत होते हैं, उन मां-बाप के स्थान पर हम खुद को रखकर सोचें तभी कम इस प्रकार के घिनौने अपराधों को समझ पाएंगे। नैशनल क्राइम ब्रांच के अनुसार पिछले एक दशक में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में लगभग 69 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और यदि इसमें kidnapping एंड abduction को भी जोड़ दें तो इसमें 163 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अधिक होने वाले अपराधों में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण मॉरल एजूकेशन का खत्म होना है। प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा और मॉरल एजूकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। महिलाओं की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि पुरुष शिक्षित है तो केवल एक ही परिवार शिक्षित होता है किन्तु एक महिला अगर शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। यदि हम शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करें, नैतिक शिक्षा को शिक्षा का अंग बनाए और महिला शिक्षा अनिवार्य करें तो पूरे समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। एक मॉरल शिक्षा ही ऐसी शिक्षा है जो बच्चों में आचार-विचार और व्यवहार को सकारात्मकता की तरफ ले जा सकता है। आज स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, वह बच्चों में संस्कार के हेतु पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समाज में मूल्यों की व्यवस्था को देखते हुए ऐसे नहीं लगता शिक्षा के वास्तविक अर्थ को भुला चुके हैं। इसलिए ही ऐसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यवहारिक शिक्षा हमारे स्कूल से पूरी तरह गायब है इसलिए समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यदि हमें सभी प्रकार के अपराधों विशेषकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को समाज से कम करना है तो हमें हमारी शिक्षा में परिवर्तन करके उसमें मॉरल शिक्षा की भी शुरुआत करनी होगी। योग, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को हमारी शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना होगा क्योंकि शिक्षा का अर्थ है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदया : कनक्लूड करिए।

श्रीमती प्रमिला टोकस : और हमारे जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने जो अभी जो ये घटना घटी उसके विषय में कहा कि वो लड़की अगर उन लड़कों पर नहीं थूकती तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती, क्या एक लड़की लड़के छेड़ रहे हैं तो क्या वे बुत बनके खड़ी हो की आओ मेरे साथ रेप करे, क्या वो अपनी सुरक्षा के लिए थूक नहीं सकती? क्या वो अपनी सुरक्षा के लिए थूक नहीं सकती या उनको मार नहीं सकती? यह क्या एक पुलिस कमिश्नर को शोभा देता है? क्या ये मनचलों को बढ़ावा देते हैं कि लड़की तो अबला है वो कुछ नहीं करेगी। अगर उन्होंने, मतलब अपराध लड़की का है कि उसने थूका तो वो इसलिए मारी गई। हमारी मोदी सरकार ने नारा दिया था – बहुत हुआ नारी पर वार, अबकी बार मोदी सरकार। लेकिन अब उनका नारा बदलकर हो गया है-रोज होगा नारी पर वार, फिर भी रहेगी मोदी सरकार। तो अब ये नहीं चलेगा। इसलिए हमारे सी.एम. साहब ने ये बीड़ा उठाया है एक राजनीति से उठकर कि दिल्ली हमारी है, परिवार हमारा है तो इस परिवार में हमारी ही चलनी चाहिए। अगर हमारे परिवार में किसी और की चलती है तो वह हम सही दिशा में जाएंगे तो वह हमें सही दिशा में नहीं जाने देंगे। हम जो काम करना चाहते हैं, वो काम नहीं करने देंगे तो इस सदन के माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक विशेष कार्य योजना बनायी जाए व अविलम्ब दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन किया जाए ताकि दिल्ली सरकार दिल्ली को बेहतर कानून-व्यवस्था दे सके और दिल्ली पुलिस की जवाबदेही दिल्ली की जनता व दिल्ली की चुनी सरकार के प्रति तय हो।

उपाध्यक्ष महोदया : सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत घन्यवाद कि आपने मुझे इस टॉपिक पर बोलने का अवसर दिया। हमारे मंत्री संदीप कुमार जी रूल 90 के अन्दर कमिशन्स ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंतर्गत सेक्शन 3 में जिस कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत स्वागत योग्य ये कदम है और बहुत जरूरी है दिल्ली के हालात को देखते हुए कि इस तरीके का कमिशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए। प्रजातंत्र की मूल भावना हमेशा से ये रही है कि डेमोक्रेसी, एकाउंटेबिल्टी पर वर्क करती है। हर पांच साल में लोग सरकार चुनते हैं और ये हर पांच साल में चुनाव इसलिए होता है कि ताकि एकाउन्टेबिल्टी तय रहे। अगर आपकी सरकार, आपके चुने हुए नुमाइंदे अच्छे काम न करें तो पब्लिक उनको रिजेक्ट कर सके और उनकी एकाउंटेबिल्टी और जो ऑन्सरबिल्टी है हर पांच साल में तय होती है। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन्स होते हैं चाहे वो पुलिस हो या और भी गवर्नमेंट के विभाग होते हैं वो सरकार के प्रति उनकी जवाबदेही होती है और वो डिपार्टमेंट्स अगर वो अपनी तरफ से काम न करें या जनता को उनका काम पसंद न आए तो सरकारों के ऊपर पब्लिक का दबाव होता है कि वो सरकारें उन डिपार्टमेंट्स को ठीक करें और उनका काम करें। दिल्ली की स्थिति बहुत पेचीदा स्थिति इसलिए हो गयी है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पुलिस है उसकी जवाबदेही दिल्ली की सरकार के प्रति न होकर केन्द्र की सरकार के प्रति है और केन्द्र सरकार के अंदर भी मैं कहूं तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी या प्रधानमंत्री है नरेन्द्र मोदी, उनके प्रति दिल्ली पुलिस की पूरी की पूरी जवाबदेही है। अब दिल्ली की जनता के लिए बहुत दिक्कत ये है कि ना तो नरेन्द्र मोदी दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं और ना ही राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते हैं दिल्ली में तो दिल्ली की जनता उनसे बेहद दु:खी होने के बावजूद भी दिल्ली की जनता दिल्ली पुलिस से बेहद दु:खी है इसके बावजूद भी दिल्ली की जनता के हाथ में कोई ऐसा मैकनिज्म नहीं है कि हम किस तरीके से नरेन्द्र

मोदी को या राजनाथ सिंह को हम अपना ये मैसेज दे सकें कि हम आपके काम से बेहद नाखुश हैं। हम दिल्ली पुलिस के काम से बेहद नाखुश हैं तो मुझे लगता हे कि ये प्रजातंत्र के लिए, प्रजातंत्र के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों को सॉल्व करने की कोई कोशिश करनी चाहिए। पुलिस की एकाउंटेबिल्टी तय करने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग-अलग फैसलों के अंदर कहा है जिसके अंदर मुख्यत: प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर कहा कि क्या-क्या कदम उठाए जाए जिससे पुलिस की एकाउंटेबिल्टी तय हो। कई कमीशन्स में इसके बारे में बातचीत हुई है। वर्मा कमीशन ने इसके बारे में काफी कुछ कहा है। यहां तक कि ये भी कहा गया है कि पुलिस के लिए पुलिस कम्प्लेक्स अथार्टी बनाई जाए जहां पर पुलिस के विरुद्ध जो शिकायतें हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी की जा सके, उसके ऊपर पुलिस की एकाउंटेबिल्टी तय की जा सके। एक ऐसी इंडीपेंडेंट बॉडी हो जो इंश्योर कर सके कि पुलिस के लोग अपनी ड्यूटीज और ऑब्लीगेशन्स पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर पुलिस के अफसरों के ऊपर आरोप लगते हैं चाहे वो इन्वेस्टीगेशन में डिले के आरोप हों चाहे वो फैब्रिकेशन ऑफ एवीडेन्स के आरोप हों, कस्टडी डेथ्स के आरोप हो, कस्टडी के अंदर ह्रासमेंट के आरोप हों, एक्सटार्शन के आरोप हों, कम्प्लेनेंट को ह्रास करने के आरोप हों तो इस तरीके के आरोपों की इंक्वायरी करने के लिए पुलिस कम्पलेन्स अथॉर्टी का प्रावधान करने की बार-बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और वर्मा कमेटी की तरफ से इस चीज की सिफारिश की गयी है। मैं चाहता हूं कि इस इंक्वायरी कमीशन के बाद हमारी सरकार इस बात को भी देखे कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम पुलिस कम्पलेन्स अथॉर्टी बना सकें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन सब चीजों का समाधान करे और एक पुलिस कम्पलेन्स कमेटी स्टेट लेवल पर भी बने ताकि वो सारी शिकायतें जो जनता को लोगों को पुलिस

के अधिकारियों के खिलाफ जैसे कि आपने देखा कुछ दिनों पहले ही पुलिस के एक अफसर ने बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ बलात्कार किया। यह भी देखा गया कि मीनाक्षी के मामले में आप देखें तो बहुत बड़ी नेगलीजेंस हुई है पुलिस के हाथों कि दो साल तक एक बच्ची बार–बार पुलिस को बतातीत रही कि उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है और पुलिस ने कुछ नहीं कहा और सबसे गंभीर बात मैं इस बार जो मैं देख रहा हूं खासतौर पर कुछ खास मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज देख रहा हूं कुछ बड़े–बड़े अखबारों के अंदर जो हमारे दिल्ली के बहुत ही नामी–गिरामी अखबार हैं, उसके अंदर इस तरीके की घटिया रिपोर्टिंग हो रही है कि उन लोगों के लिए वकालत की जा रही है जिन्होंने मीनाक्षी का कत्ल किया है। उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई मीनाक्षी एक ऐसी लड़की थी जो उस क्षेत्र के अंदर उस तरीके के लड़कियों का व्यवहार नहीं होता। वो लड़की नौकरी करती थी उस क्षेत्र के अंदर तो लड़कियां तो नौकरी करती नहीं है। वो मीनाक्षी एक ऐसी लड़की थी जो जीन्स पहनती थी मगर उस क्षेत्र के अंदर लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हैं तो कुल मिलाकर एक अंग्रेजी का अखबार इतनी घटिया पत्रकारिता कर रहा है कि वो एक ऐसा न्यूज आईटम अंग्रेजी के अंदर छाप रहा है कि मीनाक्षी खुद अपने आप में एक अपवाद थी इसलिए शायद वो कत्ल होने के लिए ही बनी थी। शायद वो उस एरिया में रह रही थी और इस तरीके की उसकी जीवन शैली थी, इसलिए उसको तो कत्ल होना ही था। वो उस कत्ल का इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि इससे घटिया पत्रकारिता मैंने आज तक देखी है और मुझे बहुत शर्मीन्दगी होती है कि वो अखबार दिल्ली का एक पापुलर अखबार है। अखबारों का स्तर इतना गिर गया है कि आज ही एक अखबार के आर्टिकल के बारे में आपको जिक्र करूं तो उस अखबार में ये कहा है कि दिल्ली के अंदर पुलिस वाले जहां रहते हैं उनके मकानों की हालत बहुत खराब है। हो सकता है कि उनके मकानों की हालत बहुत खराब हो। मगर ये टाईमिंग बहुत ही घटिया है। एक वक्त पर जहां पर दिल्ली के लोग यह सोच

रहे हैं कि पुलिस की एकाउंटेबिल्टी तय की जाए, एक बच्ची का दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है, पुलिस का आदमी बंदूक की नोक पर किसी औरत का बलात्कार कर देता है, पुलिस कमिश्नर के ऊपर सारे के सारे चुने हुए नुमाईन्दे ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पुलिस की एकाउंटेबिलिटी तय हो और एक अखबार ये स्टोरी करता है कि भाई देखो पुलिस वाले कितनी बुरी हालत में रहते हैं। हर एक चीज की एक टाईमिंग होती है। अगर कोई पुलिस वाले बुरे हालात में रह रहे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भ्रष्टाचार करने के लिए खुली छूट दे दी जाए। अगर पुलिस वालों की तनख्वाह कम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिन दहाड़े बच्चियों के बलात्कार होंगे और उनके ऊपर ऊंगली न उठाई जाए तो मुझे लगता है कि इस सदन के माध्यम से हमें उस चीज पर कम-से-कम चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए कि पत्रकारिता का स्तर जिस तरीके से घटिया होता जा रहा है उस तरीके से हमारा समाज भी घटिया होता जाएगा क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से हम समाज को ये मैसेज देते हैं कि हमें कैसा समाज बनाना है। अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले मैं कुछ आंकड़ों के बारे में जिक्र करूंगा। जब दामिनी का मामला सामने आया था मुझे लगता है कि दिल्ली की मिडिल क्लास ने, दिल्ली के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने और लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान था जिस कारण पूरी पार्लियामेंट के ऊपर ये प्रेशर बना कि सीआरपीसी के अंदर कुछ एमेंडमेंट्स किए गए, कुछ आईपीसी के अंदर एमेंडमेंट्स किए गए। पुलिस को ये हिदायत दी गई कि आपको महिलाओं की शिकायतों को दर्ज करना पड़ेगा। उस कारण एक बदलाव आया कि 2012 से 2013 के अंदर 131 प्रतिशत कम्प्लेन्टस के अंदर उछाल आया। जो एफआईआर रेप केसिज के अंदर रजिस्टर्ड होती थी 131 परसेंट बढ़ी तो उस चीज को आप लोग किसी न किसी तरीके से इस चीज से लिंक कर सकते हैं कि हां, पुलिस को कहा गया कि

आप एक-एक कम्पलेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। इसलिए 2012 से 2013 के अंदर 131 परसेंट रेप के मामले बढ़े। मगर इस हिदायत देने के बावजूद अगर 2013 से 2014 तक भी 30 परसेंट मामले रेप के बढ़ रहे हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। क्राइम के अंदर पुलिस की हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा क्राइम रेट कम हो। अगर बढ़े भी एक परसेंट दो परसेंट चार परसेंट के बारे में सोचा जा सकता है मगर 30 परसेंट रेप के मामले और भारत जैसे समाज में मुझे ऐसा लगता है कि रेप का केस दर्ज कराने से महिला पहले कम-से-कम सौ बार सोचती है, सौ बार सोचती है कि मेरी आगे की जिंदगी का क्या होगा, मुझसे कौन आदमी शादी करेगा, मेरे मां बाप का क्या हाल होगा, हमारे समाज में क्या रहना होगा। क्या मेरा आगे सोशल बायकॉट तो नहीं हो जाएगा इस सब चीजों को नापने तोलने के बाद एक महिला या एक बच्ची यह फैसला करती है कि हां, मुझे रेप का केस दर्ज कराना है। इन सब मर्यादाओं को तोड़ने के बाद और जब ये केस दर्ज होता है तो ये एक बहुत बड़ा मामला होता है उन मामलों के अंदर भी अगर 30 परसेंट मामले बढ़ रहे हैं तो इसको मुझे लगता है कि हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत गंभीर बात है, बहुत शर्म की बात है और पुलिस की काउंटेबिल्टी तय होनी चाहिए। इस तरीके का कमिशन्स आपको बनाने पड़ेंगे। ये वक्त की जरूरत है। इस कमिशन्स की रिपोर्ट्स के ऊपर भी अमल होना चाहिए और मैं दोबारा से हमारे मंत्री जी को मुबारक दूंगा कि उन्होंने ये कदम उठाया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : मिस सरिता।

सुश्री सरिता सिंह : धन्यवाद डिप्टी स्पीकर महोदया जी कि आज आपने मुझे नहीं पता कि इस सत्र को ऐतिहासिक बोलना चाहिए या दुर्भाग्यपूर्ण बोलना चाहिए। ऐतिहासिक तो है कि आज पहली देश में कोई सदन बैठा है महिला सुरक्षा के लिए।

क्योंकि आज हमारी दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है पर जहां आज हमारे देश की महिलाएं चांद तक जा चुकी है, हमारे देश की महिलाएं बेस्ट ब्यूरोक्रेटस है, बेस्ट डॉक्टर्स है, बेस्ट इंजीनियर्स है वहां पर आज ये सदन चर्चा कर रहा है कि क्या देश की आधी आबादी 50 परसेंट ऑफ दा पॉपुलेशन कैसे सेफ रखा जाए, ये दुर्भाग्यूपर्ण बात है। मैं धन्यवाद करूंगी मंत्री महोदय संदीप जी का जिन्होंने इस कमिशन को बनाने के लिए पटल पर रखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब सत्र का अनाउंसमेंट हुआ, जनरली ही हम ऐसा करते हैं कि हम लोग फैक्टस एंड फिगर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो जब मैंने फैक्टस एंड फिगर्स ढूंढने की कोशिश करी तो मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं क्या फैक्टस ढूंढू। मैं ये फैक्टस ढूंढू कि दिल्ली में डेली कितने बलात्कार हो रहे हैं कि मैं ये फैक्टस ढूंढू कि दिल्ली में डेली कितने इमोलेशिन हो रहे हैं कि मैं इस आंकड़ों को यहां पर लेकर आऊं कि डेली अगर महिलाएं कॉर्पोरेट, स्कूल कहीं पर भी जाती है तो वो कितना अनसेफ महसूस कर रही है कि क्या मैं इस फैक्टस को लेकर यहां पर आऊं। यह बहुत सोचने का यह बहुत ही निंदनीय एक विषय है जिस पर आज हम सब यहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं। हम यहां केवल 67 विधायक नहीं है और अगर मैं बात करूं अपने इतिहास की तो अगर आज उस आंदोलन के जरिए जो दामिनी 2012 में हुआ था, गुड़िया हुआ उसके बाद ऐसे पता नहीं, कितने सारे आंदोलन हुए। फिर 16 जुलाई को हमारी बच्ची मीनाक्षी की हत्या होती है क्या दिल्ली बदली, सरकारें बदल गयी है। उस समय के मुख्यमंत्री ने बोला था कि लड़कियों के पहनने का तरीका ठीक नहीं है तो आज मोदी पुलिस क्या कर रही है। मैं अपने यहां के एक इंसीडेंट को यहां पर कोट करना चाहती हूं बहुत पुराना इंसीडेंट नहीं है तीन महीने पुराना है, नन्द नगरी सी-1 एक एरिया है मेरे यहां पर। एक लड़की है जो पिछले 6 महीने से लोकल एसएचओ से डेली एक्जेक्टली वही चीज शायद मीनाक्षी के साथ हुई। 6 महीने से वहां पर लोकल पुलिस को कंपलेंट कर रही है कि मेरे साथ

वहां पर कुछ सट्टेबाज है जो मेरे साथ बदतामीजी करते हैं, कॉलेज से लौटते वक्त मुझे परेशान करते हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उसके परिवार के भाई बाप चुपचाप बैठ रहेंगे और अपनी बेटी को दिन रात सड़क पर बेइज्जत होते देखते रहेंगे। कुछ ना उनकी सीमा कभी ना कभी तो टूटेगी जब उसके भाई को उन गुंडों को, उन मनचलों को धमकाने की कोशिश की तो पुलिस ने क्या किया महज उसके भाई को अरेस्ट किया। उसको थाने में ले गए और जब वो लड़की अपने भाई से थाने में मिलने जाती है तो पुलिस उस लड़की को थाने के अंदर बंद करके मारती है और यह कहती है कि और अपने भाई को भेज उनको सजा दिलवाने के लिए। ये कर रही है यहां की मोदी पुलिस। मैं दिल्ली पुलिस नहीं कहूंगी अगर शायद दिल्ली पुलिस होती तो दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की महिलाओं के लिए उनकी जवाबदेही होती और जो पुलिस दिल्ली में है वो केवल और केवल केन्द्र में बैठी मोदी सरकार के लिए काम कर रही है। केवल उनके पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है और मैं यह कहना चाहती हूं आज जितनी महिलाएं, यहां पर हो सकता है दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में न हो, दिल्ली पुलिस हमारी बात न मानती हो। पर रामलीला मैदान गवाह है, जंतर मंतर गवाह है, गुड़िया का आंदोलन गवाह है। खुद मुख्यमंत्री जी उस समय पर थे गोकुलपुर में एक बिहार से एक दंपत्ती आये थे उनके साथ तीन दिन तक लगातार बलात्कार हुआ था और जब पुलिस से उनकी एफआईआर की मांगा की गयी तो पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर नहीं किया, सोमनाथ भारती जी उस समय हमारे मुहव्वर थे, पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर नहीं किया। पुलिस ने हम 18 आंदोलनकारियों को तिहाड़ भेजा क्योंकि हमने यह बोला था कि दिल्ली पुलिस उस महिला के बलात्कारी के खिलाफ एफआईआर करें पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आज मोदी की सरकार है। हो सकता है मैं कुछ गलत बोलूं पर आज ये दिल बोल रहा है उस आंदोलन में पैदा हुई बेटी हूं मैं। कैसे हर दिन जितने भी यहां

भाई बहन बैठे हैं, जितने भी साथी यहां बैठे हैं हर दिन हमारे ऑफिस में कोई न कोई आता है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, हमारी बहू के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है तो क्या हमेशा उनको यही जवाब देते रहे कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है, हम कुछ काम नहीं कर सकते तो इसलिए हम यहां नहीं आए थे। दिल्ली की जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा था, दिल्ली की महिलाओं ने हमें इसलिए चुनकर भेजा था कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का आपने इस सत्र को बुलाया ताकि हम अपनी गंभीरता दिल्ली की महिलाओं को दिखा सकें ओर ये सदन आज संकल्प लेता है कि सदन के अंदर तो आवाज उठेगी ही उठेगी। अगर सदन से यह मांग नहीं मानी गयी तो ये आवाज सड़कों पर भी जाएगी। ये आवाज पूरे देश में जाएगी हम आंदोलनों में ये नारे लगाते थे कि महिलाएं क्या चाहती है। आजादी बसों में चलने की आजादी, सड़कों में चलने की आजादी और आज दिल्ली की हर लड़की यह तमन्ना करती है कुछ भी कीजो पर मुझे अगले जन्म बिटिया ना कीजो। आज ये स्थिति हो गयी है दिल्ली की और इस पर पूरी की पूरी केन्द्र सरकार मौन है।

उपाध्यक्ष महोदया, इससे पहले के हमारे प्रधानमंत्री जी साइलेंट मोड में रहते थे और आज दुर्भाग्य की बात है कि आज जो प्रधानमंत्री है वो केवल फ्लाइट मोड में रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि आज देश की महिलाओं की क्या हालत है तो ये बहुत ही गंभीर चर्चा का विषय है। इसे बहुत ही सीरयसली जिस तरह आज तक हमारी सरकार ने लिया, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं हम सीसीटीवी कैमरा तो लगा देंगे पर फुटेज पर क्या दिल्ली पुलिस काम करेगी? हम स्ट्रीट लाइट्स तो लगा देंगे पर क्या स्ट्रीट लाइट्स के नीचे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल खड़ा होगा हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए? ये जवाबदेही कौन तय करेगा? हमें कोई शोक नहीं दिल्ली पुलिस

हमारे अंडर आए। अगर दिल्ली पुलिस मोदी जी के अंडर में रहकर काम कर सकती है तो करे और अगर नहीं कर सकती है तो मोदी जी एक बार दिल्ली पुलिस हमें दे के देखिए जिस तरह दिल्ली से भ्रष्टाचार को केजरीवाल सरकार ने दूर किया है, उसी तरह दिल्ली की हर एक महिला को हम सुरक्षा देंगे, हम गारंटी लेते हैं उनकी सुरक्षा की। ये भूल गए हैं सब लोग। ये वही देश जहां पर रानी लक्ष्मीबाई थी, ये वही देश जहां पर महिलाओं ने अगर वो दुर्गा का ही रूप है तो वही काली का रूप है, अगर वही लक्ष्मी का रूप है तो वही चंडी का रूप है और हमें वक्त नहीं लगेगा सब्र का बांध ना तोड़िए, सब्र का बांध जिस दिन टूटेगा उस दिन भारत मां भी रोयेगी। हम उस देश में रहते हैं जिस देश की धरती को भारत माता कहा जाता है और आज हमारे देश की माता दु:खी है क्योंकि उसकी बेटी सेफ नहीं है, उसकी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो आज पूरा का पूरा सदन प्रतिबद्ध है आज पूरा का पूरा सदन पूरे मुद्दे पर हमेशा चाहे पार्टी बनने से पहले सरकार बनने तक और इसके बाद भी हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और मोदी सरकार से यह अपील है कि जिस तरह उनके प्रवक्ता यानि की मोदी के एलजी साहब उनके प्रवक्ता मोदी के बस्सी साहब जिस तरह चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि को ये चैलेंज देते हैं कि आइए आप हमसे डिबेट करिए तो मैं अपनी साथी रखी की बात का समर्थन करती हूं कि आप अपने प्रवक्ता को भेजिये। हम अपने प्रवक्ता को भेजेंगे। डॉ. कुमार विश्वास आयेंगे और फिर वहां डिबेट करते हैं कि निर्भया फंड का एक हजार करोड़ रुपया कहां गया वहां पर डिबेट करते हैं कि क्यों हर दिन बलात्कारों का रेट बढ़ रहा है। वहां पर डिबेट करते हैं कि हमारे देश की महिलाएं हमारी दिल्ली की महिलायें सुरक्षित क्यों नहीं है डिबेट करते हैं। बार-बार यही अनुरोध है कि चर्चा पर चर्चा बहुत सालों से हुई हैं। आज तक की सरकारों ने केवल चर्चा किया है। आज तक की सरकारों ने केवल विचार किया है। अब विचार और चर्चा का समय खत्म हो चुका है दिल्ली की महिलाएं परेशान हो चुकी हैं और

आज शायद इस विधान सभा ने ये सत्र बुलाकर ये साबित कर दिया है कि हम अगर हमारे पास पावर न हो तो हम चुपचाप अपने घर में चूड़ी पहन हम चुपचाप अपने घर में नहीं बैठने वाले। हम हर मंच पर, चाहे वह विधान सभा के अंदर हो, चाहे वह विधान सभा के बाहर हो, हम यह आवाज उठायेंगे। महिला सुरक्षा हमारे लिये सबसे जरूरी मुद्दा था, सबसे जरूरी मुद्दा है और सबसे जरूरी मुद्दा रहेगा जब तक तंत्र, ये सिस्टम जब तक सारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हो जाती। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : कानून मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी।

श्री कपिल मिश्रा : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया, आज के इस सत्र में अपनी बात रखने से पहले मुझे याद आती है हमारी उस बहन संतोष कोहली की, जो शायद इस सदन में बैठी हमारी सभी साथियों, सभी महिला साथियों, हमारे सामने बैठी स्वाति जी और हम सभी के लिए जो कार्यकर्त्ता थे, आंदोलनकारी थे और आज इस सदन में बैठे हैं, सभी के लिये प्रेरणादायक रही हैं सभी को जिन्होनें लड़ना सिखाया है और लड़कर जीतना सिखाया है, उन संतोष कोहली को श्रद्धांजलि। उनकी प्रेरणा को याद करता हूं और ये दिन वे यहां पर रहकर नहीं देख पाई लेकिन ये सौभाग्य है कि इस सदन में आज वंदना कुमारी जी बैठी हैं उपाध्यक्ष के तौर पर। इस सदन में बैठी हैं अलका लाम्बा जी, सरिता जी, प्रमिला जी, भावना जी, राखी बिड़ला जी और वहां सामने स्वाति जी बैठी हैं महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर। इस सिस्टम से लड़कर, इस सिस्टम को बदलकर और इस सिस्टम से जीतकर यहां तक पहुंचे हैं हम लोग। एक साल का वह दौर भी देखा है जब अंधकार की तरह दिल्ली जी रही थी एलजी के राज्य में और उससे पहले महिला आयोग पूरी तरह अंधकार युग में था। बनने के पहले दिन किस प्रकार से जीबी रोड में जाकर उन्होंने जायजा लिया। आज तक महिला आयोग शायद केवल राजनैतिक तौर पर इस्तेमाल होता था। अब महिलाओं के लिए इस्तेमाल

होना शुरू हुआ। बड़े अहंकार के साथ भाजपा के ओ.पी. शर्मा जी ने आज इस सदन में बोला कि दिल्ली पुलिस को अपने अंडर में लाना है तो सदन में दो तिहाई बहुमत होना चाहिए भारत की संसद के अंदर। ये वही अहंकार है जिस अहंकार से ये कहते थे कि जन लोकपाल की बात करनी है तो चुनाव लड़कर दिखाओ। चुनाव लड़कर दिखाओ, चुनाव जीतकर दिखाओ। उस अहंकार ने दिल्ली को बदला है और आज जिस अहंकार से ओ.पी. शर्मा जी ने चुनौती दी कि सदन में दो तिहाई बहुमत देकर दिखाओ। अभी तो सदन में नहीं है वह, लेकिन मैं यह कहता हूं, अब बड़ी जिम्मेदारी से और भरोसे के साथ कि वह दिन भी आयेगा। आप ऐसे ही अहंकार दिखाते रहिये। आप ऐसे ही ठुकराते रहिये जनता की आवाज को। वह दिन भी आयेगा जब सदन में दो तिहाई बहुमत लेकर वहां पर भी बैठेंगे और देश की व्यवस्था को बदलेंगे। क्या मांग रहे हैं, किस चीज का सत्र बुलाया गया है, क्या ऐसी मांग है जिससे वे सदन छोड़कर चले गये। भगोड़ा कौन है आज, कौन है भगोड़ा, कौन हर बार सत्र को छोड़कर भागता है। किसके लोग डिबेट से बच रहे हैं, किसके लोग चाहते हैं कि सत्र ही न हो, कमीशन ऑफ इंक्वायरी ही न बने मुझे लगता है जो एक साल का प्रपंच और दुष्प्रचार देश में इन्होंने किया था, आज खुदको भगोड़ा साबित करके भाग गये सदन से तीनों। इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर महिलाओं की स्थिति पर चर्चा होने की जरूरत है। कई तरह से समाज को विभाजित करके देखा जाता है। कभी कहते हैं हिन्दू और मुसलमान में समाज विभाजित है, गरीब और अमीर में समाज विभाजित है, ऊंची जात नीची जात में समाज विभाजित है, लेकिन अगर हमारा समाज सबसे ज्यादा बड़ा कोई लड़ाई लड़ रहा है कोई विभाजन है तो वह आदमी और औरत की लड़ाई हमारे समाज में चल रही है और आदमी और औरत के बीच में विभाजित हो चुका है ये समाज। हमारे घर की, आज इस सदन के अंदर देख रहे हैं ऐतिहासिक तौर पर महिलाएं आई हैं सुनने के लिए, उम्मीद लेकर आई हैं, स्कूल की बच्चियां भी आई थी, उम्मीद लेकर

आई थी ये दखने के लिए कि ये सदन क्या चर्चा करेगा। कितनी शक्ति के साथ दिल्ली में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में बात रखी जायेगी और एक ठोस निर्णय लिया जायेगा उसको देखने और सुनने के लिए सभी लोग सदन में आये हैं। आज हमारे घर की कोई बहन-बेटी, कोई बिटिया, कोई बच्ची स्कूल चली जाये, कॉलेज चली जाये, नौकरी करने वाली जाये। सुबह जब वह घर से निकलती है और शाम को जब तक वह वापिस नहीं आती है, घर वाले दिन में चार बार उसे फोन कर देते हैं। बिटिया खाना खा लिया, बिटिया तुम्हारा काम हो गया, कैसा चल रहा है। किसी के मन में ये इच्छा नहीं होती कि ये पता करे कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, किसी के मन में ये इच्छा नहीं होती कि पता करे काम कैसा चल रहा है। मन में धुकधुकी लगी होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। सब ठीकठाक तो है, सही सलामत तो है। हर दो घंटे में पूछते हैं। जब तक घर से निकला बच्चा, घर से निकली बेटी शाम को घर वापिस नहीं आ जाती, तब तक हमारी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटकी रहती है। रोज एक मन में डर बना रहता है कि आज पता नहीं क्या हो जोयगा, आज पता नहीं क्या हो जायेगा और इस दिल्ली शहर के अंदर... सुबह मेरी बात हुई। मैंने कोशिश की सदन के अंदर डेटा लेकर आते हैं, देखते हैं क्या-क्या आंकड़े हैं, क्या चल रहा है दिल्ली को अंदर। महिला आयोग, कोई आंकड़ा नहीं है साहब महिला आयोग के पास, उनको नहीं मालूम दिल्ली में क्या होता है। महिलाओं के साथ क्या और कितने आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, न्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं मालूम। दिल्ली पुलिस के लोगों को नहीं मालूम। किसी को फर्क नहीं पड़ता। पता लगा तो क्या पता लगा बेंगलूरु में जितने अपराध होते हैं उससे ढाई गुणा ज्यादा अपराध दिल्ली में होते हैं महिलाओं के साथ मुम्बई में जितने अपराध होते हैं उससे साढ़े चार गुणा ज्यादा अपराध दिल्ली में होते हैं महिलाओं के साथ। कोलकाता में जितने अपराध होते हैं उनसे पांच गुणा

ज्यादा अपराध होते हैं दिल्ली में होते हैं महिलाओं के साथ। देश की जो 50 मैट्रो सिटी हैं मेजर मैट्रो सिटी, उनमें कुल मिलाकर जितना अपराध होता है महिलाओं के साथ, उनका एक तिहाई हिस्सा बलात्कार और किडनेपिंग का एक तिहाई अपराध केवल दिल्ली शहर के अंदर हो रहे हैं। जितने पूरे देश के 50 शहरों में होते हैं। सोलह परसेंट दहेज हत्यायें दिल्ली के अंदर हो रही हैं इन 50 मैट्रो शहर के मुकाबले में और घर के अंदर जो हिंसा हो रही है उसके बारे में तो शायद चर्चा ही करना गुनाह हो गया है कोई बात ही नहीं करता। चौदह परसेंट अपने पतियों के द्वारा जो हिंसा हो रही हैं उसकी शिकार महिलायें हैं। पूरे देश में जो महिलाओं के सम्मान पर जब हमले की बात आती है तो अकेले दिल्ली शहर में 5 परसेंट मामले केवल इस शहर के अंदर से निकलकर आते हैं। अब हम कहते हैं कि अकाउंटेबिल्टी फिक्स नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी। 2013 की बात करें, 1636 बलात्कार के मामले अकेले इस शहर में दर्ज किये गये और उसमें भी सबसे खतरनाक बात ये थी कि 10 परसेंट मामले ऐसे थे जो 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ हुए थे। एक तरफ तो हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन से पहले ऐसा लगता है कि राइट टू नाट टू बी रेपड, ऐसा कोई कानून बनाना पड़ जायेगा। बलात्कार से बचाने के लिए कुछ करना पड़ जायेगा। दस साल से छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं है। किस चीज की बात कर रहे हैं। हर रोज 5 महिलाओं के साथ बलात्कार, 12 के साथ मोलिसटेशन, 2 हत्यायें, 26 से ज्यादा चेन स्नेचिंग रोज इस शहर के अंदर हो रही है, जिम्मेदारी किसकी सिद्ध की जाये, किसको अकाउंटेबिल सिद्ध किया जाये, किसकी जिम्मेदारी होगी। पुलिस कमिश्नर साहब आकर के यहां पर वाद-विवाद करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर मैं आपको बताऊं इसी साल 15 जुलाई तक 2574 छेड़खानी के मामले तो दर्ज किये गये और कितने सोल्व किये दिल्ली पुलिस ने। केवल 77 मामले, 2574 में से केवल 77 मामलों को सुलझाने में

कामयाब हुई है ये निकम्मी पुलिस। अपने गिरेबान में झांकने से पहले वे ये कहते हैं कि हम लोग डिबेट करेंगे। साहब, पटेल नगर डबल मर्डर सोल्व नहीं हुआ, राजौरी गार्डन मर्डर सोल्व नहीं हुआ, शोभित मोदी का मर्डर केस सोल्व नहीं हुआ, रोहिणी का ट्रिपल मर्डर सोल्व नहीं हुआ, सरोजिनी बतरवाल का मर्डर सोल्व नहीं हुआ, ग्रेटर कैलाश में सीनियर सिटीजन को मार दिया गया आज तक पुलिस को नहीं पता किस ने मारा, नेहा जिंदल के साथ क्या हुआ पुलिस को नहीं पता, छित्तर मल जैन के साथ क्या हुआ पुलिस को नहीं पता, सिमरनजीत कौर को किस ने मारा पुलिस को नहीं पता। यहां तक कि जो बाइक में आकर मार कर गये थे, कमला नगर में, उनके बारे में पुलिस आज तक सीसीटीवी में फुटेज होने के बाद सोल्व नहीं कर पाई है। ये दिल्ली का क्राइम डेटा है और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तब आती है, जुलाई 2015 में पुलिस के सब-इंस्पेक्टर को पकड़ा गया बंदूक की नोक पर बलात्कार करते हुए। जुलाई, 2015 में मनोज वरिष्ठ हत्याकांड जिसमें 9 पुलिस वालों के खिलाफ जांच चल रही है। जनवरी की बात है दिल्ली पुलिस के एसीपी को उसी की डाटर-इन-ला, उसी की बहू ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया दिल्ली पुलिस के एसीपी के खिलाफ। सितम्बर, 2014 की बात है, 25 साल की महिला कर्नाटका से आई थी मेरी विधान सभा में, करावल नगर में, उन्होंने मामला दर्ज कराया है कि दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने थाने के अंदर उसके साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की और बलात्कार की कोशिश की। फरवरी, 2014 के अंदर एक और सब-इंस्पेक्टर पकड़ा जाता है दिल्ली पुलिस का बलात्कार के अपराध में। अप्रैल, 2014 में 53 साल का पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ा जाता है थाने के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार करने के लिए। ये क्या हो रहा है? ये रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं दिल्ली के। दिल्ली पुलिस अपराध की प्रतीक बन चुकी है और दिल्ली पुलिस के आका बनकर जो अपने आप को बताते हैं, वे इस मामले में डिबेट से बचकर भाग जाते हैं। बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है

लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं दिल्ली को आधुनिक भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शहर बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो दिल्ली की पुलिस सबसे बड़ी रुकावट है इसके रास्ते में। न वो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनने देना चाहते हैं न वो दिल्ली को अपराध मुक्त बनने देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी विभाग में हो रहा है तो दिल्ली पुलिस के अंदर हो रहा है और खुद अगर अपराधियों की सरगना बन कर कोई बैठी है तो दिल्ली की पुलिस बैठी है और उसके बाद पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने बस्सी जी ने कहा कि हम ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। ज्यादा एफआईआर दर्ज करेंगे तो ज्यादा मामलों की जांच करनी पड़ेगी। ज्यादा मामलों की जांच करेंगे तो ज्यादा फाइलें इक्कट्ठी होंगी। ये भारत की संसद की कमेटी के सामने दिल्ली के पुलिस आयुक्त का बयान है। यानि की जिन आंकड़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो तो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। बाकी मामले तो दर्ज ही नहीं किये जा रहे हैं। दु:ख होता है। देश में सरकार बना कर आये नरेन्द्र मोदी जी बोलते थे कि "बहुत हुआ नारी पर वार हम आ के बचाएंगे अबकी बार मोदी की सरकार, जीत के आये हैं, कई बार मन की बात की है आज तक उनमें महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं आई उनके मन में। कभी एक बार आई होती कि मन की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर करेंगे। लेकिन कैसे करें? कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना चाहता हूं। सदन के अंदर जब संवैधानिक व्यवस्था का चुना हुआ मुखिया अपने खुद की धर्मपत्नी को अपने घर में रखने में पछताता हो, शर्माता हो न रखता हो तब शायद उस पूरी की पूरी सरकार के अंदर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा था अलका लाम्बा जी ने, अभी नहीं हैं सदन में। जब भाजपा के साथी आवाज उठा रहे थे, अखबार दिखा रहे थे। एक आरटीआई तो गुजरात की एक बहन ने भी डाली है। उसके बारे में भी सुन लें, सुनवाई कर लें। साल में एक दिन अपनी मां के पास जाकर आंगन में बैठकर टीवी

के सामने लड्डू खाने से महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती। महिलाओं को अपने साथ बराबरी से रखकर सुरक्षा होती है। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ का नारा देने वाले आज बन गये सुषमा बचाओ, वसुंधरा बचाओ, स्मृति ईरानी बचाओ, इतना ही है बस भाजपा का बेटी बचाओ का नारा। इसके बाहर शायद उनको समझ नहीं आता कि इसके बाहर भी देश की बेटियां हैं, इसके बाहर भी ये देश है। निहालचंद, दिल्ली की पुलिस कहती है राजस्थान में जाकर मिसिंग हो गये। आम आदमी पार्टी के विधायकों को छोटी-छोटी बात में अरेस्ट करने वाली दिल्ली पुलिस इस सदन के माध्यम से कहता हूं मैं आपको एड्रेस देता हूं निहालचंद का है हिम्मत है गिरफ्तार करने की? 17, तीन मूर्ति मार्ग है उनका पता। जाके गिरफ्तार करके आइये। हंसराज अहीर खुद उनका बयान है self declared case है जबरदस्ती उठाकर एक महिला को किडनेप करके जबरदस्ती शादी करने का मामला तक है। कई तरह के गंभीर अपराधिक मामले हैं, 17 बीडी मार्ग पर रहते हैं, है हिम्मत है दिल्ली पुलिस की जाके गिरफ्तार करके आने की। आम आदमी पार्टी के विधायकों पर रोज केस करने वाली दिल्ली पुलिस भाजपा के 98 सांसदों पर 281 में से 98 सांसदों के ऊपर अपराधिक मामले दर्ज हैं और 63 के ऊपर गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हैं। किसी एक भी सांसद को गिरफ्तार करके दिखाया है। भारत की सरकार की कैबिनेट में 31 परसेंट मंत्री ऐसे हैं, जिनके ऊपर गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हैं। 31 परसेंट वोट मिला इस देश से 31 परसेंट मंत्री ऐसे बना दिये जिन पर गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हैं। यानि भाजपा को जितना वोट मिलेगा उतना अपराध को बढ़ावा देगी भाजपा। अच्छा हुआ देश की जनता ने 31 परसेंट से ज्यादा वोट नहीं दिया एक दो और अपराधियों को मंत्रालय में शामिल कर लिया जाता। लेकिन आज की जो संवेदनहीनता है, संवेदन शून्यता है। दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, उसके ऊपर न बोलने की जो उनकी रणनीति है उसका तो जवाब देना होगा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी का विरोध किया। क्या है इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी में? क्या गलत बोल दिया संदीप

जी ने। क्या करना चाहते हैं इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी से जिसे गैर-संवैधानिक बोल के चले गये भाजपा के लोग। भाई राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के खिलाफ हमेशा से बढ़ते अपराधों और गंभीर स्थिति से निपटने में कानून लागू करवाने वाली एजेंसी की असमर्थता और उदासीनता क्या दिल्ली पुलिस असमर्थ साबित नहीं हो गई है। क्या दिल्ली पुलिस उदासीन साबित नहीं हो गई है। जो 2,574 में से केवल 77 मामलों को सुलझा पाये वो असमर्थ है, वो निकम्मी पुलिस है और जिसके खुद के सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसीपी बलात्कार करते हुए पकड़े जाते हैं बिल्कुल वो एक उदासीन पुलिस व्यवस्था है। उसकी जांच करने के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस दिल्ली का हक है। दिल्ली को पता चलना चाहिए कि जिन महिलाओं ने बरसों से जा जाकर थानों के दरवाजे खटखटाये, शिकायतें दर्ज कराईं उनको न्याय क्यों नहीं मिला, ये पता चलना चाहिए। ये दिल्ली का हक है। ये इस देश का हक है। इसके लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने की बात की जा रही है। जस्टिस वर्मा ने सिफारिश की थी। उस सिफारिश के बाद आखिरी हुआ क्या? आखिर और कौन से सुझाव देने जरूरी हैं। क्या कानून में कुछ और बदलाव होना जरूरी है। क्या पुलिस वाले तो नहीं मिल जाते अपराधियों से जो बलात्कार करके भी छेड़खानी करके भी अपराधी बचके निकल जाते हैं। इन सभी चीजों की जांच करने के लिए लंबे समय से चलते आ रहे अपराधिक मामलों के निपटारे के लिए क्या होना चाहिए। क्या सीआरपीसी में कोई बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बतायेगा ये कमीशन बतायेगा अध्ययन करके। क्या पुलिस व्यवस्था में कुछ खामी है। क्या दिल्ली को कुछ और चीजों की जरूरत है। उसके लिए एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना रहे हैं। इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी से डर किस बात का लग रहा है भाजपा को। किस चीज से डरकर भाग गये इस सदन से। क्यों कहते हैं गैर-संवैधानिक है। मैं एक बात तो कह देना चाहता हूं। आज किसी भी चीज की आड़ में अगर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के साथ जो समझौते बार-बार हो रहे

हैं उसकी जो लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है उसको रोकने की कोशिश की, कोई ऐसी हद नहीं है जिसको हम पार करने के लिए तैयार न हों इस मुद्दे के ऊपर। पूरी चुनौती देते हैं अपराधियों को भी और अपराधियों को संरक्षण देने वाली पुलिस को भी और पुलिस की आका बनकर बैठी भाजपा की सरकार को भी। दिल्ली में महिलाओं के साथ अपराध हों और शीला दीक्षित की तरह से सरकार चुप होकर बैठी रहे, ऐसा इस शहर के अंदर अब नहीं होने वाला। अब नहीं होने वाला कि मुख्यमंत्री जाकर ये बोलेगा पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती भाई हम क्या करें। या तो आप अपराध रोक दीजिये या कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक-एक मामले की पोल खोलेगा। जनता के सामने लेके आएंगे और इस देश की जनता निर्णय लेगी कि कौन सही है कौन गलत है। हरियाणा के आज के मुख्यमंत्री, जीतने के बाद एक अपराध हुआ हरियाणा के अंदर, कहते हैं लड़कियों को जींस पहनके नहीं आना चाहिए। एक और उनके भाजपा के नेता कहते हैं महिलाओं को मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सी सदी में ले जाना चाहते हैं इस देश को। किस जमाने में इस देश को रखना चाहते हैं। मुझे ये लगता है अब समय आ गया है दिल्ली की लड़कियां, दिल्ली की महिलाएं नेतृत्व करेंगी और देश की महिलाएं जो आधी आबादी हैं इस देश की वो आगे आकर अपना हिस्सा पूरा प्राप्त करेंगी। हर क्षेत्र में जैसे आगे बढ़ रही हैं ऐसे ही उनको बस में चलने की आजादी, बिल्कुल सही कहा सरिता बहन ने, बस में चलने की आजादी मिलनी चाहिए, सड़क पर चलने की आजादी मिलनी चाहिए, खुलके जीने की आजादी मिलनी चाहिए। अकेले काम पर जाने की आजादी मिलनी चाहिए और ये आजादी इस आजादी की लड़ाई की शुरुआत जो संतोष कोली जैसी कार्यकर्त्ताओं ने की थी, आज ये सदन इसको आगे बढ़ाये। माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्रस्ताव को लेके आने के लिए। और बस इतना ही कहना चाहता हूं ये

सदन एकजुट रहे, ये दिल्ली एकजुट रहे। किसी की मजाल नहीं है दिल्ली की महिलाओं के ऊपर आंख उठाकर देख ले इसके बाद। बहुत-बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदया : परिवहन मंत्री श्री गोपाल राय।

परिवहन मंत्री (श्री गोपाल राय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े से बड़े विद्यवानों को यह समझा नहीं पाई कि जब दिल्ली का विशेष सत्र महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा कर रहा हो, तो उस दौरान उनको क्या बोलना चाहिए। सुबह चर्चा शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। लेकिन उन सदस्यों को, विपक्ष के नेता को सदन के मार्शल द्वारा आज निकाल कर फेंका नहीं गया था लेकिन आज शर्म है कि भारतीय जनता पार्टी का सदन में बैठा हुआ नेता महिलाओं की सुरक्षा पर बोलने की औकात नहीं रखता है और बोलने में भाजपा की जुबान आज गूंगी बन गई है। यह आज शर्म की बात है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय अभी हमारी एक बहन कह रही थी कि पहले जो प्रधानमंत्री थे, वह मौन रहते थे। लेकिन आज धीरे-धीरे पूरे हिन्दुस्तान के अंदर यह बात फैलती जा रही है कि केवल पहले वाले प्रधानमंत्री ही नहीं मौन रहते थे, आज बोलने वाले प्रधानमंत्री का भी गला सूख गया है, अब जुबान नहीं खुल रही है। न सदन के अंदर खुल रही है और न अपने विधायकों द्वारा इस सदन के अंदर बोलने की हिम्मत हो रही है कि आज वे क्या बोलें? कुछ बचा नहीं है। सदन में क्या कह रहे हैं, बाहर क्या कह रहे हैं। आज मैंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का ही वक्तव्य पढ़ा, "वे कह रहे हैं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ अदालत में जाऊंगा।" क्या करने जाऊंगा? तो कहते हैं कि उस लड़की ने झूठ बोला है कि

उस लड़की को 34-35 चाकुओं से गोदा गया। बोले कि झूठ बोला जा रहा है। उसे तो केवल 8 चाकुओं से मारा गया था। शर्म नहीं आती है? एक भाजपा के अध्यक्ष हो। केन्द्र की सरकार की पार्टी के प्रतिनिधि हो, कहते हो कि उस लड़की को आठ बार चाकुओं से मारा गया था और मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा, विज्ञापन में कहा कि 34 बार मारा गया। इसलिए अदालत में जाओगे। अरे। अदालत में जाने से पहले तुम्हें अपना मुंह काला कर लेना चाहिए कि हमारी बहन की लाश बिछी, उसकी जान गई, और तुम गिन रहे हो कि 8 चाकुओं से गई कि 12 चाकुओं से गई कि 24 चाकुओं से गई कि 32 चाकुओं से गई है। शर्म नहीं आती है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि उसने थूका, इसलिए मार दी गई। अगर थप्पड़ मारा होता तो क्या होता? बोटी से बोटी से कटवाया गया होता उस लड़की को? क्यों किया गया ये कारनामा? और क्या मीनाक्षी अकेली है? दिल्ली के अंदर जब से निर्भया कांड हुआ, हिन्दुस्तान की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के प्रश्न पर सबको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, वह सच है कि भारतीय समाज के अंदर महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है, भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति जो सोच है, भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति जो नजरिया है, वह उतना बेहतर नहीं है, जिसकी आज हम यहां बैठकर आशा रखते हैं, लेकिन सोच और समाज के अंदर जो विचार है उसको बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर पुलिस कहती है कि थूकोगी तो मारी जाओगी। निर्भया ने क्या किया था? निर्भया ने किसके ऊपर थूका था? निर्भया ने किसको थप्पड़ मारा था? निर्भया का क्या गुनाह था? जिस तरह से निर्भया को सरेआम दरिन्दों ने दरिन्दगी के साथ इस राजधानी में जिस तरह का कुकृत्य किया था, उसके बाद दिल्ली बोली थी। आज कहते हो कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है, इसलिए

चुप रहो। एलजी महोदय दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आते हैं, इसलिए चुप रहो। दिल्ली की सरकार के ऊपर केन्द्र सरकार सुप्रीम है, इसलिए चुप रहो। लेकिन इस दिल्ली ने उस नजारे को देखा है। जब दिल्ली की सड़कों पर निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड के बाद दिल्ली की उन्हीं बहनों ने, दिल्ली की उन्हीं छात्र छात्राओं ने इस हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति के गेट पर जाकर लात मारी थी और कहा था कि we want justice हमें न्याय चाहिए। इस भारतीय संविधान के तहत, लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास, हर महिला के पास हर पुरुष के पास लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, सदन भी आवाज आज उठा रहा है। आज इंक्वायरी ऑफ कमीशन जो हम बिठाने की बात कर रहे हैं, संविधान के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर महिलाओं की सुरक्षा के साथ खेल होगा तो संविधान को बदलने की हिम्मत हिन्दुस्तान की आवाम रखती है। हिन्दुस्तान की आवाम ने हिन्दुस्तान के संविधान को बदला है और फिर बदला जायेगा। किस अधिकार की बात करते हो? इतना अहंकार हो गया है, इतना गुमान हो गया है? कमीश्नर होने का गुमान हो गया, एलजी होने का गुमान हो गया? पीएम होने का गुमान हो गया? अरे, तुम पीएम इसलिए हो कि देश की जनता ने तुम्हें बिठाया है। तुम एलजी इसलिए हो कि देश का संविधान तुम्हें अधिकार देता है। तुम कमिश्नर इसलिए हो कि देश का संविधान तुम्हें तनख्वाह देता है। मान सम्मान के साथ मत खेलो। दिल्ली के लोग लड़ना जानते हैं। हम संविधान के दायरे में आज लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं, क्योंकि संविधान ने ये अधिकार दिया हुआ है दिल्ली विधान सभा को। लेकिन हम दिल्ली की विधान सभा के अंदर केवल चुप नहीं बैठे हैं। अगर हमारी बहनों के साथ ये घटना हुई तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और एक बार नहीं हुआ? पुलिस क्या समझती है? पिछली बार भी जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद आंदोलन हुआ। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने लाठियां चलाई और आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी। विजय चौक पर उस आंदोलन में मैं भी मौजूद

था। विजय चौक पर तेरह राउंड लाठियां चली थी उस दिन। 13 बार लाठियां चली, और नहीं पता कि कहां से लड़के लड़कियों कर झुंड निकलकर आता था, लाठियां खाता था, वापस जाता था फिर आता था और उस आंदोलन को तोड़ने के लिए पुलिस ने फिर साजिश रची। आंदोलन कारियों के बीच में अपने एजेंट भेजे। पत्थर चलवाये। लाठियां चलवाई। आंदोलन को तोड़ा फिर भी काम नहीं चला। झूठा आरोप लगवाया। एक पुलिस कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। उसके आरोप में चार-चार नौजवानों को गिरफ्तार करवाया। जांच में साबित हुआ। पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि क्या ये झूठ है? जिन मुकदमों में नौजवानों को फंसाया गया था, 302 में का मुकद्दमा लगाया गया था। आरोपों की जांच में क्या साबित हुआ? झूठे आरोप पाये गये, पुलिस ने षडयंत्र किया था। उतना ही नहीं, गोकलपुर की चर्चा अभी हमारी बहन सरिता कर रही थी। गोकल पुर के अंदर बिहार के दो लड़के लड़कियां शादी करके आये थे। देश की राजधानी दिल्ली में जायेंगे, घूम-फिर करके आयेंगे। नई-नई शादी थी। गरीब परिवार के बेटे-बेटियां थी। बिहार के बेटे बेटियां इस दिल्ली के अंदर आई दलालों के कब्जे में पहुंची। तीन दिन तक दिन रात बलात्कार हुआ और उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब हमारे कार्यकर्त्ता गये एफआईआर दर्ज करने के लिए 17 लड़कों के हाथ पैर तोड़े गये। पुलिस ने कहा कि अगर बात करोगे तो तुम्हारे मुंह में पेशाब कर देंगे। ऑन रिकॉर्ड दर्ज हुआ। रात भर पुलिस लेकर थाने से थाने दौड़ती रही। अरविन्द केजरीवाल रात भर दौड़ते रहे। रात को अदालत बैठी। रात में जज बैठा और रातों रात उन लड़के लड़कियों को तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। क्या ये झूठ है? क्या ये दिल्ली के अंदर घटना नहीं हुई, क्या ये दिल्ली के अंदर काम नहीं किया गया? आज फिर वही घटना हुई। मीनाक्षी की आवाज को जब दिल्ली के अंदर उठाया जा रहा है, वही घटना दोहराई गई। जब हमारे कार्यकर्ता पहुंचे थाने में तो लाठियों से उनकी हड्डी पसली तोड़ी गयी। तिहाड़ पहुंचाया गया। जब हमारे आम आदमी पार्टी

के संयोजक श्री दिलीप पाण्डेय ने जब उस आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज उठानी चाही तो ट्रक से कुचल दिया गया। पुलिस कहती है कि ब्रेक फेल हो गया। लेकिन जब वह बस दिलीप पाण्डेय के पास पहुंची तो उसका ब्रेक ठीक हो गया। इतना ही ब्रेकफेल था कि दिलीप पाण्डेय जहां खड़े थे, वहीं तक पहुंचा और उसके बाद ब्रेक अपने आप ठीक हो गया और गाड़ी रुक गयी। ऐसा करिश्मा तो नहीं नहीं देखा भई। इतिहास क्या बता रहा है? बार-बार बार-बार एक घटना दिल्ली के अंदर हो रही है और आप चुपचाप बैठे हो। और आज शर्म आती है, छोटे से छोटे मुद्दे पर पहले दिल्ली का जंतर मंतर धरना स्थल होता था। रामलीला मैदान धरना स्थल होता था। आजकल माननीय मुख्यमंत्री का घर धरना स्थल हो गया है। रोजाना हर मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा के लोग जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हैं, मीनाक्षी मर्डर के बाद इन कांग्रेस भाजपाइयों की घिग्गी बंद हो गई है। एक भी आवाज नहीं उठी मीनाक्षी के पक्ष में। कहते हैं कि पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं। किसके पक्ष में बोल रहे हैं? कांग्रेस / भाजपा के लोग क्या पुलिस के प्रवक्ता बन गये? क्या पुलिस की पैरवी कर रहे हैं? आज क्या कर रहे है? आज कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए अखबार में छपा। 5 लाख रु. मुख्यमंत्री जी देने के लिए बोलकर आये थे, अभी तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने आज तक जो कहा है, वह किया है। उसके परिवार को 5 लाख नहीं अगर जरूरत पड़ेगी उसकी सुरक्षा के लिए तो पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है, पूरा सदन उसके साथ खड़ा है। हम भी अपनी-अपनी तनख्वाह का पैसा सुरक्षा के लिए उस परिवार को देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों क्या तुम्हारी केन्द्र सरकार का खजाना खाली है? तुम क्यों नहीं कुछ सहयोग कर रहे हो? पहले सहयोग करने के लिए चैक देकर आये हो और फिर मजा इस बात का आता कि आप उठाते कि नहीं, दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। आप कुछ नहीं बोल रहे हो, पुलिस के साथ खड़े हो। और उठा क्या रहे हो? सरकार ने कहा था, पैसा नहीं

दिया। आज दिल्ली के अंदर इस बात के लिए जरूरी है कि आज जो इंक्वायरी कमेटी की बात उठी है, आज जरूरी है, इसलिए नहीं कि आज दिल्ली सरकार में हम बैठे हैं और केन्द्र में भाजपा बैठी है। पुलिस कुछ और बोल रही है, एलजी कुछ और बोल रहे हैं। इसलिए नहीं... इसलिए नहीं आज इसलिए जरूरी है कि उतने आंदोलन के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी ने मिलकर जो रिपोर्ट प्रस्तुत किये थे निश्चित रूप से उसमें दिल्ली की और देश की तमाम महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ था कि इस रिपोर्ट को लागू होने के बाद दिल्ली के अंदर और देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित होंगी लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट को नहीं लागू किया गया उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया उस कमेटी की रिपोर्ट आगे बढ़ी भी, उसे भी रोक दिया गया। आज ऐसी कमेटी की जरूरत है कि आज दिल्ली के अंदर सारी इन परिस्थितियों की समीक्षा कर सके। इस बात की समीक्षा वो कर सके कि अगर एफआईआर दर्ज हुए तो कितने हुए, अगर एफआईआर दर्ज हुए तो उस पर कार्रवाई कितनी हुई। आज इस बात की समीक्षा करने की जरूरत है कि क्या इतने दिनों के बाद भी इतने बड़े आंदोलन के बाद भी क्या दिल्ली के अंदर नये परिवर्तन होने के बाद भी, क्या केन्द्र में भी नई सरकार बनने के बाद भी, क्या दिल्ली में भी नई सरकार बनने के बाद भी, दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ। क्या एक महिला आज हिम्मत करेगी। आज यहां दिल्ली के अंदर तमाम विधायिकाएं यहां बैठी हैं जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और महिला के प्रतिनिधियों की बात छोड़ दो यहां विधायक बैठे हुए हैं आज दिल्ली पुलिस का जो रवैया है आज अगर कोई घटना हो जाए तो यह डर लगता है कि पुलिस थाने में जाएंगे। तो हमें बेइज्जत करेगी या हमारे कहने पर एफआईआर दर्ज करेगी। इस बात का भरोसा दिल्ली के अंदर नहीं बचा है। इसलिए आज सदन की जरूरत पड़ी और इन सारी चीजों के ऊपर संविधान के तहत कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाना

जरूरी है और जो मंत्री जी प्रस्ताव लाए हैं, जो यह सरकार द्वारा प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, पिछली बार जब हमारी सरकार बनी थी, महिलाओं का बलात्कार हुआ, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था दिल्ली पुलिस से कि इस पर कार्रवाई करो। जिस एसएचओ के, जिस पुलिस बीट के, जिस पुलिस के क्षेत्र में यह घटना घटी है, उसे ट्रांसफर करो, उसे जवाब देह साबित करो, अगर वो बात उस समय मान ली गई होती तो शायद आज जो घटनाएं बढ़ रही हैं, नहीं होती। उस समय माननीय मुख्य मंत्री दिल्ली के मुख्य मंत्री होते हुए, 4 डिग्री से॰ के तापमान में जाकर रात के अंधेरे में धरना दिया था। भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने कहा यह तो धरना कुमार है। धरना कुमार है, धरना कुमार था और धरना कुमार रहेगा। महिला के सम्मान और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। तुम किस लिए धरना दे रहे हो, ललित गेट के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों ने संसद के अंदर धरना दिया, इसलिए धरना दिया भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, अभी सुबह बोल रहे थे तमाशा करते हो तुम लोग तो यहां हर बात पर तमाशा करते हो, तमाशा हम नहीं करते हैं, तमाशा तुम करते हो। हम जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है हम सदन के अंदर चर्चा करते हैं और नियंत्रण करने के लिए सारी कोशिशें करते हैं। एक कवि ने लिखा था "सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शान्ति से भर जाना"।

आप चाहते हो कि जैसे तुम्हारे प्रधानमंत्री चुपचाप बैठ गए हैं, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते राहे उनके मुंह से जवान ही नहीं निकल रही है, वह यह सोचते हो कि दिल्ली के अंदर बलात्कार होगा, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार होगा, दिल्ली के अंदर घटनाएं होंगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। दिल्ली सरकार ने बनने के बाद से लगातार काम किये हैं। निर्भया फंड बना था, हमारी सरकार बनी जब महिला सुरक्षा को लेकर हमने प्रस्ताव बनाना

शुरू किया, बसों में मार्शल लगाने का प्रस्ताव बनाना शुरू किया, बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव बनाना शरू किया, हमने एक साथ दो प्रस्ताव बनाए थे। हमने एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के निर्भया फंड में दिल्ली की सुरक्षा के लिए भेजा और एक प्रस्ताव अधिकारियों ने कहा दो-दो प्रस्ताव क्यों बना रहे हो, हमने कहा कि देखते हैं कि कौन आगे काम करता है। एक प्रस्ताव हमने केन्द्र सरकार को भेजा, निर्भया फंड से काम करने के लिए और एक प्रस्ताव दिल्ली सरकार के बजट के लिए भेजा, हमें इस बात का फख्र है केन्द्र सरकार आज तक जवाब नहीं देती और दिल्ली में सारा प्रस्ताव बजट में पारित किया है। अब दिल्ली में काम हो रहा है। दिल्ली में मार्शल लगने शुरू हो चुके हैं। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगने का प्रस्ताव आगे बढ़ रहा है, लेकिन हां, मैं उसके साथ-साथ यह बात जरूर कहना चाहता हूं, साथियों आज हमने विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली के पुलिस से उम्मीद करते हो अगर आप तो शायद निराशा आपको हाथ लगेगी, एलजी साहब से अगर आप अपेक्षा रखते हो, आपको निराशा हाथ लगेगी, अगर मोदी साहब से आप अपेक्षा रखते हो तो आपको निराशा हाथ लगेगी, लेकिन इस का मतलब नहीं कि संघर्ष छोड़ देंगे। 1857 में पहली चिंगारी फूटी थी। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता वो एक दिन हिन्दुस्तान छोड़ कर जाएंगे। लेकिन 1857 की उस चिंगारी ने 1947 आते-आते अंग्रेजों के नामों निशान को मिटा दिया। इसलिए लोगों को उम्मीद नहीं है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में आ जाएगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लेकिन यकीन मानों अपनी आवाज को जिस मुश्तैदी से जिस, जिस मजबूती से उठाते हो, उठाते रहे, दिल्ली के अंदर पुलिस भी आएगी और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा और दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा। आवाज में ताकत होती है। आवाज में वो ताकत होती है जो काम हथियारों से नहीं होता, वो काम आवाजों

से होता है। इसलिए अपनी आवाज को उठाते रहो। इसका असर हो रहा है, इसका असर हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। पूरी भाजपा के रणनीति कारों ने खोजा। महिला सुरक्षा के इस सत्र को कैसे फ्लाप किया जाए, तो क्या लिखकर लाए कि सोमनाथ भारती अपनी पत्नी के ऊपर कुत्ता फैंकते हैं, उसका क्या इलाज करोगे, अरे उसका भी इलाज कर लेंगे और तुम्हारे मोदी का भी इलाज कर लेंगे, बस्सी का भी इलाज कर लेंगे और एलजी का भी इलाज कर लेंगे, अगर दिल्ली की जनता हमारे साथ है, तो आवाम के दम पर तस्वीर इतिहास में बदली है और उसी आवाम के मुहब्बत और आशीर्वाद के दम पर दिल्ली की तस्वीर बदलेगी यह भरोसा लेकर हम यहां सब बैठे हुए हैं। अंग्रेजों के राज में भी सारा अधिकार आंदोलन कारियों के पास नहीं था। धीरे-धीरे अधिकार मिला। महात्मा गांधी के पास भी अधिकार नहीं था, भगत सिंह के पास भी अधिकार सारा नहीं था, जवाहर लाल नेहरू के पास भी अधिकार नहीं था। पहली बार जब दिल्ली में असम्बली के चुनाव हुए थे, अंग्रेज वाईसराय हुआ करते थे, सारे राज्यों में सरकारें बन गई, राज्यों की सरकारों के पास भी अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन हम लड़ते गए, अधिकार बढ़ते गए और हमने इस देश को आजाद कराया है। आज दिल्ली असम्बेली के पास जो अधिकार है, आपकी लड़ाइयों से आपका अधिकार बढ़ रहा है, आपको यकीन मानो सदन जब दिल्ली के संसद का बैठता है तो प्रधानमंत्री को चिन्ता नहीं होती, जब संसद सत्र बुलाया जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को चिन्ता नहीं होती, लेकिन एक टेलीविजन चैनल की कोने की पट्टी में चल जाता है दिल्ली विधान का सत्र बैठने वाला है, धुक-धुक-धुक-धुक करने लगता है। अरे हमारे पास तो अधिकार भी नहीं भाई। आर्डर देते है नल एंड वाईड हो जाता है। अब मुख्य मंत्री जी को पता चल गया। ये मैं लिखूंगा तो क्या होगा। फिर भी डर क्यों लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि तुम हत्यारों के पक्ष में खड़े हो, हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं। डर इसलिए लगता है कि तुम बेइमानों के पक्ष में खड़े

हो, हम ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं और डर इसलिए लगता है कि तुम्हें कुर्सी प्यारी है हमें कुर्बानी प्यारी है इस मुल्क के लिए, इसलिए डर लगता है। और यही ताकत थी हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के उन शहीदों की। क्या था उनके पास? आज हम तो विधायक है। सात मंत्री बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं। उनके पास क्या था जंगल की रोटियां, अंधेरे के रास्ते, फांसी भी कब लगी कैसी लगी, किस को भी नहीं पता चले, उनके वारिस है हम। तुम किस के वारिस हो अपना तय करो। इसलिए हम कहना चाहते हैं। ये जो लड़ाई चल रही है। पिछली बार हमने पहले सड़क से आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन हमने सीखा है। संसद और संविधान के दायरे में भी इस सदन के पास इतना अधिकार है कि हम लड़ाई सदन के माध्यम से लड़ सकते हैं और सदन के माध्यम से हम लड़ाई को लड़ेंगे, और इतना हम जरूर कहना चाहते हैं इस सदन के माध्यम से माननीय मोदी जी को कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को कहना चाहते हैं कि आप ये अगर सोचते हो कि विधायक बन गए इनको दबोच लोगे यह नहीं होने वाला है। इतना हम जरूर कहना चाहते हैं, इस सदन के माध्यम से माननीय मोदी जी को कहना चाहते है, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को कहना चाहते हैं कि आप ये अगर सोचते हो कि ये विधायक बन गए, इनको दबोच लोगे, ये नहीं होने वाला। मैं जनता हूं, मैंने देखा है कि जब-जब हमारा सदन हुआ उसके बाद हमारे एक विधायक पर निशाना साधा गया। इस सदन के बाद भी तैयार रहना एक आध पर मुकदमा होने वाला है क्योंकि आप सोचो कि दर्द कितना हो रहा होगा इस सदन को टेलीफोन पर देख कर। वैसे बड़े चैनल नहीं दिखा रहे होंगे। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी का जो विशेष खुफिया अड्डा है, जहां से दिल्ली को संचालित और नियंत्रित किया जा रहा है, वहां मॉनटरिंग हो रही होगी, टोटल टीवी देखा जा रहा होगा। क्या

चल रहा है सदन के अंदर, कौन क्या बोल रहा है और उसी में से टीप रहे होंगे कि अब अगली बार किस पर निशाना साधना है।

लेकिन एक बात याद रखना आपके ऊपर एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। ये लड़ाई अन्ना ने आंदोलन में कहा था और बार-बार कहा था ये आजादी की दूसरी लड़ाई और आजादी की दूसरी लड़ाई अपने संवैधानिक तरीके से आज आगे बढ़ रही है। जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी बढ़ेगी। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज सदन के अंदर जो प्रस्ताव रखा गया है वो स्वागत के योग्य है। दिल्ली के अंदर इस तरह की एक इंक्वायरी कमेटी बनाने की जरूरत है और उसे जरूर बनाया जाना चाहिए।

लेकिन एक प्रस्ताव और मैं रखना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री गण और सारे विधायक यहां हैं कि दिल्ली की सरकार महिला सुरक्षा को लेकर जो भी हमारी तरफ से प्रतिबद्धता है, अभी मानता हूं मैं कि पांच महीने केवल हुए हैं। बहुत सारे कामों की केवल शुरुआत हुई है लेकिन हम लोग दिल्ली सरकार के अंदर भी एक कोओर्डिनेशन कमेटी बनाए और सारे काम करते हुए सबसे प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली सरकार जितना काम कर सकती है अगले छह महीने के अंदर वो सारे काम पूरा करने के लिए कोआर्डिनेशन कमेटी काम करे। ये प्रस्ताव भी मैं सदन के सामने रखना चाहात हूं। शुक्रिया धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे गोपाल भाई इस लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई करार दे रहे थे। तो मैं सोच रहा था, मेरे सामने दो दस्तावेज हैं एक देश का संविधान है और एक में कुछ-कुछ फाइलें हैं। इस संविधान में कुछ चीजें लिखी हुई है और इस फाइल में भी कुछ चीजें लिखी हुई है। इस फाइलों में क्या

लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है और इस संविधान में जो लिखा हुआ है, ये सारी आजादी की लड़ाई की कहानी इसी से है। देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई और उस आजादी की लड़ाई की बदौलत हमें यह संविधान हासिल हुआ और उसके बावजूद इस देश में जो हो रहा है उसमें से कुछ प्रतिनिधि चीजें इस फाइल में है और इस फाइल में जो लिखा हुआ है उसमें और इस संविधान में कुछ तारतम्य बैठ जाए इसके लिए आजादी की दूसरी लड़ाई है, जो ये लड़ाई चल रही है। इस फाइल के बारे में मैं बात करूंगा इस सदन में। पर उससे पहले मैं थोड़ी सी बात इस संविधान के बारे में कर दूं। क्योंकि हमारे तीन साथी जो इस देश की ऐसी पार्टी के सदस्य है इस सदन में दिल्ली की जनता ने उनको भेजा है और उनकी पार्टी को, उनके दल को देश की संसद में बिठाया है कि जाइये देश के लिए कानून बनाइये। वो इसी संविधान का हवाला देते हुए इस सदन से उठकर गए हैं, पर्चे फाड़कर फेंकते हुए, नारे लगाते हुए।

अध्यक्ष महोदय, इस संविधान की व्यवस्था, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, सबको पता है और संदर्भ में रहे, यही है कि संविधान के तहत देश की जनता एक सरकार चुनेगी, विधायक चुनेगी, सांसद चुनेगी और उससे एक सरकार बनेगी और फिर वो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि देश के हर आदमी को, राज्य के हर आदमी को बराबरी का अधिकार मिले। न्याय, धर्म, सत्य की स्थापना हो, सुरक्षा मिले। पिछले 65 साल में आजादी के बाद से, इस संविधान बनने के बाद लगातार न्याय, धर्म, सत्य की हत्या हुई है। 65 साल हो गए लेकिन किसी को इस संविधान की चिंता नहीं हो रही। कभी सदन बायकाट नहीं हुआ साहब, देश में न्याय, धर्म, सत्य का अपमान हो गया, स्थापना नहीं हो पा रही। कोई इंटरप्रटेशन अपने हिसाब से लिख ली गई और उस इंटरप्रटेशन का वायलेशन हो गया तो नारे लगाते हुए, हाय-हाय चिल्लाते हुए निकल गए सदन से।

आज हम सदन में बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं, विशेष रूप से आकर बैठे हैं। सरकार ने कहा कि ऐतिहासिक होना एक गर्व की बात भी हो सकती है लेकिन आज इस इतिहास का होना दु:ख की बात है। इस ऐतिहासिक सदन की बैठक बहुत दु:ख की बात है। मैं चाहता हूं कि इस फाइल में से कुछ चीजें मैं पढ़कर आपको सुनाऊं। ये कुछ दस्तावेज हैं और ये कौन से दस्तावेज है, ये हम तमाम विधायकों के पास में हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जो तीन साथी संविधान की दुहाई देते हुए यहां से उठकर चले गए, उनके घर पर भी लोग सुबह-सुबह उनकी विधान सभाओं के, दूसरी विधान सभाओं के लोग आते हैं अपना प्रतिनिधित्व लेकर। ये उनमें से कुछ कागज हैं, मैं उठाकर लाया हूं।

इसमें पहले कागज में एक एफआईआर है और मैं चाहूंगा कि ये सदन के रिकॉर्ड में रहे चीजें। क्योंकि जब तक ऐतिहासिक सदन पर, इस बैठक पर चर्चा होगी या कभी कोई समझना चाहेगा तो कुछ तारीखें इस सदन के रिकॉर्ड में रहें। पहला कागज है इसमें एक लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है 12 मार्च, 2015 के रोज। उसमें लिखा है कि किस तरह से एक लड़के ने उसके घर में उसका रेप करने की कोशिश की और मैं इसमें नाम नहीं ले रहा हूं। जानबूझकर लड़कियों के नाम नहीं ले रहा हूं। अपनी बहनें, अपनी बेटियां हैं। लेकिन मैं सदन के पटल पर ये कागजात रखूंगा और मैं चाहूंगा कि रिकॉर्ड का हिस्सा रहें। इसमें लिखा है कि किस तरह से और ये मेरी विधान सभा के हैं, पटपड़गंज विधान सभा जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं पटपड़गंज गांव का किस्सा है कि एक लड़के ने एक लड़की का घर में बलात्कार करने की कोशिश की जब उसका भाई बाहर से लड़की को बचाने आया तो भाई को भी उसने, लड़के ने पटका और फिर वहां से भाग गया। अब उसके बाद उसमें पुलिस में एफआईआर हुई। हम हमेशा ये नहीं कहते एफआईआर नहीं होती, एफआईआर मैं लेकर आया हूं,

एफआईआर भी होती है हम मान लेते हैं। लेकिन ये 12 मार्च, 2015 की है। अब उसके बाद 8 मार्च, 2015 को वो लड़की फिर से एसएचओ के नाम चिट्ठी लिख रही है और उस चिट्ठी के मैं कोट-अनकोट बोल रहा हूं कि "मैंने पहले भी आपको शिकायत भेजी है पर कोई जवाब नहीं आया। आपसे कोई मिलने नहीं देता, अब मैं क्या करूं? मेरे पापा भी नहीं है, भैया-भाभी को भी अब मौका मिल गया है कि मेरी पढ़ाई रुकवा दे और मुझे घर में बिठा दे। आप समझ सकते हैं कि मेरी हालत क्या है। मुझे इंसाफ कब मिलेगा? वो लड़के का नाम लिखकर उसने पूछा है कि वो लड़का तो खुला घूमता है और मैं घर के अंदर कैद हो गई हूं। ये कैसा कानून है। हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मुझे आगे का रास्ता कौन बताएगा," ये लड़की पूछ रही है। ये मैं फिर से बता दूं कि 14 मार्च को ये एफआईआर हुई है, 8 अप्रैल को उस लड़की ने ये चिट्ठी लिखी है उसके बाद, अच्छा माफ कीजिएगा 14 मार्च को एफआईआर हुई उसके बाद उसने, जो मैंने चिट्ठी पढ़ी वो 8 अप्रैल की है उसके बीच में 20 मार्च को एक और चिट्ठी लिखी। "सर जी, मैं पहले भी आपको शिकायत कर चुकी हूं मेरे पापा नहीं है, अपने भाई-भाभी के पास रहती हूं। लोग भी मुझे ही बोलते हैं कि इसी ने कुछ किया होगा, कुछ बुलाया होगा लड़के को, कोई नैन-मटका किया होगा। अब मेरे पापा नहीं है तो मेरी मां बस रोती रहती है। आगे लिखती है मुझे तो ऐसा महसूस कराया जाता है कि मैंने ही गलती की पुलिस को बुलाकर और आपके पुलिस वाले भी तू-तड़ाक से बोलते हैं और कहते हैं कि तेरा रेप नहीं हुआ इसलिए चक्कर लगा रही है। अगर रेप हो जाता तो चुप बैठ जाती। हर तीसरे दिन अपनी भाभी को लेकर आ जाती है। अब मुझे बताइये क्या रेप होने के बाद भी कुछ हो सकता था, रेप के बाद ही कुछ हो सकता था?" कुछ नहीं है शर्म करो। ये उस लड़की की दास्तान है। ये एक दास्तान है, अध्यक्ष महोदय।

दूसरी दास्तान है, ये भी एफआईआर है। ये एफआईआर 18 सितंबर की है। इसमें भी कहानी यहीं है कि एक लड़की को उसके पड़ोसी ने छेड़ने की कोशिश की। सातवीं क्लास में वो लड़की पढ़ती है। उस लड़की ने 18 सितंबर को एफआईआर कराई। मैं तारीखें इसलिए याद करा रहा हूं, 16 मार्च उसके बाद में 8, उसके बाद में 20 मार्च और 8 अप्रैल, लड़की की कहानी वहीं की वहीं है। दूसरी लड़की की कहानी है वो कहती है कि 18 सितंबर को उसको छेड़ने की, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश होती है। उसके बाद वो 14 मई, 2015 को वापस पुलिस स्टेशन को लिख रही है श्रीमान जी, आगे वो पूरा घटनाक्रम लिखती है। उसका एक पैराग्राफ मैं पढ़कर सुनाता हूं। ''मेरे पड़ोस में फलाने नाम का एक व्यक्ति रहता है उसने मेरा और मेरी, माफ कीजिए ये उसकी मां ने लिखी है। उसने मेरा और मेरी लड़की का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। दरवाजे के सामने खड़ा होकर जब भी मौका मिलता है अश्लील किस्म के गानें गाता है, गंदी गालियां देता रहता है। मैं और मेरी लड़की जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो देखते ही गंदे गाने गाने लगता है। पीछे से आवाज लगाता है और पीछे–पीछे चलकर कुछ दूर तक आता है। रात के समय दरवाजे के अंदर छिपकर झांकता है।'' आगे उस लड़की की मां ने पूरी कहानी लिखी है, अध्यक्ष महोदय। ये तारीखें मैं फिर से याद दिला दूं कि 18 सितंबर, 2014 की एफआईआर है, इसी तरह की घटनाओं के मामले में और फिर 14 मई, 2015 को इतने वापस ये चिट्ठी लिखी है, पुलिस स्टेशन को उसकी मां ने।

एक और दस्तावेज है, इसमें एफआईआर नहीं है। इसमें ये लड़की डोमैस्टिक वायलेंस का शिकार है। उसका पति उसको मार रहा है और ये लड़की 28.08.2014 को लिखती है पुलिस को, कुछ नहीं होता। उसको पूरे के पूरे ससुराल के लोग मिलकर प्रताड़ित कर रहे हैं, शराब पीकर उसको मारते हैं। कुछ नहीं होता। उसके बाद वो

अगली रिपोर्ट लिखती है, उस पर भी कुछ नहीं होता। दो बार कंपलेंट करती है। एक बार 28 तारीख को और एक बार एक और कोई डेट है, इस पर स्पष्ट नहीं है। लेकिन उसमें लिखती है कि मैंने इतनी तारीख को भी आपसे कंपलेंट की थी और मार-पिटाई की मेडिकल रिपोर्ट्स भी है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है।

एक और केस मैं रख दूं। इसमें हमारे पटपड़गंज विधान सभा में रहने वाली एक लड़की जिसने पुलिस को शिकायत की है। पहले उसने शिकायत की थी 06 जनवरी, 2015 को। उसमें उसने शिकायत की है कि "उसको कोई कॉल करता है, घर पर फोन करके उसको छेड़ता है। वह लिखती है मेरे मां-बाप को गंदी-गंदी गालियां देता है। मोबाइल पर छेड़ता है, परेशान करता है। मैंटली टार्चर कर रहा है। यह 06 जनवरी को लिखा गया है। उसके बाद 24 जून को फिर से वो लड़की लिखती है कि साहब, मैंने आपको पहले भी शिकायत की है। वो हमारे घर पर बार-बार फोन करता है। मैं उसके कटस पढ़ रहा हूं बस। हमारे पापा को गंदी-गंदी गालियां देता है और कभी बोलता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। कुछ-कुछ बोलता है"। मेरे को मैंटली टार्चर किया जा रहा है। दो केस में एफआईआर नहीं हो रही है और जहां एफआईआर हुई है, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई और यह कहानी सिर्फ चार नहीं है। हम सारे साथी जानते हैं कि रोज सुबह जब हम सोकर उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले दिखने वाले चेहरों में से इसी तरह की कहानियां सुनाने के लिये चेहरे होते हैं। इसी तरह से पीड़ा से दु:खी चेहरे होते हैं। अब सवाल यह है। इसीलिये मैंने कहा कि एक तरफ मेरे हाथ में पीड़ा है और दूसरे हाथ में संविधान और जो यहां पर जो लोग बैठे हैं, इन लोगों की बदोलत इस संविधान में और इस पीड़ा में रास्ता कट गया। रास्ता तारतम्य में रह गया और कट गये हैं एक-दूसरे से क्योंकि जब संविधान की बारी आती है, संविधान के तहत कुछ करने की बारी आती है तो यह सारे के सारे बहुत सारे संविधान

विशेषज्ञ बन जाते हैं और दावा करते हैं कि साहब, यह तो संविधान में नहीं लिखा हुआ। लड़की कहती है कि साहब हमारी एफआईआर नहीं हो रही है, ये कह रहे कि संविधान में नहीं लिखा हुआ। लड़की कहती कि मुझे मेरा पड़ोसी छेड़ रहा है, ये कहते हैं संविधान में नहीं लिखा हुआ। लड़की कहती है मेरे बाप को दलाल कहा जा रहा है, ये कहते हैं संविधान में नहीं लिखा हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जाओ और जा कर पढ़ो संविधान और देखो संविधान में क्या लिखा हुआ है। क्यों, और मैं जानता हूं कि यह तब तक संविधान नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनके घर में इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है। यह उस दिन संविधान ढूंढ लायेंगे, उस दिन संविधान में सब कुछ लिखा जायेगा कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाती है। लड़कियों की सुरक्षा कैसे की जाती है, जब अपने पैर में विवाई फटेगी। अध्यक्ष महोदय, में सदन के माध्यम से और इस सदन के समक्ष उन तमाम लोगों के लिये कहना चाहता हूं जिनको इस देश का संविधान समझ में नहीं आ रहा। पूछना चाहता हूं बल्कि कि साहब दिल्ली में तमाम तरह के कानून है। हम मानते हैं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के Under में नहीं है। हम मानते हैं कि इस विधान सभा में दिल्ली पुलिस के बारे में कानून बनाने का दायरा नहीं है। लेकिन मैं उन तमाम संविधान विशेषज्ञों के सामने सवाल रखना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के हाथ में ये है कि अगर दिल्ली का कोई आम आदमी कोई भी आम आदमी वो चाहे सरकारी नौकरी करता हो, या गैर–सरकारी नौकरी करता हो अगर दिल्ली में तमाम तरह के कानून हैं कपिल भाई बैठे हैं जल बोर्ड के चेयरमैन हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का पानी का बिल न भरे तो उनके पास अधिकार है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पानी के बिल भरने का, पानी के दाम चुकाने के जो कानून है, उसके नियम का उल्लंघन होता है तो फिर कानून यह नहीं देखता कि पेमेंट नहीं करने वाला आदमी सांसद है, विधायक है, पुलिसकर्मी है, वकील है, पत्रकार है, व्यापारी है, कुछ नहीं देखता। कानून यह देखता है कि एक आदमी

ने पानी का बिल नहीं भरा वो भले पुलिसकर्मी क्यों नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये कहते हैं नहीं साहब, संविधान कहता है कि दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं है, आप तो उससे पानी का बिल भी नहीं मांग सकते। अगर पुलिसवाला बिजली का बिल न भरे तो ये कल को कहेंगे कि नहीं साहब, पुलिस आपके हाथ में नहीं है, बिजली कम्पनियां उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस तो आपके हाथ में नही है। इसी तरह की बचकानी हरकत है। यह सब कहते हैं कि नहीं साहब, आप महिला सुरक्षा के मामले में, मैं दु:खी होते हुए कहता हूं कि इनकी बचकानी सोच है ये। महिला सुरक्षा के मामले में जब यह सदन चर्चा करने बैठा जिसको दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी दी है कि जाओ और जा कर कुछ कानून बनाओ और व्यवस्था करो। यह सदन चर्चा करने बैठा तो मजाक उड़ा रहे हो, मजाक उड़ाया जा रहा है कि साहब यह तो संविधान के दायरे में नही आता। यह सदन के दायरे में नहीं आता। मैं उन तमाम लोगों को जिनको संविधान समझ में नहीं आता दोहराना चाहता हूं कि सीआरपीसी और आईपीसी इस सदन के दायरे में आते हैं। कॉन्करैण्ट लिस्ट में पहले नम्बर पर आईपीसी आता है और सीआरपीसी नम्बर दो पर आता है। और मैं अभी देख रहा था कि मीनाक्षी के माता-पिता बैठे हुए हैं यहां पर जिनके साथ ये हादसा हुआ। जिस घटना के बाद यह सदन दु:खी हो कर बैठने को मजबूर हुआ और मीनाक्षी के माता-पिता यहां पर बैठे हुए हैं और वो भी देख रहे हैं कि मेरी बेटी ने इस देश के विधायकों में इतनी ऊर्जा भर दी कितना सुखद होगा कि आगे किसी की बेटी के साथ ऐसा न हो। उसकी बेटी के जिस्म पर लगे चाकूओं के हिसाब न गिने जायें बल्कि ये हिसाब गिने जायें कि बेटी को एक भी चाकू लगता है तो जख्म कितनी बार छलनी होता है, दिल कितनी बार छलनी होता है। ये हिसाब जमाना लगाने बैठे, वो देखने आये यहां पर। मैं कहना चाहता हूं कि मीनाक्षी के केस में या उन तमाम केसिज में या हमारे पास आने वाले हर केसिज में जिन धाराओं का उल्लंघन होता है, उनमें से अगर कोई

नोट करना चाहे तो नोट कर लें हालांकि वो लोग नहीं हैं जिनको संविधान का सबसे ज्यादा पता होने का दावा है कि सब मामलों में आईपीसी की धारा-166ए, 166-बी, 326-बी, 354, 354-ए, 354-बी, 354-सी, 375 का उल्लंघन हो रहा है। इसमें सीआरपीसी के 161 और 357-सी का उल्लंघन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिये फिर से दोहराना चाहता हूं कि जब बिजली का बिल अगर कोई पुलिसवाला नहीं देगा तो क्या संविधान में यह लिखा हुआ है कि बिजली कम्पनियां उनको पकड़ नहीं सकतीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकतीं क्योंकि वो तो पुसिलवाला है। पुलिस इस सदन के दायरे में नहीं आती। अगर ऐसा है तो या फिर इस सदन से रेजूलेशन पास हो जाये कि पुलिस के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी चाहे वो बिजली का बिल न दे, या पानी का बिल न दे या और दिल्ली के किसी भी कानून को न माने या फिर इस सदन से रेजूलेशन पास हो जाये कि यह व्यवस्थायें जिसको करनी थीं आईपीसी और सीआरपीसी के उल्लंघन में जो कोताही बरती जा रही है, इन सबके लिये यह आयोग गठित किया जाये और यह आयोग फिर इस चीज की गहन समीक्षा करे कि कहां क्या हो रहा है। कौन एजेंसियां हैं जो जिम्मेदार हैं, कौन और उसमें दिल्ली सरकार की भी। हम सिर्फ पुलिस की बात नहीं करते अगर हमारा एसडीएम अगर दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला कोई भी अधिकारी जिसको दिल्ली सरकार के माध्यम से तनख्वाह देती है दिल्ली की जनता कोई भी अधिकारी बैठ कर यह कहे उसमें कोताही बरते तो उसके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की जाये उसकी भी जवाबदेही फिक्स हो। यह कमीशन पूरी स्वतंत्रता के साथ और पूरे दायित्व के साथ काम करे। मैं ऐसा इस सदन से अपेक्षा करता हूं कि इतनी ताकत देकर यहां से एक रेजूल्यूशन भेजें की सदन की पूरी ताकत और दिल्ली की पूरी ताकत और की उन तमाम महिलाओं की ताकत जिनकी प्रतिनिधि यहां बैठी हुई

हैं, हम हैं जिनके प्रतिनिधि। उनकी ताकत लेकर वो पूरा कमीशन काम करे और एक मैसेज जाये। आज यहां इस सदन में भाई बलीसिंह सीमा जी बैठे हुए हैं जो जनक्रान्ति के बहुत बड़े कवि हैं, जिनकी कवितायें बहुत बड़े-बड़े आंदोलनकारियों ने गायी हैं, मैं उनकी मशहूर लाइन के साथ अपनी बात खत्म करूंगा और वो शायद संदेश दे रही हैं कि:—

"तय करो किस ओर हो साथी तय करो।
आदमी के हक में हो या कि आदमखोर के।"

इस सदन में इत्तफाक से ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो एक तरफ बैठे हैं। लेकिन जो यहां हैं और जो संविधान की उस तरह से समीक्षाएं और विश्लेषण कर रहा है। उसकी विवेचनायें कर रहा है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि तय कर लीजिये संविधान में तो यही लिखा हुआ है कि हर आदमी को जीने का बराबर हक है। संविधान में तो यही लिखा हुआ है कि आईपीसी और सीआरपीसी पर स्टेट और नेशनल दोनों ही सरकारों का हक है फिर तय करो कि बलात्कारियों के साथ हो या बलात्कारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ हो। महिलाओं की इज्जत को नोचने वालों के साथ हो या महिलाओं की इज्जत को बचाने वालों के साथ हो।

"तय करो किस ओर हो साथी तय करो।
आदमी के हक में हो या कि आदमखोर के।"

बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि इस पूरे आयोग को पूरी ताकत के साथ यहां से पारित जायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्यमंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। कुछ साथियों ने कहा कि आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात-चीत हो रही है लेकिन कुछ अन्य साथियों ने जो बात कही, काश! हमें यह सदन आज बुलाने की जरूरत ना पड़ती। ये स्पेशल सेशन आज बुलाने की जरूरत ना पड़ती। काश! हमारी दिल्ली की महिलाएं अपने आपको महफूज महसूस कर रही होती तो आज हमें ये सदन का स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर आज महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। दिल्ली की महिलाएं डरी हुई हैं। अगर घर से बेटी कॉलेज के लिये निकलती है तो मां-बाप का दिल धक-धक करता रहता है जब तक बेटी घर वापिस नहीं आ जाती है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो उसकी स्टेटिक्स है कि दिल्ली में पूरे देश की डेढ़ प्रतिशत जनसंख्या रहती है केवल। 1.4 परसेंट एक्सेक्टली, लेकिन पूरी देश में जितने बलात्कार होते हैं उसके पांच प्रतिशत लगभग बलात्कार दिल्ली में होते हैं। देश में जितने किडनैपिंग के केसीज होते हैं, उसमें से सात प्रतिशत पापुलेशन केवल डेढ़ प्रतिशत है अपने पास। पांच प्रतिशत बलात्कार पूरे देश के दिल्ली में होते हैं। सात प्रतिशत किडनैपिंग के केस दिल्ली में होते हैं। जितने क्राइम बेंगलूरु में होते हैं, अपराध बेंगलूरु में होते हैं उससे ढाई गुणा ज्यादा अपराध दिल्ली में होते हैं। उससे साढ़े चार गुणा ज्यादा अपराध बम्बई में जितने अपराध होते हैं उससे साढ़े चार गुणा ज्यादा अपराध दिल्ली में होते हैं और कलकत्ते में जितने अपराध होते हैं उससे पांच गुणा ज्यादा अपराध दिल्ली में होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मीनाक्षी नाम की एक बहन का कत्ल कर दिया गया। दो साल पहले उसी की मां ने, मीनाक्षी की मां ने पुलिस में एक कम्पलेंट की थी। ये कम्पलेंट की कॉपी है। उस कम्पलेंट में मैं पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हुई है वो बताने वाली नहीं हैं। मां बताती है कि उसके पड़ोस में रहने

वाले एक महिला और उसके दोनों बेटे उसकी बेटी के साथ किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। इसके ऊपर एफआईआर तक नहीं की गई। अगर दिल्ली पुलिस उसी टाइम उसके ऊपर एफआईआर कर लेती कोई कार्रवाई कर लेती तो शायद से हादसा ना होता और उसके बाद ना जाने कितनी बार पुलिस में फोन कर-कर के और पुलिस न ये दिखाने की कोशिश की जी दो साल पहले जो कम्पलेंट थी वो तो झगड़े की कम्पलेंट थी, पड़ोसियों में झगड़ा हो गया था। ये झगड़े की कम्पलेंट नहीं है जी। इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो यहां सदन के अंदर बताने लायक नहीं है कि उनकी बेटी के साथ क्या किया गया था। अगर पुलिस दो साल के अंदर कार्रवाई कर लेती तो मुझे लगता है कि शायद ये नौबत ना आती और अभी-अभी मैंने सुना। प्रामिला जी ने बताया कि उनके पास अश्लील फोन आते थे और कई बार फोन आये और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी अलका लाम्बा ने बताया कि उनके पास उनको वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, किस तरह से उनको परेशान किया गया। उनके बारे में अश्लील बातें लिखी गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस सदन के अंदर बैठी हुई महिलायें अपने आपको महफूज नहीं महसूस कर रही हैं तो दिल्ली की बाकी महिलायें कैसे महफूज कर सकती हैं। ये अभी इतने सारे एफआईआर और इतनी सारी इन्होंने दिखाई कि कितने केस ऐसे हैं कि जिसके अंदर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। कितने केस ऐसे हैं जिसमें एफआईआर दर्ज होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारा सबसे पहला मकसद है कि क्या किया जाये जिससे दिल्ली की महिलायें अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें। आजादी के साथ घूम सकें। रात को घूम सकें दिल्ली के अंदर। हो सकता है देश दुनिया भर में इतने सारे शहर हैं जिसके अंदर रात को बारह बजे महिलायें सड़क पर घूमती हैं और उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी के लिये यह इंक्वायरी कमिशन बिठा रहे हैं। कमिशन ऑफ इंक्वायरी जो प्रस्ताव लाया गया है वो कमिशन ऑफ इंक्वायरी क्या कह रहा

है। वो कमिशन ऑफ इंक्वायरी कह रहा है भई जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी फरवरी, 2013 में उन्होंने रिकमंडेशन दी थी। उनकी रिकमंडेशन कुछ लागू की गई थी। उसके बाद दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है। वो कौन–कौन से केसीज हैं जिसमें एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई और वो कौन–कौन से केसीज हैं जिसमें एफआईआर दर्ज की गई। ये तो होना चाहिये। पता करना चाहिये। इसमें गलत बात क्या है। इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी तो बैठनी चाहिये। कमिशन ऑफ इंक्वायरी दिल्ली के लोगों से ओपन कॉल करेगा कि वो सारी महिलाएं जिन्होंने कभी भी किसी भी अथोरिटी को केवल पुलिस ही नहीं, किसी भी अथोरिटी को चिट्ठी लिखी और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई कार्रवाई। उसके ऊपर गौर करेगा। क्या कार्रवाई होनी चाहिये थी उसके ऊपर गौर करेगा और फिर अपनी रिकमंडेशन देगा कि क्या व्यवस्था के अंदर चेंज करने की जरूरत है। क्या कानूनों के अंदर चेंज करने की जरूरत है। जिन केसीज में कार्रवाई नहीं हुई वो कौन–कौन से केसीज हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिये। वो बतायेगा कि ये कहीं ऐसे कुछ केस तो नहीं हैं जिसमें नेग्लीजेन्स थी ऑफिसर्स की। क्या कुछ ऐसे केस तो नहीं है जिसमें ऑफिसर्स मिले हुए थे ऐसा लगता है कि मिले हुए थे। वो अपनी रिकमंडेशन देगा। इसमें क्या कह रहे हैं संविधान के खिलाफ है। हम कहते हैं हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। कहते हैं संविधान के खिलाफ है। भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। हम कहते हैं हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे ये कहते हैं संविधान के खिलाफ है महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये लोग कह रहे हैं तो मैं एक छोटी सी इसमें ऐड करना चाहता हूं जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने की बात हो रही है उसमें एक अगर पूरे सदन की मंजूरी है एक क्लॉज ऐड किया जाये दिल्ली पुलिस के अंदर इसी दिल्ली पुलिस के अंदर निचले लेवल के जितने अधिकारी हैं जितने निचले लेवल के अपने कर्मचारी हैं वो सारे बहुत ही जांबाज ऑफिसर्स हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ऊपर बैठे हुए चंद अधिकारी

हैं जो ऐजेंट बन के बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के और मोदी सरकार के। आम आदमी पार्टी की सरकार में इन लोगों के लिये आवाज उठाई थी। बहुत सारे ऐसे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के और हमारी सुरक्षा करते हैं। गर्व है, फख्र है, हम लोगों को इन के ऊपर। हमने एक करोड़ रुपये का ईनाम घोषित किया है इन लोगों के लिये। दस अप्रैल को जब मैं मुख्यमंत्री बना। दस अप्रैल को मैंने चिट्ठी लिखी थी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को। मैंने कहा कि जब मैं कैम्पेनिंग के लिये जाता था पुलिस कॉलोनियों में चुनाव के दौरान तो मैंने देखा कि किस तरह से इनके मकान टूटे पड़े हैं। किस तरह से जर्जर हुए पड़े हैं इनके मकान। हमने कहा हम इनके मकानों को ठीक करायेंगे। हम इनके लिये करेंगे। आपने अगर केन्द्र सरकार से कुछ पैसे मांगे, हमें बताओ। हम केन्द्र सरकार से जा के आपके लिये Lobbying करेंगे। हम दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को वेलफेयर करेंगे। हमारे कई एमएलए हैं यहां पर जिन्होंने मुझे बताया कि एमएलए फंड को इन्होंने दिल्ली पुलिस के क्वार्टस को ठीक कराने के लिये खर्च किया। खर्च करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जिस दिल्ली पुलिस का कोई भी काम हमारे अंडर में नहीं आता है। एमएचए की जिम्मेदारी थी लेकिन हमने किया क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के अच्छे अफसरों के साथ खड़े हैं तो मेरे हिसाब से इस इंक्वायरी कमीशन में एक बात और डाली जाये कि दिल्ली पुलिस के वेलफेयर के लिये वो क्या-क्या कदम उठाने की जरूरत है ताकि दिल्ली पुलिस फोर्स के अंदर एक कॉनफिडेंस और एक जज्बा पैदा होगा। ये लोग कहते हैं कि पुलिस आपके अंडर में नहीं है। संविधान के अंदर पुलिस सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो इसलिये आप ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठा सकते। आप ये सब नहीं कर सकते। महिला सुरक्षा तो है हमारे पास। वूमन एंड चाइल्ड डेवलेपमेंट तो है हमारे पास। महिलाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तो है हमारे पास। दूसरा जो अभी मनीष भाई ने कहा, ये संविधान है जी। इस संविधान की एक समवर्ती सूची है

इस समवर्ती सूची में लिखा है आईटम नम्बर वन आईपीसी हमारे पास है। इस समवर्ती सूची में लिखा है आईटम नम्बर टू में सीआरपीसी हमारे पास है। इसी संविधान में लिखा है बिजली हमारे पास है। इसी संविधान में लिखा है पानी हमारे पास है। इसी संविधान में लिखा है सड़कें हमारे पास है। इसी संविधान में लिखा है पीडब्ल्यूडी हमारे पास है। अगर कोई पुलिस वाला कल बिजली का बिल नहीं देगा तो हमारे पास ताकत है उसके खिलाफ एक्शन लेने की, अगर बिजली का बिल नहीं देता तो। अगर कल कोई पुलिस वाला पानी का बिल नहीं देगा तो हमारे पास ताकत है कि दिल्ली सरकार के पास, इस सदन के पास, उसके खिलाफ एक्शन लेने की, तो जैसे बिजली हमारे पास है, पानी हमारे पास है। सीआरपीसी हमारे पास है, आईपीसी हमारे पास है तो अगर कल कोई पुलिस वाला सीआरपीसी का उल्लंघन करेगा तो हमारे पास पावर है उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लेने की। अगर कोई पुलिस वाला आईपीसी का उल्लंघन करेगा तो हमारे पास पावर है उसके खिलाफ एक्शन लेने की। सदन के पास पावर है दिल्ली सरकार के पास पावर है उसके खिलाफ एक्शन लेने की। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, मैं नहीं कह रहा। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें एक ही लाइन पढ़ के सुनाऊंगा – Government of national capital territory of Delhi has the executive power and authority to enforce criminal law in Delhi. ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है जी और फिर भी यह कहते हैं कि जो अच्छा काम करने चलते हैं हम लोग, हम कोई भी अच्छा काम करना चाहें, फरमान आ जाता है आपके पास पावर नहीं है ये काम करने की। तो चलो हमारे पास पावर नहीं है आपके पास पावर है आप कर लो। करो तो सही। आप कर लो आपके पास पावर है आप कर लो। हमने कहा हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे कहते हैं आपके पास पावर नहीं है भ्रष्टाचार दूर करने की। हमने कहा हम महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं। कहते हैं आपके पास पावर नहीं है महिलाओं को सुरक्षा देन की। हमने कहा हम अपराध

दूर करना चाहते हैं कहते हैं आपके पास पावर नहीं है अपराध दूर करने की। हमारी 14 फरवरी को सरकार बनी थी जो, 14 फरवरी को 8 जून तक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून चार महीने में। चार महीने में दिल्ली के अंदर 50 से ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया हम लोगों ने। मैसेज फैल गया पूरी दिल्ली सरकार के अंदर कि अब पैसे लोगे तो जेल जाओगे 50 से ज्यादा और 8 जून को नरेन्द्र मोदी जी ने दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच पर मिलिट्री भेज के पैरा मिलिट्री फोर्स भेज के कब्जा कर लिया। दो महीने से नरेन्द्र मोदी जी के कंट्रोल में है दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच। दो महीने में एक भी कर्मचारी इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। अरे, हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ ना, खुद भी नहीं करोगे दूसरों को भी नहीं करने दोगे। हमने 4 महीने में 50 से ज्यादा अधिकारियों को गिफ्तार कर लिया, इनसे दो महीने में मोदी जी से दिल्ली के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं हुआ। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, नरेन्द्र मोदी जी को कहना चाहता हूं अगले छह महीने में या तो दिल्ली को महफूज कर दो, अगले छह महीने में या तो दिल्ली पुलिस को ठीक कर दो, दिल्ली को महफूज कर दो, दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दो, नहीं तो उसके अगले छह महीने में दिल्ली पुलिस हमको दे दो, हम दिल्ली को देश का सबसे सुरक्षित स्थान न बनाकर दिखा दें, तो हमको बताना। लेकिन इनकी एक फिलॉसफी है न काम करेंगे, न काम करने देंगे। कहते थे पहले कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा वो बदल गया अब न काम करूंगा और न काम करने दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हम जो भी काम करते हैं, मैं रोज दफ्तर जाता हूं ऑर्डर पास करता हूं और मेरे को पूरा यकीन हो गया आज कल तो कि आज मैंने ऑर्डर पास किया, कल फरमान आ जाएगा मोदी जी के यहां से your order is declared null and void ab initio. अभी तक 25 से ज्यादा ऑर्डर, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के

25 से ज्यादा ऑर्डर इन्होंने null and void declare कर दिये हैं। मैंने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन करके पूछा, 'आज तक शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री के या किसी चुनी हुई सरकार के एक भी ऑर्डर को उन्होंने null and void किया हो' आज तक दिल्ली की सरकार के इतिहास में 1992 में दिल्ली की असेम्बली बनी थी, 23 साल के अंदर एक भी ऑर्डर किसी मुख्यमंत्री का या चुनी हुई सरकार का null and void नहीं हुआ। हमारे सारे ऑर्डर null and void करते जा रहे हैं तो यह null and void LG और null and void PM बन गये हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी जिन्दगी null and void करने से नहीं चलती, जिन्दगी विध्वंस से नहीं चलती, जिन्दगी निर्माण से चलती है। जिन्दगी पोजिटिविटी से चलती है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं उनको कि हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार की गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। हमारी गवर्नेंस की गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। हम लोग शिक्षा में खूब काम कर रहे हैं, हम लोग आम आदमी क्लीनिक बना रहे हैं, दिल्ली की सारी जनता बड़ी खुश है, एक क्लीनिक बनाकर दिखा दिया। एक हजार क्लीनिक बड़ी जल्दी बनने वाले हैं। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं, सड़कें ठीक कर रहे हैं, दिल्ली की सारी जनता बड़ी खुश है। खूब तेजी से गाड़ी चल रही है, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। मोदी जी जितनी कुछ अड़चन अड़ा रहे हैं, वो स्पीड ब्रेकर है जी। एल.जी. साहब एक स्पीड ब्रेकर है। मुकेश मीणा एक स्पीड ब्रेकर है, बस्सी साहब स्पीड ब्रेकर है। ये स्पीड ब्रेकर थोड़ी बहुत हमारी स्पीड कम कर सकते हैं लेकिन और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमारी तो तेज चलेगी गाड़ी और विकास की गाड़ी तेज चलती रहेगी। दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कई सारे कदम उठाये हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह कि जस्टिस वर्मा कमीशन ने एक

Bill of Rights पेश किया था, उन्होंने यह रिकमंड किया था कि पूरे देश की सारी सरकारें Bill of Rights पास करें, यह Bill of Rights है कि महिलाओं को क्या-क्या अधिकार हैं और सरकार की जिम्मेदारी है उनको अधिकार दिलवाने के। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, दिल्ली सरकार पहली सरकार होने वाली है जो Bill of Rights का विधेयक पास करने जा रही है। इस विधेयक का प्रारूप तैयार हो चुका है जल्दी हम दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर Bill of Rights का प्रारूप डाल देंगे जनता से उसके ऊपर सुझाव लेंगे और मुझे यकीन है कि अगले सत्र तक या अगले से अगले सत्र तक Bill of Rights का बिल विधान सभा के अंदर पेश किया जायेगा। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत सारे dark spots हैं, अंधेरे हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। यहां पर महिलाओं के साथ गलत काम होने की ज्यादा चांस रहते हैं। हमने दिल्ली पुलिस से भी लिखकर उन सारे dark spots की लिस्ट मांगी है और अब सारे विधायकों से dark sports की अपनी-अपनी विधान सभा में लिस्ट मांग रहे हैं और दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ मिलकर यहां पर सब जगह लाइट की व्यवस्था करेगी ताकि उन स्थानों को महफूज किया जा सकें। बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है, बसों में मार्शल की नियुक्ति कर दी गई है और अब पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम शुरू हो रहा है उसके लिए कई कंपनियों से बातचीत चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत जल्दी पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगने का काम शुरू होने जा रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सिंगल महिलाएं हैं या बाहर से आती है दिल्ली के अंदर काम करने के लिए, उनके पास रहने की जगह नहीं होती है तो उनके लिए वर्किंग वीमेन होस्टल्स खूब सारे दिल्ली के अंदर बनाये जा रहे हैं ताकि उन लोगों को सुरक्षित स्थान रहने के लिए दिया जा सकें। झुग्गियों के अंदर, मैं खुद कई महीने झुग्गियों में रहा हूं, झुग्गियों के अंदर टॉयलेट की फैसीलिटी नहीं होती, सवेरे महिला

चार बजे उठती है, वो टॉयलेट करके आती है और दोपहर के अंदर अगर उसको प्रेशर हो तो रात तक अपने को रोककर रखती है ताकि रात जब हो जायेगी, अंधेरा हो जायेगा तब वो जाती है। मैंने ऑर्डर दिये हैं कि 31 मार्च तक पूरी दिल्ली की झुग्गियों के अंदर इतने टॉयलेट की व्यवस्था कर दी जाये कि किसी भी महिला को टॉयलेट के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर 2681 बलात्कार के मामले अभी लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग चल रहे हैं, 1689 Dowry Deaths के केसेस चल रहे हैं, 469 लड़कियों के किडनैपिंग के केस चल रहे हैं, 4115 molestation के केसेस चल रहे हैं, 911 eve teasing के केसेस चल रहे हैं 4767 domestic violence केसेस चल रहे हैं और 91 केसेस लड़कियों की खरीद-फरोख्त के चल रहे हैं। 14714 केसेस लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं। अगर हम कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, अगर ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे कि अगर कोई किसी लड़की के साथ गलत काम करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जल्द से जल्द सजा मिलेगी जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जायेगा। अगर प्रमिला टोकस को फोन करने वाले को तुरंत जेल हो जाती है, मुझे लगता है कि उस इलाके के अंदर गलत फोन करना बंद कर देते। अगर अलका लाम्बा के साथ गलत व्यवहार करने वाले को जेल हो जाती, किसी की हिम्मत नहीं होती कि नेट के ऊपर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता। अगर ये जितने केसेज लाये हैं मनीष सिसोदिया, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती मुझे नहीं लगता तो हमें इसको करना पड़ेगा। मैंने चीफ जस्टिस से बात की है और दिल्ली के अंदर जितनी भी नई अदालतें खोलने की जरूरत पड़ेगी, हम खोलेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी रेप का, बलात्कार का इस किस्म का केस आये तो वो जल्द से जल्द तीन से छह महीने के अंदर उस केस का निपटारा जरूर होना चाहिए। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी Last mile connectivity सबसे जरूरी है। महिला उसके लिए एक महफूज व्यवस्था करने की

Last mile connectivity सुरक्षित व्यवस्था करने की जरूरत है। उसके ऊपर गोपाल राय जी काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास मेनका गांधी जी की एक चिट्ठी आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि 30 प्रतिशत से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स महिलाएं होनी चाहिये तो जब मेनका गांधी जी ने लिखा है तो हम उम्मीद करते हैं कि यह केंद्रीय सरकार का फैसला है हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और एमएचए से निवेदन करते हैं कि दिल्ली पुलिस के अंदर भी 30 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की जाये। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है पिछले हफ्ते या दो हफ्ते पहले, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है Human Rights violation में दिल्ली दूसरे स्थान पर है पूरे देश में, हम यह सोच भी नहीं सकते, हमने तो सोचा था शायद नक्सली इलाके में Human Rights violation होता होगा। ये हैं 94985 केसेज Human Rights violation के पूरे देश में हुए। यूपी नंबर 1 पर है Human Rights violation में और दिल्ली नंबर 2 पर है Human Rights violation में। इसलिए दिल्ली सरकार ने इसमें ऑर्डर दिया गया है कि दिल्ली सरकार States Human Rights Commission का गठन करे। दिल्ली सरकार ने States Human Rights Commission का गठन शुरू कर दिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने मेरे से परसों इस फाइल पर दस्तखत करवाये हैं और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर States Human Rights Commission का गठन कर दिया जायेगा और Police Complaints Authority, दिल्ली के अंदर Police Complaints Authority नहीं है, Public Greivance Commission को जिम्मेदारी दी गई थी जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है तो Police Complaints Authority का भी जल्द से जल्द गठन शुरू कर दिया जायेगा। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि वो लोग जितनी अड़चनें अड़ाये, हमारे दो-चार स्पीड ब्रेकर का काम कर सकते हैं, हमें काम करने से नहीं रोक सकते। वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहें। पूरे देश में आज एक ही मैसेज है अध्यक्ष महोदय, कि दिल्ली सरकार बड़ा

अच्छा काम कर रही है, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, चारों तरफ पूरे देश में कहीं चले जाओ। चारों तरफ पूरे देश में कहीं चले जाओ एक ही मैसेज है और उसका सबसे बड़ा सबूत ये एक मीडिया हाउस ने सर्वे किया है जी बिहार का। बिहार में सर्वे में 10,500 का सैंपल है इसमें, 10,500 बहुत बड़ा सैंपल होता है नहीं तो 500-500 सैंपल में से सर्वे दिखा देते हैं टीवी वाले इसमें एक क्वैश्चन पूछा गया Will Delhi war help Nitish? क्या दिल्ली के अंदर जो जंग चल रही है दिल्ली के अंदर मोदी जी काम नहीं करने दे रहे क्या इससे नीतिश को फायदा होगा 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि नीतिश कुमार को इससे फायदा होगा, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले दो महीने के अंदर अगर इन्होंने दिल्ली सरकार के साथ यही हरकत जारी रखी तो जो हाल इनका दिल्ली में हुआ वही हाल इनका बिहार के अंदर होगा। अंत में, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं वो कहते हैं Cooperative Federalism. कहते Cooperative Federalism हैं लेकिन करते Speed breaker Federalism हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं ये Speed breaker Federlism छोड़िए और आइये असली में Cooperative Federalism करते हैं चलिए, हम दोनों मिलके दिल्ली बदलते हैं। आज हम लोग खूब काम कर रहे हैं लेकिन अगर मोदी जी हमार साथ दें तो एक और एक ग्यारह हो सकता है हम लोग मिलके खूब बढ़िया काम कर सकते हैं तो इस Obstructionist Federalism को Speed breaker Federalism को छोड़के हम लोगों को असली में Cooperative Federalism करनी चाहिए और अंत में मैं जो प्रस्ताव रखा गया उसमें एक संशोधन कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के वैल्फेयर के लिए क्या-क्या किया जाए ये भी मैं चाहता हूं इसमें इंक्वायरी की टर्मस में डाला जाए और मैं इसका अनुमोदन करता हूं बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री संदीप कुमार जी। हां संशोधन उसमें एड कर लेंगे। संदीप जी को एक बार लिखकर दे दीजिए उसमें

एड कर लेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संशोधन है वो आपके प्रस्ताव में एड किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझाव के अनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल संकल्प में यह भी जोड़ा जाए। प्वाइंट नंबर 7 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मचारियों की कार्य दशा सुधारने के लिए कल्याणकारी कदम उठाने की सिफारिश करना। अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि मेरे साथियों ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को अति गंभीरता से लेते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। भावना गौड़ जी की यह चिंता जायज है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अधिक संवेदनशीलता की जरूरत है खासकर कुछ पुरुषों को आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है कि हम महिलाओं को वो सम्मान दे पा रहे हैं जिसकी वह हकदार है। मुझे लगता है कि नहीं। अभी हम पुरुषों में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति और अधिक संवेदनशीलता की जरूरत है जैसा अलका जी ने बताया कि जस्टिस वर्मा कमिशन के सुझावों को अमल में लाया गया होता तो महिलाओं के लिए न्याय पाना इतना मुश्किल न होता जैसा आज है जैसा कि जरनैल सिंह ने बताया, यह चौकाने वाला सत्य है कि दिल्ली पुलिस में महिला सुरक्षा कर्मियों की संख्या सिर्फ 9 प्रतिशत है ऐसे में दिल्ली पुलिस महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को किस तरह से पीड़ित महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा कर पाती होगी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि मेरे भाजपा के साथी इस ऐतिहासिक बहस में साथ देने के बजाए इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। जैसा सोमनाथ भारती जी ने पहले भी साफ कर दिया है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि जनता की सुरक्षा को लेकर एक जांच आयोग बनाना असंवैधानिक है, मैं अपने भाजपा के साथियों के भय को समझता हूं जिस दिल्ली पुलिस की नाकामी को यह तीनों विधायक

गण और इनकी केंद्र सरकार ढकना चाहती है उन्हें यह डर है कि कहीं इस जांच आयोग के गठन से दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता जनता के सामने ना आ जाए इसलिए पूरी भाजपा डरकर भाग रही है। मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री के तौर पर आप सभी सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि चाहे सैल्फ डिफैंस की ट्रेनिंग की बात हो या पुरुषों और लड़कियों को महिला सुरक्षा के लिए और अधिक संवेदनशील बनाने की बात हो दिल्ली सरकार अपने ओर से दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा का माहौल देने की हर संभव कोशिश करेगी लेकिन बस्सी साहब को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि या तो कमर कसके हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करें या भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जायें पर किसी भी सूरत में दिल्ली की जनता की सुरक्षा को लेकर राजनीति ना करें, मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित करके एक ऐतिहासिक कदम की ओर बढ़े। सभी सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं दिल्ली की महिलाओं और यह दर्शक दीर्घा में बैठी बहन बेटियों को मैं आज इस सदन की ओर से आश्वस्त करता हूं कि इस प्रस्ताव के पारित होने पर जांच आयोग की अतिशीघ्र गठन होगा और सरकार अपनी ओर से जांच आयोग द्वारा दिये गये सुझावों और सिफारिशों पर गंभीरता से काम करेगी चाहे, इसके लिए हमें कितनी भी कोशिशें करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, धन्यवाद।

संकल्प पारित करना

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व मैं संकल्प के विषय में प्रस्ताव रखूं आपके बीच में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो फाइल रखी है, उसको हम सदन के रिकॉर्ड में हम ले लें।* अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एफआईआर की कॉपी सदन पटल पर

*पुस्तकालय में संदर्भ संख्या R-15164 पर उपलब्ध।

रख दी है,... मैं आप सभी के बीच में बात रख रहा हूं उसका सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए ताकि बुलाकर संबंधित अधिकारियों से ये पूछा जाए complaint करने के बाद भी एफआईआर क्यों नहीं lodge हुई, ये विशेषाधिकार समिति को मैं सौंपने का प्रस्ताव रखता हूं:–

सदन इससे सहमत है तो हां कहे

(सदन के सदस्यों हां कहने पर)

अध्यक्ष माहेदय : बहुत-बहुत धन्यवाद अब माननीय महिला एवं बाल विकास कल्याण एवं अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधित संकल्प सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहें
जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें

(सदस्यों द्वारा हां कहने पर)

हां करने पर हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता संकल्प स्वीकार हुआ।

इससे पहले मैं कि मैं सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करूं, सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, सभी मंत्रीगण अब नेता विपक्ष यहां है नहीं, श्री विजेंद्र गुप्ता जी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधान सभा के सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एवं उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीएफ बटालियन 55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलेक्ट्रीकल

व होल्टीकल्चर डीविजन अग्नि शमन विभाग आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों के लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं, विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो।

(जन गण मन)

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई)

विषय सूची

सत्र-01 भाग (5) सोमवार, 03 अगस्त, 2015/12 श्रावण, 1937(शक) अंक-14

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	सचिव का परिचय	3
3.	अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	4-10
4.	नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख	18-34
5.	नियम-90 के अंतर्गत संकल्प का प्रस्तुतीकरण और चर्चा	35-144
6.	अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	144-146
7.	संकल्प पारित करना	146-148